द्वितीय माला, खण्ड १—अंक ८

२० मई, १९५७ (सोमवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

43 LSD

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . .	४०९
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या* १३८क, १६९, १३९ से १४४, १५२, १५३, १४७ से १५१ और १५४ से १५७ . . .	४०९—३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . .	४३२—३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १५३, १५८ से १६६, १६८, १७० से १७८ और १८० से १८६	४३४—४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ६१ से ९० . . .	४४३—५३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४५४
राष्ट्रपति से संदेश	४५५
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७ के बारे में वक्तव्य . .	४५५-५६
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	४५५-५६
प्राक्कलन समिति—	
अड़सठवां प्रतिवेदन	४५६
लोक-लेखा समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	४५६—५७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
बम्बई के नावांगण कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल . .	४५७-५८
जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४५८-५९
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	४५९
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	४५९
जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण .	४५९-६०
कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) विधेयक . .	४६०—७४
खण्ड २ से २८ और १	४६०—७३
पारित करने का प्रस्ताव	४७३
श्री के० दे० मालवीय	४७३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	४७३
डा० मेलकोटे	४७३

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[कृपया बाकी मैटर कवर के पृष्ठ तीन पर देखिए

लोक-सभा

सोमवार, २० मई, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री चं० भट्ट (भड़ौच)

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या कोई और भी माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है ? मैं देखता हूं कि ऐसा कोई नहीं है ।

---

†**अध्यक्ष महोदय :** खाद्य की कमी को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायगी । वह प्रश्न अनेक माननीय सदस्यों ने रखा है ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** इस प्रश्न के साथ प्रश्न १६९ भी ले लिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हां, दोनों को एक साथ लिया जा सकता है । क्या इस प्रकार का और भी कोई प्रश्न है ? मैं समझता हूं और कोई नहीं है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खाद्य की कमी

†*१३८क. **श्री कासलीवाल :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री ल० ना० मिश्र :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :
पंडित मु० बि० भार्गव :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री भक्त दर्शन :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अमर सिंह डामर
श्री हेम बरुआ :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वोडयार :
श्री बोस :
श्री झूलन सिंह :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री ह० चं० माथुर :
श्री जांगड़े :
श्री सरजू पांडे :
श्री अ० चं० गुह :
श्री संगण्णा :
श्री रूप नारायण :
श्री कालिका सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वें० प० नयार :
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री सुबिमन घोष :
श्री घोषाल :
श्री डांगे :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री सु० ना० द्विवेदी :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री शि० ल० सक्सेना :
श्री खाडिलकर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री याज्ञिक :
श्री तंगामणि :
श्री रामजी वर्मा :
श्री ह० चं० शर्मा :
श्री सुब्बया अम्बलम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य में खाद्याभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से राज्य हैं और सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). देश में खाद्य की स्थिति पर एक विस्तृत वक्तव्य १४-५-५७ को लोक-सभा में दिया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्न के भावों में तेजी

†*१६९. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से देश में खाद्यान्नों के भावों में किस अनुपात से तेजी आई है ;

(ख) चावल, तिलहन तथा गेहूं के भावों में अधिकतम कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) किस राज्य में खाद्यान्नों के भावों में सब से ज्यादा तेजी आई है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) से (ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]**

†**श्री कासलीवाल :** समाचारपत्रों में खाद्यान्न के भावों के संबंध में अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी समाचार प्रकाशित हो रहे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि हाल में मंडियों में गेहूं तथा जौ का क्या भाव चल रहा है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** माननीय सदस्य का तात्पर्य किस मंडी से है । सामान्यत: **दारा** गेहूं का भाव इस समय १३ रु० ४ आने और १५ रुपए के बीच तथा जौ का भाव लगभग १० रुपए है ।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** बिहार में यद्यपि खाद्यान्नों के संभरण में पर्याप्त सुधार हुआ है परन्तु उसे सस्ते भाव की दुकानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त उपबन्ध नहीं किया गया है । क्या सरकार के पास संभरण का परिवहन प्रणाली के साथ समन्वय करने के लिए कोई योजना है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** केन्द्रीय सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि खाद्यान्न रेल-स्थानों तक पहुंच जायं, इसके पश्चात् उनका आन्तरिक वितरण करना तथा उन्हें सस्ते भाव की दुकानों तक पहुंचाने का प्रबन्ध करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** सरकार अन्न संग्रह को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है क्योंकि मैं समझता हूं कि ये सारी कठिनाइयां कुछ हद तक खाद्यान्नों के संग्रह के कारण हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** सरकार इस प्रश्न के प्रति बहुत जागरूक है । मैं उन कदमों की चर्चा नहीं करना चाहूंगा जो हम इस संबंध में उठाने का विचार कर रहे हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार के बीच सदा वाहनान्तर की कठिनाइयां रहती हैं । माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि वह रेल स्थानों तक खाद्यान्न पहुंचायेंगे । मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने रेलवे के साथ परामर्श करके इस बात के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं कि उत्तरी बिहार को खाद्यान्नों का संभरण किया जा सके ?

†**श्री अ०प्र० जैन :** गत वर्ष से हम ऐसा कर रहे हैं कि वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व ही हम उत्तरी बिहार में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न स्टाक कर लेते हैं । इस वर्ष हम १५,००० टन गेहूँ उत्तरी बिहार में स्टाक करना चाहते हैं । इतनी मात्रा इस महीने के अन्त अथवा अगले महीने के प्रारंभ तक संभरित कर दी जायेगी ।

†**श्री ह० चं० माथुर :** क्या यह सच है कि कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य सब स्थानों में खाद्यान्नों के भाव गिर रहे हैं और यदि हां, तो वे कौन से स्थान हैं जहां भाव गिर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : गेहूं तथा चने के भाव गिर रहे हैं। हम अनेक मंडियों से आंकड़े जमा कर रहे हैं और ६० प्रतिशत से अधिक मामलों में गेहूँ का भाव गिर रहा है। इसी तरह हम बहुत सी मंडियों से चने के आंकड़े भी जमा कर रहे हैं और ९५ प्रतिशत से अधिक मामलों में भाव या तो स्थिर हैं या गिर रहे हैं। चावल का भाव बढ़ा है और इस समय वह प्रायः स्थिर सा है।

†**श्री वोडयार** : क्या मैसूर की सरकार ने कोई तत्कालिक सहायता मांगी थी; और यदि हां तो क्या वह दी गई और कितनी दी गई ? क्या भारत सरकार के पास इन स्थितियों क स्थायी निराकरण का कोई हल है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उत्तरी कर्नाटक अर्थात् उत्तरी मैसूर में लगभग ३ या ४ जिलों में मुख्य फसल जुआर की है जो अधिक वर्षा के कारण खराब हो गई है। गत वर्ष पैदावार कम हुई थी और वहां जुआर का भाव १४ रुपए से १५ रुपए प्रति मन हो गया है। गत सप्ताह मैं वहां था और मैंने उन्हें बताया कि उन सब क्षेत्रों में अच्छी किस्म का गेहूँ १४ रुपए प्रतिमन के भाव पर पर्याप्त मात्रा में संभरित किया जा रहा है। हमने बेलगाम, बीजापुर और गुलबर्ग में तीन केन्द्रीय संग्रह डिपो चालू किए हैं और इन संग्रह डिपोओं को पर्याप्त गेंहूं भेजा जाता है और वहां से वह गेहूँ सस्ती कीमत की दुकानों को दिया जाता है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या खाद्य मंत्रालय द्वारा आसाम राज्य को आवंटित किया गया ३००० टन गेहूँ वहां पहुंच गया है ? हमने इस आशय का एक समाचार पढ़ा है कि ३००० टन गेहूँ का आवंटन आसाम राज्य में नहीं पहुंचा है। क्या यह सच है ?

†**श्री अ० प्र० जैन**: वास्तव में अभी तक यह जिम्मेदारी आसाम सरकार की थी कि वह कलकत्ता से ग ँ उठवा ले। आसाम के विकास मंत्री दो तीन दिन पूर्व ही मुझ से मिले थे। मैंने उनसे विस्तार-पूर्वक चर्चा की थी। भविष्य में हम आसाम में ही चावल और गेहूँ दोनों का स्टाक रखने का विचार कर रहे हैं। हम आसाम को ६००० टन चावल रवाना कर चुके हैं जो रास्ते में है और शीघ्र १०,००० टन चावल तथा गेहूँ भी और रवाना करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या आसाम के विकास मंत्री ने राज्य के लिए २०,००० टन चावल की मांग की थी ? क्या इसके साथ ही उन्हों ने आसाम के प्रमुख नगरों में रक्षित केन्द्र खोलने की मांग भी रखी थी क्योंकि बरसात के महीनों में आसाम का शेष भारत से प्रायः संबन्ध विच्छेद हो जाया करता है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : जहां तक आंकड़ों का संबंध है, मैं उन्हें माननीय सदस्य की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैंने आसाम सरकार से चर्चा की थी और मेरी उनसे सीधी लिखा-पढ़ी हो रही है। जहां तक स्टाक बनाने का संबंध है चावल तथा गेहूँ दोनों का हम वर्षा ऋतु के पूरी तरह प्रारंभ होने के पहले ही वे स्टाक बना लेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक साथ तीन प्रश्न पूछ ने की अ ुमति नहीं दूंगा।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मैनन** : माननीय मंत्री न राष्ट्रपति क अभिभाषण पर चर्चा में अन्तःक्षेप करते हुए अन्न संग्रह के कुछ आंकड़े उद्धृत किए थे। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नई फसल तैयार ो वाली है, सरकार खाद्यान्नों के अधिक संग्रह को रोकने के लिए तुरन्त ही कुछ कार्यवाही करेगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं उसके लिए बहुत उत्सुक हूं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० दे० पांडे :** उत्तर प्रदेश में गेहूँ के चढ़ते हुए भावों को देखते हुए कम से कम मेरे नि चिन क्षेत्र हलद्वानी में क्या माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को बिक्री कर हटा लेने का अनुदेश देंगे ताकि गेहूँ आज की अपेक्षा कुछ सस्ता हो जाय ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश देने की शक्ति प्राप्त नहीं है ।

†**श्री च० द० पांडे :** चूंकि आप आर्थिक सहायता देते हैं आपको शक्ति प्राप्त है ।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी:** पश्चिमी बंगाल को सस्ते भाव की दुकानें खोलने के लिए कितना अनाज दिया गया है तथा पश्चिमी बंगाल में कितनी सस्ते भाव की अनाज की दुकानें व रसोइयां[1] अभी तक खोली जा चुकी हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** इस महीने में हमने उन्हें १०,००० टन चावल दिया है । इसके अतिरिक्त हम प्रति माह लगभग ३५,००० टन गेहूँ देते रहे हैं । ६००० टन की प्रारंभिक मात्रा भेज ी गई है । मुझे यह नहीं मालूम कि कितने सस्ते भाव की दुकानें खोली गई हैं । बाह्यत: पश्चिमी बंगाल सरकार अनेक सस्ते भाव की दुकानें खोलने में व्यस्त है ।

†**श्री पलनियाण्डि :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चावल के बढ़ते हुए भाव का प्रभाव अधिकांश में दक्षिण भारत पर पड़ेगा क्या सरकार ने दक्षिण भारत को आवश्यक स्टाक भेजने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

†**श्री वेंकटा सुब्बैया :** इस बात को देखते हुए कि आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा जिलों पर अधिक वर्षा के कारण विप ीत प्रभाव पड़ा है, क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उस क्षेत्र के इस भाग में आवश्यक बाजार के संभरण के लिए कोई अभ्यावदन किया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जहां तक रायलसीमा जिलों का संबंध है, जहां कहीं जुआर पैदा की जाती है जुआर की फसल को विशेषकर गत वर्ष क्षति हुई थी। मैं गत सप्ताह आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों से मिला था और खाद्य मंत्री श्री थिम्मा रेड्डी न आन्ध्र को गेहूँ और चावल के संभरण के लिए कहा था । हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि गेहूँ कि मांग पू ी कर दी जायगी और चावल के संबंध में भी यदि उन्हें चावल की आवश्यकता हो तो हम उसका हैदराबाद नगर में संभरण करने को तैयार हैं ।

कई माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न पर ४० व्यक्तियों के नाम हैं । यदि मैं केवल उन समस्त माननीय सदस्यों के नाम ही पुकारूं जिन्होंने इस प्रश्न को रखने का कष्ट किया है तो सारा घंटा खत्म हो जायगा । खाद्य की कमी तथा उसके भाव में तेजी बहुत महत्वपूर्ण विषय है । समस्त सदन इसमें अभिरुचि रखता मालूम होता है । इसलिए यदि माननीय सदस्य अगले शनिवार को बैठक के लिए तैयार हों तो मैं इस मामले पर—खाद्य की कमी और उसके भाव दोनों पर—दो घटे की चर्चा की अनुमति दूंगा । यदि फिर भी अधिक मांग हो तो हम उसे ढाई घंटे कर सकते हैं ।

†**कई माननीय सदस्य :** जी. हां ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मेरा सुझाव है कि पूरा शनिवार खाद्य पर बहस के लिए दे दिया जाय क्योंकि म यथासंभव अधिक से अधिक सदस्यों की बातें सुनना चाहता हूँ ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

1. General Kitchens

†**अध्यक्ष महोदय :** आप शनिवार को कितने घंटे का समय चाहते हैं। उस दिन प्रश्नों का घंटा नहीं होता। तब हम ११ से ६ तक अथवा जब तक बैठें तब तक का समय ले सकते हैं।

†**श्री त्यागी :** ६ बजे तक क्यों ? उस समय तक सदस्यगण ऊब जायेंगे।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** ११ बजे से ५ तक ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री ने वैसा गुस्से में कहा था ?

†**श्री अ० प्र०जैन :** नहीं श्रीमान् मैं वास्तव में माननीय सदस्यों की बातें सुनने की इच्छा रखता हूँ।

†**श्री तिरुमल राव :** माननीय मंत्री ने वक्तव्य के रूप में जो कुछ कहा है क्या उसके अतिरिक्त कोई विशेष बात वह करेंगे ? अन्यथा सारे दिन तक बहस करने से क्या लाभ है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह पूरे दिन बैठने तथा उत्तर देने को तैयार हैं। यदि माननीय सदस्य थक जायेंगे तो वह भी चले जायेंगे ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं अपने वक्तव्य में जो कुछ कह चुका हूँ उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है परन्तु मैं सुझाव और विशेषकर माननीय सदस्यों से कुछ रचनात्मक सुझाव प्राप्त करना चाहूँगा।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि राष्ट्रपति को धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान में खाद्य की स्थिति पर बहस हो ही चुकी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम यह जानकारी इकट्ठा नहीं कर सके हैं कि राज्य सरकारों ने इस दिशा में कहां तक कदम उठाए हैं मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से प्रार्थना करूँगा कि वह कुछ दिनों के पश्चात् या इस सत्र के अन्तिम दिनों में यदि वह राज्यों से जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हों एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखें ताकि हमें नवीनतम स्थिति का पता लग सके।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मुझे इस तरीके में कोई आपत्ति नहीं है और मैं वह जानकारी जो राज्य सरकारों से मिल सकेगी लोक-सभा पटल पर रख सकता हूँ। परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा और मैं ऐसा सत्र के अन्त में ही कर सकूंगा।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** इस के अतिरिक्त जानकारी क बिना बहस का कोई लाभ नहीं होगा। हमें शनिवार के पूर्व यह मालूम होना चाहिए कि राज्य सरकारों ने कीमतों को स्थिर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** संसद-कार्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि वह इस बात के लिये इच्छुक होंगे कि उस दिन पर्याप्त संख्या में सदस्य उपस्थित हों। गणपूर्ति संख्या बनाए रखना उनके हाथ में है। अस्तु इस प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न अभी नहीं पूछे जा सकेंगे। आज इस प्रश्न को यहीं पर समाप्त किया जाता है। यदि पृथक दिन रखने या शनिवार को विशेष बैठक रखने में कोई कठिनाई होगी तो मैं इन दिनों में से किसी भी दिन के अन्त में दो घंटे का समय दे दूंगा। मैं माननीय मंत्री से परामर्श करके सदन को कल सूचना दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय टिड्डी निरोधक दस्ता[1]

†*१३९. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय टिड्डी निरोधक दस्ता किस प्रकार के काम में लगा हुआ है;

(ख) वे कौन-कौन से देश हैं जहां इस दस्ते के पदाधिकारी काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या इसके कार्य तथा सफलताओं का कोई निर्धारण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे निर्धारण का परिणाम क्या निकला ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) से (घ), एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]**

†**श्री श्रीनारायण दास :** विवरण से ऐसा मालूम होता है कि यह दल रेगिस्तानी टिड्डियों के विरुद्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में भाग ले रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में भाग लेने में होने वाले व्यय का कोई भाग अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा भी वहन किया गया है अथवा समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा ही वहन किया गया ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मेरे पास कुछ व्यय का लेखा नहीं है। हमने जो व्यय किया है वह १,६०,००० रुपए और २,७४,००० रुपए के बीच का है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** मैं यह जानना चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय अभियान में भारत द्वारा किए गए व्यय का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वहन किया गया तथा कितना भाग भारत द्वारा वहन किया गया ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** व्यय की गई राशि बहुत बड़ी है। वास्तविक अनुपात मेरे पास नहीं है। मैं पूर्व सूचना चाहूँगा।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस दस्ते पर इतना व्यय किए जाने के पश्चात् क्या इस संगठन की शक्ति को कम करने अथवा बढ़ाने का कोई मौका आया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान के परिणामस्वरूप नहीं। भारत में टिड्डियों की हलचल कम होने के कारण कर्मचारियों की संख्या ६०७ से घटा कर २०७ कर दी गई है।

†**श्री कासलीवाल :** विवरण से ऐसा मालूम होता है कि इस देश में पिछले वर्ष टिड्डियों की कोई हलचल नहीं देखी गई। समाचारपत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं कि सऊदी अरब, सूडान तथा कुछ आस-पास के स्थानों में कुछ हल चल हुई थी। क्या माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि इस देश में टिड्डियों की ऐसी हलचल से कोई खतरा नहीं है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** हमें सदा स्थिति पर नजर रखनी पड़ती है। फिलहाल ऐसा मालूम होता है कि कोई तुरन्त खतरा नहीं है। परन्तु मैं सदन को यह सूचित कर दूं कि भारत की भूमि पर सर्वत्र टिड्डियाँ सदा विद्यमान रहती हैं। इस बात के बावजूद भी कि वे दल बनाने तथा बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाने में समर्थ न हो सकें, बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ स्थानीय किस्म की टिड्डी की नस्ल सदा चलती रहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Central Anti-locust Unit

कच्चे पटसन के भाव

†*१४०. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में इस वर्ष फरवरी, मार्च तथा अप्रैल के महीनों में कच्चे पटसन के भाव बहुत नीचे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) गत वर्ष के भावों की तुलना में ये कसे हैं ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमूख)** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ठीक हैं।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस तथ्य को देखते हुए कि निजी व्यापारियों की सट्टे संबंधी कार्यवाहियों के कारण कच्चे पटसन के भावों में प्रायः बहुत उतार-चढ़ाव होता रहता है क्या सरकार इस वस्तु को भी राज्य-व्यापार निगम के अन्तर्गत रखने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इसका निर्णय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय करेगा।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस बात को देखते हुए कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने पटसन जांच आयोग से यह निश्चित सिफारिश की थी कि प्रतिवर्ष कच्चे पटसन का न्यूनतम भाव निश्चित कर दिया जाया करे, क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय स बात पर अभी भी विचार कर रहा है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का मत सदा यह रहा है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाने चाहिएं जिसमें पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके। मैं यह नहीं कह सकता कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया है और हमें इसमें कहां तक सफलता मिली है।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यदि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का यह मत है कि कच्चे पटसन के उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके तो पटसन जांच आयोग की यह सिफारिश कार्य रूप में परिणत क्यों नहीं की गई कि एक पटसन आयुक्त नियुक्त किया जाय ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूँ।

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय सदा यह चाहता है कि उचित भाव निश्चित किया जाना चाहिए ताकि पटसन उत्पादकों को उचित लागत मिल सके। क्या पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करना उस मंत्रालय का कर्तव्य नहीं है और यदि उनकी इच्छा तथा उसकी पूर्ति के बीच में कोई बाधा है तो क्या इस मंत्रालय का यह कर्तव्य नहीं है कि वह पूर्ण हो और उत्पादकों को उचित लागत मिल सके।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : सर्वप्रथम, मैंने जो कुछ अपने उत्तर में कहा है उसका अर्थ माननीय सदस्य कुछ और लगा रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा कि हमने किसी मालूम न्यूनतम भाव की सिफारिश की है। मैंने कहा था कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का यह मत है कि उत्पादक को उचित मूल्य मिल सके। मने यह प्रकट नहीं किया था कि किन बातों के लिए जाने से ऐसा हो सकेगा।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह मंत्रालय के विवरण में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० चं० सामन्त : भाग (क) का उत्तर माननीय मंत्री ने नकारात्मक दिया। क्या यह सच है कि जो उत्पादक उस समय पटसन बेच रहे थे वह कम भाव पर बेच रहे थे जब कि जिन्होंने उसे खरीदा वे उसे कलकत्ता में अधिक भाव पर बेच रहे थे ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : ये स्थानीय अन्तर हैं और समय समय पर भी भाव बदलते रहते हैं। मैं ने स्वयं शिकायत की है कि प्रायः ये उतार-चढ़ाव बहुत भयंकर होते हैं और खेतिहरों के हितों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। परन्तु इस विशेष मामले में कोई अधिक अन्तर नहीं है। उदाहरणार्थ, पूर्णिया में १९५६ में २४ रुपए ८ आने का भाव था अब वह ८ आने गिर गया है जहां तक फरवरी तथा अप्रैल का संबंध है अन्य महीनों में यह ज्यादा है। इसी कारण मैंने कहा कि इन महीनों में उतार-चढ़ाव ज्यादा नहीं है।

†**श्री झुनझुनवाला** : माननीय कृषि मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि उनके मंत्रालय का यह मत है कि पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जाना चाहिए तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि मंत्रालय ने उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या उन्होंने इस बात पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से परामर्श किया है क्योंकि उन्होंने कहा कि यह कृत्य वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे लिये यह संभव नहीं होगा कि एक प्रश्न के उत्तर में मैं उन समस्त कदमों का वर्णन करूं जो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संभव है, परन्तु यह ऐसा मामला है जिसको न केवल पटसन के ही संबंध में वरन् खेतिहरों द्वारा उत्पादन की जाने वाली समस्त वस्तुओं के सम्बन्ध में, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय बहुत महत्व देता है क्योंकि अन्यथा उत्पादन कभी नहीं बढ़ेगा परन्तु मैं सारी बातों का वर्णन नहीं कर सकता।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या पटसन के सम्बन्ध में, जो डालर कमाने वाली व्यापारिक फसल है, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से परामर्श करना खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की नीति नहीं है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह परामर्श का मामला नहीं है। जब कभी भी हम यह अनुभव करते हैं कि भाव ठीक करने के लिये कुछ कदम उठाना आवश्यक है तो हम उनसे सिफारिश करते हैं और वह कदम उठाते हैं।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि अनेक वर्षों के लिये बंगाल सरकार द्वारा न्यूनतम भाव निश्चित किया गया था—मैं नहीं जानता कि बिहार सरकार ने वैसा किया या नहीं—तथा उसे बंगाल सरकार द्वारा लागू किया गया था। उन्होंने उस प्रयोजन के लिए विशेष कोष का उपबन्ध किया था।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा।

दिल्ली के लिये बृहद् योजना[1]

\+

†*१४१. { **श्री राधा रमण** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिये बृहद् योजना की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) पूर्ण योजना लोक-सभा में कब प्रस्तुत की जायेगी ; और

(ग) उसको कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

---

[1]Master Plan

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नगर आयोजन संगठन ने वृहत्तर दिल्ली के लिये एक अन्तःकालीन सामान्य योजना सितम्बर, १९५२ में प्रस्तुत की थी और अंतिम आदर्श योजना की तैयारी चल रही है ।

(ख) जैसे ही वह तैयार हो जायेगी संसद् के सदस्यों को मिल जायेगी ।

(ग) योजना को क्रियान्वित करने का प्रश्न उसके सरकार द्वारा भली प्रकार छानबीन किये जाने तथा संमोदित किये जाने के पश्चात् ही उत्पन्न होगा ।

†**श्री राधा रमण** : : माननीय मंत्री ने अभी यह कहा है कि हाल ही में एक अन्तरिम योजना प्रकाशित हुई थी । क्या उसकी प्रतियां संसद् सदस्यों को दी गई थीं; और यदि नहीं, तो क्या वे अब दी जायेंगी ?

†**श्री करमरकर** : पहले मैं स्वयं इस बात का विनिश्चय कर लेना चाहता हूं कि वे दी गई थीं या नहीं, परन्तु जहां तक मेरा ख्याल है वे नहीं दी गई हैं और इस उद्देश्य से कि संसद् सदस्य उसे खरीद सकें हमने उसकी दो रुपये और कुछ आने कीमत रखी हुई है । प्रश्न संस्करण में ५०० प्रतियां छपी हैं । संभव है कि इनके बिकने में कुछ समय लग जायेगा । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे खरीदने का पूरा प्रयत्न करेंगे ?

†**श्री राधा रमण** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नगर योजना अभिकरण द्वारा एक बृहद योजना बनायी जा रही है ? क्या उस समय सरकार के पास दिल्ली नगर के कुछ क्षेत्रों, जिनमें चांदनी चौक भी सम्मिलित है, को गिरा देने की संभावनाओं से सम्बन्ध रखने वाले आंकड़े हैं ?

†**श्री करमरकर** : यह प्रश्न दीखता तो बहुत छोटा सा है, परन्तु उसका उत्तर बहुत बड़ा होगा ।

पहली बात तो यह है कि मकान गिराने का प्रश्न केवल विशेष मामलों में उत्पन्न होता है—जैसे कि गन्दी बतिस्त्रों की सफाई । यह प्रस्थापना है कि जब तक बृहद् योजना को कोई अन्तिम रूप नहीं दिया जाता तब तक तथा संभव और यथावश्यक काम होता जाये ।

माननीय सदस्य कुछ और भी पूछ रहे थे ।

†**श्री राधा रमण** : चांदनी चौक ।

†**श्री करमरकर** : चांदनी चौक के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : इतनी बड़ी योजना के बारे में छोटे से प्रश्न में चर्चा कैसे की जा सकती है ? माननीय सदस्यों के पास अन्य उपाय भी हैं । यदि वे संतुष्ट नहीं हैं तो वे आधा घण्टे १ घण्टे अथवा १½ घण्टे की चर्चा के लिये कह सकते हैं । प्रश्न काल में सारा समय केवल एक ही प्रश्न के लिये मैं नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भाखड़ा नांगल बांध

†*१४२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पंजाब और राजस्थान द्वारा भाखड़ा नांगल बांध के लिये कुल कितनी राशि दी गई है, और उन दोनों राज्यों को उस बांध से कितने लाभ हुए हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी की गयी है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८]**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से यह प्रतीत होता है कि परियोजना पर अभी तक लगभग १११ करोड़ रुपये लग चुका है । क्या सरकार को इस बात का कोई अनुमान है कि परियोजना पर कितनी राशि खर्च होगी, और इसमें पंजाब और राजस्थान सरकारों का कितना अंश है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जैसा कि उत्तर में बताया गया है, हमने पहले ही १,०७,५६,०९,८५१ रुपये पंजाब को और ३,७०,८८,४५० रुपये राजस्थान को अदा कर दिये हैं । वर्तमान गणना के अनुसार खर्च लगभग १७२.५४ करोड़ रुपया होगा । पंजाब और राजस्थान का अनुपात क्रमशः ८४.७८ प्रतिशत और १५.२२ प्रतिशत होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : राजस्थान को कब से बिजली मिलनी आरम्भ हो जायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक विद्युत् संभरण का सम्बन्ध है, आशा है कि एक वर्ष के अन्दर अन्दर बिजली राजस्थान तक पहुंच जायेगी ।

†**श्री केशव** : क्या केन्द्रीय सरकार ने भी इस परियोजना में अंश दान दिया है और यदि हां, तो क्या नियंत्रक महालेखापरीक्षक को इस परियोजना के लेखों का परीक्षण करने का अधिकार है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : केन्द्र ने रुपया दिया है । यह बात उत्तर में बता दी गयी है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, उसके लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री पुन्नस** : इस परियोजना में कितनी विद्युत् उत्पन्न की गई है, और उसका प्रति किलोवाट क्या मूल्य है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : लगभग ७२,०००किलोवाट का उत्पादन किया जा चुका है । अब लगभग ४००,००० किलोवाट और बिजली पैदा की जायेगी । जहां तक उसके मूल्य का सम्बन्ध है, उसके लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री ह० चं० माथुर** : क्या राजस्थान सरकार ने इस बात की शिकायत की है कि उन्हें बिजली देने में असाधारण देरी की गयी है, और यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : उन्होंने हमारे साथ पत्र-व्यवहार किया है, और हमने उन्हें समझा दिया है कि इस्पात की उपलब्धि में कठिनाई थी । परन्तु अब वे कठिनाइयां दूर की जा रही हैं, और मैं समझता हूं कि हम एक वर्ष में ही वहां तक बिजली पहुंचा देंगे ।

†**श्री दासप्पा** : क्या इस परियोजना के लिये राजस्थान और पंजाब को सरकारें, उस राशि के अतिरिक्त जो कि उन्हें केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में प्राप्त हुई थीं, कोई और राशि की भी व्यवस्था कर सकी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : इस बारे में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य पूर्वसूचना देंगे तो मैं इस बारे में पता करूंगा ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : कुल विनियोग पर कितनी प्राप्ति होगी ?

श्री स० का० पाटिल : इस बारे में इसी समय बताना कठिन है । यह तो ऐसा मामला है, जिस के बारे में पूछताछ करनी होगी । यदि पूर्वसूचना दी जाये तो मैं जानकारी दे सकता हूं ।

सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन

†*१४३. { **श्री नरसिंहन्** :
श्री सें० वें० रामस्वामी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **रेलवे** मंत्री २३ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन के सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : क्षेत्र कार्य हो रहा है और आशा है कि वह इस मास के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या इस सर्वेक्षण की पूर्ति के लिये कोई कालावधि निर्धारित की गई थी, और यदि हां, तो उसका कहां तक पालन किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सामान्यतया इस प्रकार के सर्वेक्षणों के लिये कोई कालावधि निर्धारित नहीं की जाती, क्योंकि अलग अलग सर्वेक्षणों के लिये विभिन्न परिस्थितियों के कारण अलग अलग समय लगता है । परन्तु आशा है कि यह सर्वेक्षण इस मास के अन्त तक पूरा हो जायेगा, और इसका प्रतिवेदन सितम्बर तक रेलवे बोर्ड के पास पहुंच जायेगा ।

†**श्री नरसिंहन्** : सर्वेक्षण के अधीन एक ओर तो धर्मपुरी तथा सैलम के बीच और दूसरी ओर होसूर तथा बंगलौर के बीच कौन कौन से स्टेशन धर्मपुरी तथा होसूर के बीच तोड़ी हुई रेलवे लाइन के पुराने मार्ग के अतिरिक्त नये मार्ग पर आयेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस प्रकार के ब्यौरे अभी तक इतनी जल्दी नहीं दिये जा सकते ।

†**श्री दासप्पा** : इस सर्वेक्षण से क्या परिणाम निकला है ? क्या इसके किसी उपयुक्त अवधि में कार्यान्वित किये जाने की कोई आशा है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसका परिणाम लगभग वही है जो कि सभी सर्वेक्षणों का हुआ करता है । मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस लाइन के निर्माण की कोई आशा नहीं है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह सच है कि इस सर्वेक्षण के कार्य की गति जानबूझ कर मन्द कर दी गयी है क्योंकि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कोई भी नई लाइन नहीं बनाना चाहती ?

†**श्री शाहनवाज खां** : काम की गति को मन्द करने के बारे में कोई प्रयत्न नहीं किया गया । जैसा मैं ने कहा है, यह काम इस मास के अन्त तक पूरा हो जायेगा । परन्तु यदि सर्वेक्षण इससे पहले भी पूरा हो जाये तो लाइन निर्माण का कार्य प्रारम्भ होने की बहुत कम संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नरसिंहन्** : क्या सरकार को ज्ञात है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस क्षेत्र में और उसके आस पास अल्यूमिनियम तथा लिग्नाइट की दो बड़ी परियोजनायें प्रारम्भ की जायेंगी, और क्या इन दो परियोजनाओं की पूर्ति के लिये भावी योजना में कुडलूर, सैलम तथा बंगलौर के बीच परिवहन सुविधाओं को उचित रूप से बढ़ाना आवश्यक न होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखता हूं कि अनुपूरक प्रश्नों के रूप में जितने प्रश्न पूछे गये हैं, उनमें से ७५ प्रतिशत तो केवल सुझावों के रूप में हैं। यदि माननीय मंत्री एक उत्तर देते हैं तो सदस्य अपनी युक्तियों से उन्हें अपने मत का बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी बातें तो किसी संकल्प अथवा किसी पृथक् प्रस्ताव में रखी जा सकती हैं। इस प्रश्न के उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं।

†**श्री नरसिंहन्** : मैं समझाना चाहता हूं कि .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझ गया हूं। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या १४४।

†**श्री केशव** : मेरा यह सुझाव है कि प्रश्न संख्या १५२ को भी प्रश्न संख्या १४४ के साथ ले लिया जाये, क्योंकि दोनों का विषय एक समान है।

†**श्री राज बहादुर** : जी, हाँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

डाक और तार विभाग के सर्कलों का पुनर्गठन

†*१४४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप डाक और तार विभाग के सर्कलों के पुनर्गठन से सम्बन्ध रखने वाली प्रस्थापना की इस समय क्या स्थिति है ;

(ख) उसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ; और

(ग) इस समय देश में कुल कितने सर्कल हैं और पुनर्गठन के बाद उनकी संख्या कितनी होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). इस समय डाक और तार के कुल १३ सर्कल हैं जिनमें दिल्ली सर्कल भी सम्मिलित है। सर्कलों की सीमाओं की सामान्य रूप से पुनर्व्यवस्था करने के बारे में इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है।

मैसूर में डाक और तार का प्रशासनीय सर्कल

†

†*१५२. { **श्री केशव** :
श्री तिम्मय्या :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्णाटक या मैसूर के लिये डाक और तार का एक प्रशासनीय सर्कल स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की कोई प्रस्थापना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अभी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इसका तात्पर्य है कि हमने भाषाओं के आधार पर सर्कल बनाने का विचार ही छोड़ दिया है ?

†**श्री राज बहादुर :** वास्तव में, ये सर्कल कभी भी प्रान्तीय सीमाओं के आधार पर नहीं बनाये गये थे; वे तो प्रशासनीय सुविधाओं की दृष्टि से बनाये गये थे जो कि इस बात पर निर्भर करते थे कि किसी क्षेत्र विशेष में कितने डाक घर और तार-घर हैं और उनमें कितना काम होता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के महानिदेशक ने इस प्रश्न पर विचार किया था और इस के सम्बन्ध में कुछ काम किया भी गया था, परन्तु न जाने क्या बात है, अचानक ही काम रोक दिया गया ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं माननीय सदस्य के संशय को दूर करना चाहता हूं । प्रश्न यह था कि क्या इस प्रकार की कोई प्रस्थापना थी । मैं ने बताया है कि अभी इस प्रकार की कोई भी प्रस्थापना विचाराधीन नही है । इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी निर्णय से बाध्य हैं । यदि परियात (ट्रैफिक) अथवा डाकघरों की संख्या के आधार पर किसी नये सर्कल की आवश्यकता का अनुभव किया गया तो हम उस प्रस्ताव पर अवश्य विचार करेंगे ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या यह सच है कि गत संसद् के अन्तिम सत्र में सरकार द्वारा इस सभा में बताया गया था कि पुनर्गठित राज्यों के आधार पर डाक और तार विभाग के सर्कलों को पुनर्गठित करने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस प्रस्थापना का क्या बना है ?

†**श्री राज बहादुर :** उस समय यह कहा गया था—मैं केवल अपनी स्मृति मात्र से बता रहा हूं—कि यह आवश्यक नहीं है कि डाक और तार के सर्कल राज्यों की सीमाओं के आधार पर ही बनाये जायें । संभव है कि कहीं कहीं पर सर्कल में ही दो राज्य आ जायें, या कहीं उससे भी अधिक राज्य आ जायेंगे ।

†**श्री ब० स० मूर्ति : इसका क्या कारण है कि आन्ध्र प्रदेश डाक सर्कल अभी तक करनूल में है और हैदराबाद को स्थानान्तरित नहीं किया गया है ?**

†**श्री राज बहादुर : जैसा मैं ने कहा है, पुराने सर्कलों की पुरानी सीमाएं अभी तक वैसी ही हैं ।**

†**श्री केशव : मैसूर सर्कल के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?**

†**श्री राज बहादुर : जब और जैसे इस बारे में किसी प्रस्थापना पर विचार किया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई निर्णय हो जायेगा ।**

श्री राधे लाल व्यास उठे—

†**अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर अलग सर्कलों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता । अगला प्रश्न ।**

दिल्ली विद्युत् कर्मचारी

†**१५३. श्री बहादुर सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली विद्युत् बोर्ड की वितरण शाखा के कर्मचारियों ने अप्रेल, १९५७ के मध्य में हड़ताल की थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन के द्वारा क्या क्या मांगें रखी गयी थीं ;

(ग) वे मांगें कहां तक पूरी की जा चुकी हैं ;

(घ) हड़ताल के कारण लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में प्रतिदिन औसतन कितनी शिकायतें आती हैं ; और

(ङ) क्या किसी क्षेत्र में संभरण निलम्बित भी किया गया था ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड के भूतपूर्व मीटर रीडर श्री लक्ष्मी नारायण की पुनर्नियुक्ति जिन्हें कि अपचार के आरोप पर बोर्ड द्वारा सेवा से मुक्त कर दिया गया था ।

(ग) दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड और दिल्ली विद्युत् कर्मचारी संघ के मध्य हुए एक करार के अनुसार, श्री लक्ष्मी नारायण का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री शंकर सरन को सौंप दिया गया है ।

(घ) कोई नहीं ।

(ङ) जी, नहीं ।

†**श्री बहादुर सिंह** : क्या सरकार ने हड़ताल के उन दिनों में कोई अतिरिक्त धन खर्च किया था ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरे पास इस समय इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी नहीं है कि यदि इस बात की आवश्यकता हुई होगी कि बिजली के निर्बाध सम्भरण के लिये धन खर्च किया जाये तो धन खर्च किया गया होगा । यदि पूर्व सूचना दी जाये तो मैं उसका ठीक-ठीक उत्तर दे सकूंगा ।

कलकत्ता गोदी क्षेत्र में चोरियां

†*१४७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन पुलिस, सीमा शुल्क और पत्तन आयुक्तों में समन्वय की कमी के कारण कलकत्ता गोदी क्षेत्र में प्रतिमास लाखों रुपयों की चोरियां हो रही हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार कलकत्ता पत्तन में चोरी निरोधक कार्यवाहियों के मामले में पुलिस, सीमा शुल्क और पत्तन प्राधिकारियों में समन्वय रखा जाता है । एक चोरी निरोधक समिति, जिसमें कलकत्ता आयात व्यापार संथा, बीमा कम्पनियों, सीमा शुल्क विभाग, पुलिस और पत्तन आयुक्तों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, मास में एक बार स्थिति पर विचार करती है और उसके परिणाम पर्याप्त उत्साहवर्धक सिद्ध हुए हैं । चोरी के मामले फरवरी, १९५७ में ८६ थे, जबकि नवम्बर, १९५६ में ९५ थे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस गोदी में ८००० पाकिस्तानी राष्ट्रजन काम कर रहे हैं और क्या ये चोरियां उन्हीं लोगों के कारण से नहीं हो रही हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : इसकी जांच तो पुलिस ही कर सकती है; मैं इस कथन की सच्चाई के बारे में कुछ कहने में असमर्थ हूं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इन विदेशी राष्ट्रजनों के स्थान पर भारतीय लोगों को रखने के सम्बन्ध में क्या कायवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** वास्तविक प्रश्न का सम्बन्ध इस बात से था कि सरकार ने चोरियों को रोकने के लिये क्या क्या कार्यवाही की है और इस प्रश्न में अब यह पूछा जा रहा है कि विदेशी राष्ट्रजनों के स्थान पर भारतीयों को रखने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही हैं । यह एक व्यापक प्रश्न है ; मेरा विचार है कि सरकार इस बात की ओर पूरा पूरा ध्यान दे रही है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच है कि पिछले वर्ष पत्तन आयुक्त ने इस चोरी को रोकने के लिये एन० वी० सी० से कुछ व्यक्ति भरती किये थे और क्या इस का कोई अच्छा परिणाम निकला है ?

†**श्री राज बहादुर :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री हेम बरुआ :** सरकार द्वारा पुलिस और सीमा शुल्क के पदाधिकारियों में, जिनकी उपेक्षा के कारण ही ये चोरियां हुई हैं, समन्वय उत्पन्न करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसा कि मैं ने कहा है, एक समिति, जिसमें पुलिस, बीमा कम्पनियों, सीमा शुल्क पदाधिकारियों, आयात व्यापार सन्थाओं तथा पत्तन आयुक्तों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, प्रति मास स्थिति का पुनरीक्षण करती है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** इस समिति में श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं लिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** यह एक प्रशासनीय मामला है और इसका सम्बन्ध चोरियों से है, और मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का तात्पर्य क्या है ।

केरल में उचित मूल्य वाली दूकानें

†

†*१४८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अ० म० थामस :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में किस प्रकार का उबला हुआ या कच्चा चावल अधिक पसन्द किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में उचित मूल्य वाली दूकानों के लिये उपलब्ध अधिकांश चावल कच्चा चावल है ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) से (ग). केरल में उबले हुए चावल अधिक पसन्द किये जाते हैं । इस प्रकार के चावल का निर्यात केवल बर्मा ही करता है । बताया जाता है कि वहां भी यह चावल सीमित रूप में उपलब्ध है । वर्तमान संकेतों से यह प्रतीत होता है कि इस वर्ष ५ लाख टन उबले चावल के ठेके में से हमें संभवतः २ लाख टन कम मिलेगा । उपलब्धता को देखते हुए उबले हुए चावल के संभरण के मामले में केरल को प्राथमिकता दी जाती है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** आगामी ७ मासों के लिये केरल राज्य की कितनी आवश्यकता है और सरकार केरल को कितना चावल देने का विचार रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** इस के सम्बन्ध में केरल के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री से मेरी पूरी बात चीत हुई है और यह निर्णय किया गया है कि हम आगामी तीन मासों

---

†मूल अंग्रजी में

अर्थात् जून, जुलाई और अगस्त में ७५,००० टन चावल संभरित करेंगे, और उसके पश्चात् अगली फसल आ जायेगी ।

इस समय केरल के स्टाक में कच्चा चावल है । परन्तु हमें आशा है कि शीघ्र ही उबला हुआ चावल वहां पहुंच जायेगा और हम वहां पर ३०,००० या ४०,००० टन उबला हुआ चावल भेज सकेंगे ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : उचित मूल्य वाली दूकानों पर बिकने वाले चावल के मूल्य और बाजार में बिकने वाले चावल के मूल्य में कितना अन्तर है ?

श्री अ० प्र० जैन: बाजार में बिकने वाले उबले हुए चावल का मूल्य उचित मूल्य वाली दूकानों पर बिकने वाले चावल के मूल्य की तुलना में बहुत अधिक है ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश में अभी अभी धान की जो फसल काटी गयी है वह मुख्य रूप से उबले हुए चावल के रूप में प्रयुक्त की जायेगी, और यदि हां, तो क्या सरकार वह चावल उचित मूल्य पर केरल के लिये प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : केरल के व्यापारी यदि चाहें तो उस चावल को खुले बाजार से खरीद सकते हैं । मैं तो वास्तव में बर्मा से आयात किये गये चावल का उल्लेख कर रहा था ।

नये स्टेशनों का खोला जाना

१४९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भटनी जंक्शन और भाटपार रानी स्टेशनों तथा भटनी और सलेमपुर रेलवे स्टेशनों के बीच अत्यधिक दूरी को ध्यान में रखते हुए नये स्टेशन खोलने की किसी प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): यह प्रस्थापना है कि भटनी जंक्शन और भाटपार रानी तथा भटनी जंक्शन और सलेमपुर के बीच लाइन की क्षमता बढ़ाने के लिये एक एक क्रासिंग स्टेशन खोला जाये ।

यह भी प्रस्थापना है कि इन क्रासिंग स्टेशनों के बन जाने के थोड़े समय बाद ही यात्रियों के लिये भी इन्हें खोल दिया जाये ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : नये स्टेशन बनाने का काम कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : भटनी और सलेमपुर के बीच तो क्रासिंग स्टेशन लगभग पूरा होने वाला है और आशा है कि इसे माल के लिये तो जुलाई, १९५७ में और यात्रिओं के लिये सितम्बर, १९५७ में खोल दिया जायेगा । दूसरे स्टेशन का काम १९५७–५८ के कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : दूसरा स्टेशन, भटनी और भाटपार रानी के बीच वाला स्टेशन कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें आशा है कि वह शीघ्र ही पूरा हो जायेगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दो स्टेशनों के बीच एक स्टेशन स्थापित करने से सम्बन्ध रखने वाले साधारण से प्रश्न के लिये हम अपना इतना अधिक समय नष्ट नहीं कर सकते । माननीय सदस्य यदि आवश्यक समझें तो मंत्री जी को पत्र लिख कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांवों में बिजली लगाना

*१५०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के गांवों और छोटे नगरों में बिजली लगाने की एक व्यापक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मोटी रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) उसे कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) से (ग). विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]**

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ७५ करोड़ रुपये इस कार्य के लिये रखे गये हैं और पहले वर्ष में २१७९ क्षेत्रों में विद्युतीकरण होगा। क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि इस कार्यक्रम के बावजूद भी बहुत से इलाके ऐसे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल का इलाका, जहां कि अभी तक बिजली का एक बल्ब भी नहीं दिया गया है। क्या इस प्रकार के पिछड़े हुए इलाकों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा ?

श्री स० का० पाटिल : हमारे पास जो योजनायें आती हैं वे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास से आती हैं। इस प्रश्न पर पहले स्टेट गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये, उसके बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया उस पर विचार कर सकती है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि जिन नगरों में कैंटोनमेंट हैं वे प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत हैं और वहां राज्य सरकारें अपनी बिजली की योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही हैं क्योंकि रक्षा मंत्रालय की ओर से अड़चनें पैदा की जाती हैं। क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई मार्ग निकाला जायेगा ताकि उन क्षेत्रों में भी कार्य हो सके ?

श्री स० का० पाटिल : जरूर, जब यह चीज हमारे सामने आयेगी तो उसका मार्ग निकाला जायेगा।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : प्रथम योजना में यह सुझाव दिया गया है कि गांवों में बिजली लगाने के लिये ग्राम्य सहकारी संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्राम्य विद्युत् प्रशासन के समान ही यहां भी किसी निकाय की स्थापना की जाये। क्या इस प्रकार का कोई निकाय द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में ही स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। परन्तु, जहां तक प्रथम योजना का सम्बन्ध है, निर्धारित किये गये २० करोड़ रुपयों का भी पूरा पूरा उपयोग नहीं किया गया था। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, (अर्थात् क्या इस प्रकार के निकाय की स्थापना पर विचार किया जा रहा है) उसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या, उन हरिजन बस्तियों और पिछड़ी जातियों की बस्तियों को, जो कि हरिजनों द्वारा स्वयं बनायी गयी हैं, कोई सहायता दी जा रही है ; और यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश को कितनी राशि दी गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक हरिजन बस्तियों या किन्हीं और विशेष बस्तियों का सम्बन्ध है, यह कार्य राज्य सरकारों का है। जहां तक हमारा और राज्य सरकारों का सम्बन्ध है,

---

†मूल अंग्रेजी में

हम उन योजनाओं की जांच करते हैं और धन निर्धारित करते हैं। जहां तक इस विशेष प्रश्न का सम्बन्ध है, इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, इस पर राज्य सरकारें विचार कर रही हैं ।

जहां तक आंध्र के आवंटन का प्रश्न है मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। किन्तु जो कुछ कार्य अभी तक किया गया है उसमें आंध्र का स्थान बहुत ऊंचा है; १४४ गांवों में यह योजना क्रियान्वित की जा चुकी है।

†**श्री शिवनंजप्पा** :प्रथम योजना की अवधि में कितने गांवों में बिजली लगाई गई ?

†**श्री स० का० पाटिल** : २१७९ गांवों में।

†**श्री हेडा** : पहले यह नीति निर्धारित की गई थी कि जिन ग्राम्य क्षेत्रों में बड़ी बड़ी जल-विद्युत् परियोजनाएं चल रही हैं उन्हें उसी विद्युत् शक्ति में से कुछ अंश दिया जायेगा। किन्तु अभी तो कुछ और ही किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, निजाम सागर जल विद्युत् परियोजना की सम्पूर्ण विद्युत्शक्ति नगर की ओर प्रवाहित की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों को कोई अंश नहीं मिल रहा है। क्या सरकार ने पुराने सिद्धान्त को तिलांजलि दे दी है अथवा वे किसी अन्य विधि से उसे क्रियान्वित कर रहे हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हमने किसी को भी तिलांजलि नहीं दी है। जैसा मैंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा था, इस प्रकार के कार्य का आरम्भ राज्य सरकार करेगी। उसके पश्चात् केन्द्र तथा राज्य परस्पर उस पर विचार करेंगे। यदि यह विषय हमें निर्दिष्ट किया गया तो हम निस्सन्देह इस पर विचार करेंगे।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : ग्राम्य क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में बिजली लगाने में कितना खर्च होता है और ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगाने के खर्च में कमी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस प्रकार के अत्यधिक टेकनीकल प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व-सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री सुपाकर** : ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिये राज्यवार कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरे पास राज्यवार आवंटन नहीं हैं किन्तु मैं यह बता सकता हूं कि प्रत्येक राज्य में कितने गांवों में बिजली लगाई गई है। यदि माननीय सदस्य आवंटन जानना चाहते हैं तो जैसा मैंने मूल प्रश्न का उत्तर देते समय कहा था, यह राज्य, विद्युत् शक्ति की उपलब्धि और अन्य अनेक आवश्यक बातों पर निर्भर है। इस वितरण में भी माननीय सदस्य देखेंगे कि कुछ राज्यों ने इसका लाभ उठाया है जब कि परिस्थितियों की भिन्नता के कारण अन्य राज्यों में ऐसा नहीं किया जा सका।

श्री नवल प्रभाकर : इस सम्बन्ध में केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में सरकार की क्या नीति है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरा विचार है कि इसका उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है और हम इसे उसी स्तर पर मानते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड

†*१५१. **श्री तंगामणि :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यासी बोर्ड, मद्रास पत्तन के अधीन पत्तन श्रमिक भारत सरकार से शीघ्र वेतन-बोर्ड नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). यह मांग वेतन बोर्ड की नियुक्ति के बारे में नहीं थी किन्तु तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम में परिवर्द्धन करने के लिये थी। यह मांग अखिल भारत पत्तन तथा गोदी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा रखी गई थी और भारत के सम्पूर्ण वृहद् पत्तन के उक्त वर्ग के कर्मचारियों से इसका सम्बन्ध था। सरकार को मूल मजूरी बढ़ाने के लिये कोई औचित्य दिखाई नहीं दिया किन्तु उसने यह अनुभव किया कि सम्पूर्ण वृहद् पत्तनों की तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम, भत्ते, छुट्टियां, अवकाश नियम, काम करने के घंटे, निर्धारित समय से अधिक, भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति के समय उपदान और सेवा की दूसरी शर्तों में विषमताओं और विसंगतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उसने यह देखने की आवश्यकता भी अनुभव की कि किस सीमा तक नया रूप दिया जा सकता है और एकरूपता स्थापित की जा सकती है। एक विशेष कार्य अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं। वह शीघ्र ही सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

†**श्री तंगामणि :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी वह केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम को नया रूप देने और विसंगतियों के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और यह कि १ अक्तूबर, १९५३ से वेतन पर पुनर्विचार नहीं किया गया है, क्या माननीय मंत्री इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य उद्योगों में अनेक वेतन बोर्डों की स्थापना की जा रही है यह बताएंगे कि क्या एक दूसरा वेतन-बोर्ड नियुक्त किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर:** मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस प्रेस नोट की ओर दिला दूं। जो मैंने सरकारी प्रतिनिधियों के साथ सम्बन्धित फेडरेशन की मीटिंग के पश्चात् जारी किया था। इसमें कहा गया है कि सभी वृहद् पत्तनों में उक्त वर्ग के कर्मचारियों की सेवा की अवस्था में यथासम्भव एकरूपता लाने का प्रयत्न किया जायेगा। मेरा विचार है कि इसमें प्रायः वे सब बातें आ गई हैं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

†**श्री तंगामणि :** कलकत्ता, मद्रास, विजाग और कोचीन के पांच बड़े पत्तनों से बार-बार यह मांग की गई है कि वेतन बोर्ड की स्थापना की जाये किन्तु हर बार सरकार द्वारा यही उत्तर दिया गया है कि प्रथम वेतन आयोग की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो ठीक है परन्तु माननीय सदस्य सरकार से क्या चाहते हैं ?

†**एक माननीय सदस्य :** मजूरी बोर्ड।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के घंटा का उपयोग केवल इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिये लगाया जाये जो छपी हुई पुस्तकों में उपलब्ध न हो और सदस्यों को ज्ञात न हो। किसी प्रकार का वाद-विवाद, संकल्प सुझाव आदि इस समय नहीं रखे जाने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में
*Board of Trustees

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या वेतनों की विसंगति की जांच के लिये नियुक्त अधिकारी ने आन्तरिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं नही समझता कि उन्होंने अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, किन्तु वह कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधियों से मिले हैं ।

स्टेशनों पर शिकायत पुस्तकें

***१५४. श्री अमर सिंह डामर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि रतलाम डिवीजन और नई दिल्ली स्टेशन के कुछ स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर सच्ची शिकायतों को दर्ज करने के लिये शिकायत पुस्तकें देने से इन्कार करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३१–३–५७ को जो साल खत्म हुआ उस में इस तरह की ९ शिकायतें रतलाम डिवीजन में और १ शिकायत नई दिल्ली स्टेशन पर मिली है ।

(ख) इन सब शिकायतों की जांच की गयी ।

रतलम डिवीजन की ४ शिकायतें सही साबित हुईं और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गयी है ।

नयी दिल्ली स्टेशन की शिकायत भी सही साबित हुई है और सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री ब० स० मूर्त्ति : इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में भी दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री अमर सिंह डामर: क्या मैं जान सकता हूं कि रतलाम में जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई, उसका नतीजा क्या निकला ?

श्री शाहनवाज खां : उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई ।

†**श्री राधा रमण :** अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्वरूप क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** दिल्ली अथवा रतलाम में ?

†**श्री राधा रमण :** माननीय मंत्री ने रतलाम के बारे में कहा है ।

†**श्री शाहनवाज खां :** इस प्रकार की गलतियां करने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिये निर्धारित अनुशासन सम्बन्धी नियमों के अनुसरण में कार्यवाही की गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने यह नहीं पूछा कि किस प्रक्रिया नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । वह कार्यवाही का प्रभाव जानना चाहते हैं । क्या कोई दण्ड दिया गया था और यदि हां तो क्या ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : उनकी भर्त्सना की गई है। किन्तु यह साधारण सा वण्ड है अतः रेलवे का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है ।

"जल वल्लभ"

†*१५५. **श्री मं० रं० कृष्ण :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय मालवाही जहाज 'जल वल्लभ' स्वेज में आग लग जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ ;

(ख) यदि हां, तो जहाज की क्षति की सीमा ;

(ग) इसकी सम्पूर्ण मरम्मत में कितनी रकम खर्च होगी ;

(घ) क्या कोई जनहानि हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मृत व्यक्ति सब भारतीय राष्ट्र जन हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस समय ज्ञात नहीं है । सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी के मैरीन सुपरिन्टेण्डेण्ट की, जो विमान द्वारा स्वेज गये हैं, रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : आग लगने का क्या कारण है तथा क्या जहाज और उसके सामान का बीमा किया गया था और यदि हां, तो यह बीमा किसी भारतीय फर्म में था अथवा विदेशी फर्म में ?

†**श्री राज बहादुर** : सामान्य प्रथा के अनुसार जहाज और उसके माल का बीमा होना ही चाहिये । मुझे बताया गया है कि इस में रुई थी जो पोर्ट सईद में लादी गई थी । आग लगने के कारण के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं और न इस विषय में की जाने वाली किसी जांच पर ही कोई प्रतिकूल प्रभाव डालना चाहता हूं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : इस जहाज की मरम्मत विजाग शिपयार्ड में की जायेगी अथवा किसी विदेशी शिपयार्ड में ?

†**श्री राज बहादुर** : इस में केवल अस्थायी क्षति हुई थी और ठीक स्वेज में ही इसकी मरम्मत कर दी गई थी । तीन दिन पश्चात् २८ अप्रैल को पुनः यह चालू हालत में हो गया था । यह गम्य स्थान पर पहुंच गया था और अब वापस भी आ रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री ने कहा है कि सिंधिया नेविगेशन कम्पनी के मैरीन सुपरिन्टेन्डेन्ट वहां गये हैं । क्या मैं इस बात का कारण जान सकता हूं कि भारत सरकार में प्रमुख मैरीन अधिकारी जांच हेतु वहां क्यों नहीं गये ?

†**श्री राज बहादुर** : भारतीय व्यापारी नौवहन अधिनियम के कारण सरकार उसी समय इससे सम्बद्ध होती है जब किसी की मृत्यु की रिपोर्ट हो । जहाज के भारत लौट आने पर यह बात बताई जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लक्ष्मी देवी चीनी मिल, छितौली

१५६. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मी देवी चीनी मिल, छितौली (उत्तर प्रदेश) में काम करने वाले मजदूरों ने इस साल जनवरी और फरवरी के महीनों में हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). पूछी हुई जानकारी का एक विवरण जो उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है सभा की टेबिल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]**

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जहां मिलों में मजदूर इस तरह की हड़तालें किया करते हैं और किसानों का गन्ना पड़ा रह जाता है और काफी समय लग जाता है और जिसके कि कारण उनका नुक़सान होता है, तो क्या फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कोई ऐसा इन्तजाम करती है कि मजदूरों, किसानों और मिल मालिकों का कोई एक संगठन हो ताकि इस तरह की हड़ताले न हों ?

श्री अ० प्र० जैन : हड़ताल का रोकना तो फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हाथ में है नहीं, हां गन्ने का ठीक इन्जाम कर देना एक हद तक ज़रूर हमारे हाथ में है और जब यहां पर हड़ताल हुई तो गन्ने को आसपास के दूसरे ६ कारखानों में दे दिया गया और उन्होंने इस गन्ने को पेरा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि छितौली चीनी मिल जो कि बिहार के धनहा थाने के करीब पड़ती है और जहां कि किसानों का, हड़ताल होने के कारण, ३ लाख मन गन्ना खराब हो गया, उसके वास्ते सरकार को कोई इन्जाम करना चाहिए था या नहीं ?

श्री अ० प्र० जैन : वहां कोई गन्ना खराब नहीं हुआ है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे मंत्री महोदय ने धनहा थाने में पड़ने वाले गांवों की बाबत जो कि छितौली शूगर मिल को गन्ना देते हैं, कोई जांच पड़ताल की है या जांच पड़ताल करना चाहते हैं ?

श्री अ० प्र० जैन : इसकी बाबत उत्तर प्रदेश सरकार से हमने रिपोर्ट मांगी थी और उन्होंने हम को यह लिखा है कि यह गन्ना जिस वक्त मिल के अन्दर हड़ताल हो गई तो उस गन्ने को दूसरे कारखानों को दे दिया गया और कोई गन्ना खराब नहीं गया । यह मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इत्तिला के ऊपर बता रहा हूं ।

श्री विभूति मिश्र : छितौली मिल में हड़ताल हो जाने से धनहा थाने के किसानों का गन्ना पड़ा रह गया और नहीं जा सका और करीब २,३ लाख मन गन्ना नष्ट हो गया .....

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं ।

श्री राधे लाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि जो गन्ने के सम्बन्ध में बिहार में स्थिति है वह दूसरे राज्यों में भी है, जैसे कि मध्यप्रदेश में है और वहां पर भी किसानों का गन्ना सूख गया और कारखाने वालों ने उसको नहीं खरीदा, तो उसके लिए सरकार क्या सोच रही है ताकि यह गन्ना बेकार न जाय और उसको मिल वाले ले सकें ?

श्री अ० प्र० जैन : हमारे पास तो ऐसी कोई इत्तिला नहीं है, सब कारखाने चल रहे हैं, बिहार के अन्दर भी और मध्यप्रदेश के अन्दर भी और गन्ने को पेरा जा रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इसका तात्पर्य है कि हमने भाषाओं के आधार पर सर्कल बनाने का विचार ही छोड़ दिया है ?

†**श्री राज बहादुर :** वास्तव में, ये सर्कल कभी भी प्रान्तीय सीमाओं के आधार पर नहीं बनाये गये थे; वे तो प्रशासनीय सुविधाओं की दृष्टि से बनाये गये थे जो कि इस बात पर निर्भर करते थे कि किसी क्षेत्र विशेष में कितने डाक घर और तार-घर हैं और उनमें कितना काम होता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के महानिदेशक ने इस प्रश्न पर विचार किया था और इस के सम्बन्ध में कुछ काम किया भी गया था, परन्तु न जाने क्या बात है, अचानक ही काम रोक दिया गया ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं माननीय सदस्य के संशय को दूर करना चाहता हूं । प्रश्न यह था कि क्या इस प्रकार की कोई प्रस्थापना थी । मैं ने बताया है कि अभी इस प्रकार की कोई भी प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है । इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी निर्णय से बाध्य हैं । यदि परियात (ट्रैफिक) अथवा डाकघरों की संख्या के आधार पर किसी नये सर्कल की आवश्यकता का अनुभव किया गया तो हम उस प्रस्ताव पर अवश्य विचार करेंगे ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या यह सच है कि गत संसद् के अन्तिम सत्र में सरकार द्वारा इस सभा में बताया गया था कि पुनर्गठित राज्यों के आधार पर डाक और तार विभाग के सर्कलों को पुनर्गठित करने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस प्रस्थापना का क्या बना है ?

†**श्री राज बहादुर :** उस समय यह कहा गया था—मैं केवल अपनी स्मृति मात्र से बता रहा हूं—कि यह आवश्यक नहीं है कि डाक और तार के सर्कल राज्यों की सीमाओं के आधार पर ही बनाये जायें । संभव है कि कहीं कहीं पर सर्कल में ही दो राज्य आ जायें, या कहीं उससे भी अधिक राज्य आ जायेंगे ।

†**श्री ब० स० मूर्ति : इसका क्या कारण है कि आन्ध्र प्रदेश डाक सर्कल अभी तक करनूल में है और हैदराबाद को स्थानान्तरित नहीं किया गया है ?**

†**श्री राज बहादुर : जैसा मैं ने कहा है, पुराने सर्कलों की पुरानी सीमाएं अभी तक वैसी ही हैं ।**

†**श्री केशव : मैसूर सर्कल के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?**

†**श्री राज बहादुर : जब और जैसे इस बारे में किसी प्रस्थापना पर विचार किया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई निर्णय हो जायेगा ।**

श्री राधे लाल व्यास उठे—

†**अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर अलग सर्कलों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता । अगला प्रश्न ।**

दिल्ली विद्युत् कर्मचारी

†**१५३. श्री बहादुर सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली विद्युत् बोर्ड की वितरण शाखा के कर्मचारियों ने अप्रेल, १९५७ के मध्य में हड़ताल की थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन के द्वारा क्या क्या मांगें रखी गयी थीं ;

(ग) वे मांगें कहां तक पूरी की जा चुकी हैं ;

(घ) हड़ताल के कारण लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में प्रतिदिन औसतन कितनी शिकायतें आती हैं ; और

(ङ) क्या किसी क्षेत्र में संभरण निलम्बित भी किया गया था ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड के भूतपूर्व मीटर रीडर श्री लक्ष्मी नारायण की पुनर्नियुक्ति जिन्हें कि अपचार के आरोप पर बोर्ड द्वारा सेवा से मुक्त कर दिया गया था ।

(ग) दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड और दिल्ली विद्युत् कर्मचारी संघ के मध्य हुए एक करार के अनुसार, श्री लक्ष्मी नारायण का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री शंकर सरन को सौंप दिया गया है ।

(घ) कोई नहीं ।

(ङ) जी, नहीं ।

†श्री बहादुर सिंह : क्या सरकार ने हड़ताल के उन दिनों में कोई अतिरिक्त धन खर्च किया था ?

†श्री स० का० पाटिल : मेरे पास इस समय इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी नहीं है कि यदि इस बात की आवश्यकता हुई होगी कि बिजली के निर्बाध सम्भरण के लिये धन खर्च किया जाये तो धन खर्च किया गया होगा । यदि पूर्व सूचना दी जाये तो मैं उसका ठीक-ठीक उत्तर दे सकूंगा ।

कलकत्ता गोदी क्षेत्र में चोरियां

†*१४७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन पुलिस, सीमा शुल्क और पत्तन आयुक्तों में समन्वय की कमी के कारण कलकत्ता गोदी क्षेत्र में प्रतिमास लाखों रुपयों की चोरियां हो रही हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार कलकत्ता पत्तन में चोरी निरोधक कार्यवाहियों के मामले में पुलिस, सीमा शुल्क और पत्तन प्राधिकारियों में समन्वय रखा जाता है । एक चोरी निरोधक समिति, जिसमें कलकत्ता आयात व्यापार संथा, बीमा कम्पनियों, सीमा शुल्क विभाग, पुलिस और पत्तन आयुक्तों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, मास में एक बार स्थिति पर विचार करती है और उसके परिणाम पर्याप्त उत्साहवर्धक सिद्ध हुए हैं । चोरी के मामले फरवरी, १९५७ में ८६ थे, जबकि नवम्बर, १९५६ में ९५ थे ।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस गोदी में ८००० पाकिस्तानी राष्ट्रजन काम कर रहे हैं और क्या ये चोरियां उन्हीं लोगों के कारण से नहीं हो रही हैं ?

†श्री राज बहादुर : इसकी जांच तो पुलिस ही कर सकती है; मैं इस कथन की सच्चाई के बारे में कुछ कहने में असमर्थ हूं ।

†श्री रघुनाथ सिंह : इन विदेशी राष्ट्रजनों के स्थान पर भारतीय लोगों को रखने के सम्बन्ध में क्या कायवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर : वास्तविक प्रश्न का सम्बन्ध इस बात से था कि सरकार ने चोरियों को रोकने के लिये क्या क्या कार्यवाही की है और इस प्रश्न में अब यह पूछा जा रहा है कि विदेशी राष्ट्रजनों के स्थान पर भारतीयों को रखने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही हैं । यह एक व्यापक प्रश्न है ; मेरा विचार है कि सरकार इस बात की ओर पूरा पूरा ध्यान दे रही है ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि पिछले वर्ष पत्तन आयुक्त ने इस चोरी को रोकने के लिये एन० वी० सी० से कुछ व्यक्ति भरती किये थे और क्या इस का कोई अच्छा परिणाम निकला है ?

†श्री राज बहादुर : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†श्री हेम बरुआ : सरकार द्वारा पुलिस और सीमा शुल्क के पदाधिकारियों में, जिनकी उपेक्षा के कारण ही ये चोरियां हुई हैं, समन्वय उत्पन्न करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री राज बहादुर : जैसा कि मैं ने कहा है, एक समिति, जिसमें पुलिस, बीमा कम्पनियों, सीमा शुल्क पदाधिकारियों, आयात व्यापार सन्थाओं तथा पत्तन आयुक्तों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, प्रति मास स्थिति का पुनरीक्षण करती है ।

†श्री ब० स० मूर्ति : इस समिति में श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं लिया गया है ?

†श्री राज बहादुर : यह एक प्रशासनीय मामला है और इसका सम्बन्ध चोरियों से है, और मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का तात्पर्य क्या है ।

केरल में उचित मूल्य वाली दूकानें

†

†*१४८. {श्री अ० क० गोपालन :
श्री अ० म० थामस :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में किस प्रकार का उबला हुआ या कच्चा चावल अधिक पसन्द किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में उचित मूल्य वाली दूकानों के लिये उपलब्ध अधिकांश चावल कच्चा चावल है ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). केरल में उबले हुए चावल अधिक पसन्द किये जाते हैं । इस प्रकार के चावल का निर्यात केवल बर्मा ही करता है । बताया जाता है कि वहां भी यह चावल सीमित रूप में उपलब्ध है । वर्तमान संकेतों से यह प्रतीत होता है कि इस वर्ष ५ लाख टन उबले चावल के ठेके में से हमें संभवतः २ लाख टन कम मिलेगा । उपलब्धता को देखते हुए उबले हुए चावल के संभरण के मामले में केरल को प्राथमिकता दी जाती है ।

†श्री अ० क० गोपालन : आगामी ७ मासों के लिये केरल राज्य की कितनी आवश्यकता है और सरकार केरल को कितना चावल देने का विचार रखती है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : इस के सम्बन्ध में केरल के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री से मेरी पूरी बात चीत हुई है और यह निर्णय किया गया है कि हम आगामी तीन मासों

†मूल अंग्रजी में

अर्थात् जून, जुलाई और अगस्त में ७५,००० टन चावल संभरित करेंगे, और उसके पश्चात् अगली फसल आ जायेगी ।

इस समय केरल के स्टाक में कच्चा चावल है । परन्तु हमें आशा है कि शीघ्र ही उबला हुआ चावल वहां पहुंच जायेगा और हम वहां पर ३०,००० या ४०,००० टन उबला हुआ चावल भेज सकेंगे ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : उचित मूल्य वाली दूकानों पर बिकने वाले चावल के मूल्य और बाजार में बिकने वाले चावल के मूल्य में कितना अन्तर है ?

श्री अ० प्र० जैन: बाजार में बिकने वाले उबले हुए चावल का मूल्य उचित मूल्य वाली दूकानों पर बिकने वाले चावल के मूल्य की तुलना में बहुत अधिक है ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश में अभी अभी धान की जो फसल काटी गयी है वह मुख्य रूप से उबले हुए चावल के रूप में प्रयुक्त की जायेगी, और यदि हां, तो क्या सरकार वह चावल उचित मूल्य पर केरल के लिये प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : केरल के व्यापारी यदि चाहें तो उस चावल को खुले बाजार से खरीद सकते हैं । मैं तो वास्तव में बर्मा से आयात किये गये चावल का उल्लेख कर रहा था ।

नये स्टेशनों का खोला जाना

१४९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भटनी जंक्शन और भाटपार रानी स्टेशनों तथा भटनी और सलेमपुर रेलवे स्टेशनों के बीच अत्यधिक दूरी को ध्यान में रखते हुए नये स्टेशन खोलने की किसी प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): यह प्रस्थापना है कि भटनी जंक्शन और भाटपार रानी तथा भटनी जंक्शन और सलेमपुर के बीच लाइन की क्षमता बढ़ाने के लिये एक एक क्रासिंग स्टेशन खोला जाये ।

यह भी प्रस्थापना है कि इन क्रासिंग स्टेशनों के बन जाने के थोड़े समय बाद ही यात्रियों के लिये भी इन्हें खोल दिया जाये ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : नये स्टेशन बनाने का काम कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : भटनी और सलेमपुर के बीच तो क्रासिंग स्टेशन लगभग पूरा होने वाला है और आशा है कि इसे माल के लिये तो जुलाई, १९५७ में और यात्रियों के लिये सितम्बर, १९५७ में खोल दिया जायेगा । दूसरे स्टेशन का काम १९५७–५८ के कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : दूसरा स्टेशन, भटनी और भाटपार रानी के बीच वाला स्टेशन कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें आशा है कि वह शीघ्र ही पूरा हो जायेगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दो स्टेशनों के बीच एक स्टेशन स्थापित करने से सम्बन्ध रखने वाले साधारण से प्रश्न के लिये हम अपना इतना अधिक समय नष्ट नहीं कर सकते । माननीय सदस्य यदि आवश्यक समझें तो मंत्री जी को पत्र लिख कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांवों में बिजली लगाना

*१५०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के गांवों और छोटे नगरों में बिजली लगाने की एक व्यापक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मोटी रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) उसे कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) से (ग). विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९**]

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ७५ करोड़ रुपये इस कार्य के लिये रखे गये हैं और पहले वर्ष में २१७९ क्षेत्रों में विद्युतीकरण होगा। क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि इस कार्यक्रम के बावजूद भी बहुत से इलाके ऐसे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल का इलाका, जहां कि अभी तक बिजली का एक बल्ब भी नहीं दिया गया है। क्या इस प्रकार के पिछड़े हुए इलाकों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा ?

श्री स० का० पाटिल : हमारे पास जो योजनायें आती हैं वे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास से आती हैं। इस प्रश्न पर पहले स्टेट गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये, उसके बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया उस पर विचार कर सकती है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि जिन नगरों में कैंटोनमेंट हैं वे प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत हैं और वहां राज्य सरकारें अपनी बिजली की योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही हैं क्योंकि रक्षा मंत्रालय की ओर से अड़चनें पैदा की जाती हैं। क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई मार्ग निकाला जायेगा ताकि उन क्षेत्रों में भी कार्य हो सके ?

श्री स० का० पाटिल : जरूर, जब यह चीज हमारे सामने आयेगी तो उसका मार्ग निकाला जायेगा।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** प्रथम योजना में यह सुझाव दिया गया है कि गांवों में बिजली लगाने के लिये ग्राम्य सहकारी संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्राम्य विद्युत् प्रशासन के समान ही यहां भी किसी निकाय की स्थापना की जाये। क्या इस प्रकार का कोई निकाय द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में ही स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। परन्तु, जहां तक प्रथम योजना का सम्बन्ध है, निर्धारित किये गये २० करोड़ रुपयों का भी पूरा पूरा उपयोग नहीं किया गया था। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, (अर्थात् क्या इस प्रकार के निकाय की स्थापना पर विचार किया जा रहा है) उसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या, उन हरिजन बस्तियों और पिछड़ी जातियों की बस्तियों को, जो कि हरिजनों द्वारा स्वयं बनायी गयी हैं, कोई सहायता दी जा रही है ; और यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश को कितनी राशि दी गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जहां तक हरिजन बस्तियों या किन्हीं और विशेष बस्तियों का सम्बन्ध है, यह कार्य राज्य सरकारों का है। जहां तक हमारा और राज्य सरकारों का सम्बन्ध है,

---

†मूल अंग्रेजी में

हम उन योजनाओं की जांच करते हैं और धन निर्धारित करते हैं। जहां तक इस विशेष प्रश्न का सम्बन्ध है, इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, इस पर राज्य सरकारें विचार कर रही हैं ।

जहां तक आंध्र के आवंटन का प्रश्न है मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। किन्तु जो कुछ कार्य अभी तक किया गया है उसमें आंध्र का स्थान बहुत ऊंचा है; १४४ गांवों में यह योजना क्रियान्वित की जा चुकी है।

†**श्री शिवनंजप्पा** :प्रथम योजना की अवधि में कितने गांवों में बिजली लगाई गई ?

†**श्री स० का० पाटिल** : २१७९ गांवों में।

†**श्री हेडा** : पहले यह नीति निर्धारित की गई थी कि जिन ग्राम्य क्षेत्रों में बड़ी बड़ी जल-विद्युत् परियोजनाएं चल रही हैं उन्हें उसी विद्युत् शक्ति में से कुछ अंश दिया जायेगा। किन्तु अभी तो कुछ और ही किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, निजाम सागर जल विद्युत् परियोजना की सम्पूर्ण विद्युत्शक्ति नगर की ओर प्रवाहित की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों को कोई अंश नहीं मिल रहा है। क्या सरकार ने पुराने सिद्धान्त को तिलांजलि दे दी है अथवा वे किसी अन्य विधि से उसे क्रियान्वित कर रहे हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हमने किसी को भी तिलांजलि नहीं दी है। जैसा मैंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा था, इस प्रकार के कार्य का आरम्भ राज्य सरकार करेगी। उसके पश्चात् केन्द्र तथा राज्य परस्पर उस पर विचार करेंगे। यदि यह विषय हमें निर्दिष्ट किया गया तो हम निस्सन्देह इस पर विचार करेंगे।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : ग्राम्य क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में बिजली लगाने में कितना खर्च होता है और ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगाने के खर्च में कमी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस प्रकार के अत्यधिक टेकनीकल प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व-सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री सुपाकर** : ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिये राज्यवार कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरे पास राज्यवार आवंटन नहीं हैं किन्तु मैं यह बता सकता हूं कि प्रत्येक राज्य में कितने गांवों में बिजली लगाई गई है। यदि माननीय सदस्य आवंटन जानना चाहते हैं तो जैसा मैंने मूल प्रश्न का उत्तर देते समय कहा था, यह राज्य, विद्युत् शक्ति की उपलब्धि और अन्य अनेक आवश्यक बातों पर निर्भर है। इस वितरण में भी माननीय सदस्य देखेंगे कि कुछ राज्यों ने इसका लाभ उठाया है जब कि परिस्थितियों की भिन्नता के कारण अन्य राज्यों में ऐसा नहीं किया जा सका।

श्री नवल प्रभाकर : इस सम्बन्ध में केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में सरकार की क्या नीति है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरा विचार है कि इसका उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है और हम इसे उसी स्तर पर मानते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड

†*१५१. **श्री तंगामणि :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यासी बोर्ड, मद्रास पत्तन के अधीन पत्तन श्रमिक भारत सरकार से शीघ्र वेतन-बोर्ड नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). यह मांग वेतन बोर्ड की नियुक्ति के बारे में नहीं थी किन्तु तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम में परिवर्द्धन करने के लिये थी। यह मांग अखिल भारत पत्तन तथा गोदी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा रखी गई थी और भारत के सम्पूर्ण वृहद् पत्तन के उक्त वर्ग के कर्मचारियों से इसका सम्बन्ध था। सरकार को मूल मजूरी बढ़ाने के लिये कोई औचित्य दिखाई नहीं दिया किन्तु उसने यह अनुभव किया कि सम्पूर्ण वृहद् पत्तनों की तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम, भत्ते, छुट्टियां, अवकाश नियम, काम करने के घंटे, निर्धारित समय से अधिक, भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति के समय उपदान और सेवा की दूसरी शर्तों में विषमताओं और विसंगतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उसने यह देखने की आवश्यकता भी अनुभव की कि किस सीमा तक नया रूप दिया जा सकता है और एकरूपता स्थापित की जा सकती है। एक विशेष कार्य अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं। वह शीघ्र ही सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

†**श्री तंगामणि :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी वह केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम को नया रूप देने और विसंगतियों के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और यह कि १ अक्तूबर, १९५३ से वेतन पर पुनर्विचार नहीं किया गया है, क्या माननीय मंत्री इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य उद्योगों में अनेक वेतन बोर्डों की स्थापना की जा रही है यह बताएंगे कि क्या एक दूसरा वेतन-बोर्ड नियुक्त किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर:** मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस प्रेस नोट की ओर दिला दूं। जो मैंने सरकारी प्रतिनिधियों के साथ सम्बन्धित फेडरेशन की मीटिंग के पश्चात् जारी किया था। इसमें कहा गया है कि सभी वृहद् पत्तनों में उक्त वर्ग के कर्मचारियों की सेवा की अवस्था में यथासम्भव एकरूपता लाने का प्रयत्न किया जायेगा। मेरा विचार है कि इसमें प्रायः वे सब बातें आ गई हैं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

†**श्री तंगामणि :** कलकत्ता, मद्रास, विजाग और कोचीन के पांच बड़े पत्तनों से बार-बार यह मांग की गई है कि वेतन बोर्ड की स्थापना की जाये किन्तु हर बार सरकार द्वारा यही उत्तर दिया गया है कि प्रथम वेतन आयोग की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो ठीक है परन्तु माननीय सदस्य सरकार से क्या चाहते हैं ?

†**एक माननीय सदस्य :** मजूरी बोर्ड।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के घंटा का उपयोग केवल इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिये लगाया जाये जो छपी हुई पुस्तकों में उपलब्ध न हो और सदस्यों को ज्ञात न हो। किसी प्रकार का वाद-विवाद, संकल्प सुझाव आदि इस समय नहीं रखे जाने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Board of Trustees

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या वेतनों की विसंगति को जांच के लिये नियुक्त अधिकारी ने आन्तरिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं नही समझता कि उन्होंने अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, किन्तु वह कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधियों से मिले हैं ।

स्टेशनों पर शिकायत पुस्तकें

***१५४. श्री अमर सिंह डामर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि रतलाम डिवीजन और नई दिल्ली स्टेशन के कुछ स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर सच्ची शिकायतों को दर्ज करने के लिये शिकायत पुस्तकें देने से इन्कार करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३१–३–५७ को जो साल खत्म हुआ उस में इस तरह की ९ शिकायतें रतलाम डिवीजन में और १ शिकायत नई दिल्ली स्टेशन पर मिली है ।

(ख) इन सब शिकायतों की जांच की गयी ।

रतलम डिवीजन की ४ शिकायतें सही साबित हुईं और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गयी है ।

नयी दिल्ली स्टेशन की शिकायत भी सही साबित हुई है और सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री ब० स० मूर्ति : इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में भी दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री अमर सिंह डामर: क्या मैं जान सकता हूं कि रतलाम में जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई, उसका नतीजा क्या निकला ?

श्री शाहनवाज खां : उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई ।

†**श्री राधा रमण :** अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्वरूप क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** दिल्ली अथवा रतलाम में ?

†**श्री राधा रमण :** माननीय मंत्री ने रतलाम के बारे में कहा है ।

†**श्री शाहनवाज खां :** इस प्रकार की गलतियां करने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिये निर्धारित अनुशासन सम्बन्धी नियमों के अनुसरण में कार्यवाही की गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने यह नहीं पूछा कि किस प्रक्रिया नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । वह कार्यवाही का प्रभाव जानना चाहते हैं । क्या कोई दण्ड दिया गया था और यदि हां तो क्या ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : उनकी भर्त्सना की गई है। किन्तु यह साधारण सा वण्ड है अतः रेलवे का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है ।

"जल वल्लभ"

†*१५५. **श्री मं० रं० कृष्ण :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय मालवाही जहाज 'जल वल्लभ' स्वेज में आग लग जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ ;

(ख) यदि हां, तो जहाज की क्षति की सीमा ;

(ग) इसकी सम्पूर्ण मरम्मत में कितनी रकम खर्च होगी ;

(घ) क्या कोई जनहानि हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मृत व्यक्ति सब भारतीय राष्ट्र जन हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस समय ज्ञात नहीं है । सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी के मैरीन सुपरिन्टेण्डेण्ट की, जो विमान द्वारा स्वेज गये हैं, रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** आग लगने का क्या कारण है तथा क्या जहाज और उसके सामान का बीमा किया गया था और यदि हां, तो यह बीमा किसी भारतीय फर्म में था अथवा विदेशी फर्म में ?

†**श्री राज बहादुर :** सामान्य प्रथा के अनुसार जहाज और उसके माल का बीमा होना ही चाहिये । मुझे बताया गया है कि इस में रुई थी जो पोर्ट सईद में लादी गई थी । आग लगने के कारण के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं और न इस विषय में की जाने वाली किसी जांच पर ही कोई प्रतिकूल प्रभाव डालना चाहता हूं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** इस जहाज की मरम्मत विजाग शिपयार्ड में की जायेगी अथवा किसी विदेशी शिपयार्ड में ?

†**श्री राज बहादुर :** इस में केवल अस्थायी क्षति हुई थी और ठीक स्वेज में ही इसकी मरम्मत कर दी गई थी । तीन दिन पश्चात् २८ अप्रैल को पुनः यह चालू हालत में हो गया था । यह गन्तव्य स्थान पर पहुंच गया था और अब वापस भी आ रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री ने कहा है कि सिंधिया नेविगेशन कम्पनी के मैरीन सुपरिन्टेन्डेन्ट वहां गये हैं । क्या मैं इस बात का कारण जान सकता हूं कि भारत सरकार में प्रमुख मैरीन अधिकारी जांच हेतु वहां क्यों नहीं गये ?

†**श्री राज बहादुर :** भारतीय व्यापारी नौवहन अधिनियम के कारण सरकार उसी समय इससे सम्बद्ध होती है जब किसी की मृत्यु की रिपोर्ट हो । जहाज के भारत लौट आने पर यह बात बताई जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लक्ष्मी देवी चीनी मिल, छितौली

१५६. श्री विभूति मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मी देवी चीनी मिल, छितौली (उत्तर प्रदेश) में काम करने वाले मजदूरों ने इस साल जनवरी और फरवरी के महीनों में हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). पूछी हुई जानकारी का एक विवरण जो उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है सभा की टेबिल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]**

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जहां मिलों में मजदूर इस तरह की हड़तालें किया करते हैं और किसानों का गन्ना पड़ा रह जाता है और काफी समय लग जाता है और जिसके कि कारण उनका नुक़सान होता है, तो क्या फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कोई ऐसा इन्तजाम करती है कि मजदूरों, किसानों और मिल मालिकों का कोई एक संगठन हो ताकि इस तरह की हड़ताले न हों ?

श्री अ० प्र० जैन : हड़ताल का रोकना तो फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हाथ में है नहीं, हां गन्ने का ठीक इन्जाम कर देना एक हद तक ज़रूर हमारे हाथ में है और जब यहां पर हड़ताल हुई तो गन्ने को आसपास के दूसरे ६ कारखानों में दे दिया गया और उन्होंने इस गन्ने को पेरा।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि छितौली चीनी मिल जो कि बिहार के धनहा थाने के करीब पड़ती है और जहां कि किसानों का, हड़ताल होने के कारण, ३ लाख मन गन्ना खराब हो गया, उसके वास्ते सरकार को कोई इन्जाम करना चाहिए था या नहीं ?

श्री अ० प्र० जैन : वहां कोई गन्ना खराब नहीं हुआ है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे मंत्री महोदय ने धनहा थाने में पड़ने वाले गांवों की बाबत जो कि छितौली शूगर मिल को गन्ना देते हैं, कोई जांच पड़ताल की है या जांच पड़ताल करना चाहते हैं ?

श्री अ० प्र० जैन : इसकी बाबत उत्तर प्रदेश सरकार से हमने रिपोर्ट मांगी थी और उन्होंने हम को यह लिखा है कि यह गन्ना जिस वक्त मिल के अन्दर हड़ताल हो गई तो उस गन्ने को दूसरे कारखानों को दे दिया गया और कोई गन्ना खराब नहीं गया । यह मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इत्तिला के ऊपर बता रहा हूं ।

श्री विभूति मिश्र : छितौली मिल में हड़ताल हो जाने से धनहा थाने के किसानों का गन्ना पड़ा रह गया और नहीं जा सका और करीब २,३ लाख मन गन्ना नष्ट हो गया. . . . . .

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं ।

श्री राधे लाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि जो गन्ने के सम्बन्ध में बिहार में स्थिति है वह दूसरे राज्यों में भी है, जैसे कि मध्यप्रदेश में है और वहां पर भी किसानों का गन्ना सूख गया और कारखाने वालों ने उसको नहीं खरीदा, तो उसके लिए सरकार क्या सोच रही है ताकि यह गन्ना बेकार न जाय और उसको मिल वाले ले सकें ?

श्री अ० प्र० जैन : हमारे पास तो ऐसी कोई इत्तिला नहीं है, सब कारखाने चल रहे हैं, बिहार के अन्दर भी और मध्यप्रदेश के अन्दर भी और गन्ने को पेरा जा रहा है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि कुछ मिलों को चालू रखने के बावजूद भी गन्ने की पर्याप्त फसल खड़ी रहेगी और क्या माननीय मंत्री सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श कर यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि गन्ने की समूची खड़ी फसल का उपयोग किया जा सके ?

†**श्री अ० प्र० जैन:** माननीय सदस्य की यह आशंका निराधार है कि फसल अप्रयुक्त रहेगी। लगभग ६ प्रतिशत गन्ना उत्तर प्रदेश के खेतों में रह गया और लगभग ६, ७ या ८ प्रतिशत बिहार में। यह व्यवस्था की गई है कि गन्ने की उक्त मात्रा पेरने के लिये किन्हीं अन्य मिलों में भेज दी जायेगी। अथवा स्वयं मिलें ही पेरने की अवधि में वृद्ध कर देंगी। मेरी जानकारी के अनुसार सभी मिलें इस वर्ष इस महीने के अन्त में बन्द होंगी और खेतों में गन्ना वैसे ही नहीं पड़ा रहेगा।

बम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथ

†*१५७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथ की दिशा में अभी तक हुई प्रगति ;

(ख) क्या यह सच है कि करियान कोडी में पुलनिर्माण का कार्य निलम्बित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) बम्बई कन्याकुमारी मार्ग जो राष्ट्रीय राजपथ नहीं है की प्रगित बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ख) और (ग). इसके कार्य के समय नींव सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से पुल के डिजायन में कुछ परिवर्तन करने के लिये थोड़ समय के लिये काम रोक दिया गया था। अब यह पुनः आरम्भ किया जा चुका है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : इस पुल का निर्माण सम्बन्धी कार्य कब पुनः आरम्भ किया जायगा ?

†**श्री राज बहादुर** : यह आरम्भ कर दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अल्प सूचना प्रश्न

भारत में इन्फ्लुएंजा रोकने के लिये कार्यवाही

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. { **श्री वें० प० नायर :**
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर और मलाया में इन्फ्लुएंजा एक व्यापक रोग के रूप में फैल रहा है ;

(ख) इस महामारी के क्षेत्र में से आने वाले यात्रियों के जरिए भारत में इस रोग को न फैलने देने के लिये क्या भारत सरकार द्वारा कोई उपयुक्त कार्यवाही की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां तो इस कार्यवाही का क्या स्वरूप है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) इन्फ्लुएंजा ने सिंगापुर और मलाया में महामारी का रूप धारण कर रखा है।

(ख) और (ग). भारत में इस महामारी के प्रवेश पर रोक लगाने के लिये भारत सरकार ने कार्यवाही की है। यह कार्यवाही इस प्रकार है :

१. राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों को सावधान कर दिया गया है और इन्फ्लुएंजा के मामलों के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा है।

२. पत्तन में इस स्थिति का अध्ययन करने के लिये अधिकारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्रतिनियुक्त कर दिये गये हैं। वे इस रोग को प्रवेश न करने देने और फैलने से बचाने के लिये राज्य प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क स्थापित करेंगे।

३. सभी विमान पत्तन और समुद्र पत्तन प्राधिकारियों को आदेश दे दिया है कि वे विदेशों से आने वाले इन्फ्लुएंजा से पीड़ित यात्रियों को निरोधा में रख कर पृथक् कर दें। जो यात्री इस बीमारी से मुक्त हैं उन्हें निरीक्षण प्रपत्र देकर भारत प्रवेश के पश्चात् पांच दिन तक समीपस्थ चिकित्सा अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट देने के लिये कहा जाय। यह भी व्यवस्था की गई है कि यात्रियों के नाम और उनके पते समीपस्थ चिकित्सा अधिकारियों को भेज दिये जायें।

४. भारतीय पत्तन स्वास्थ्य और भारतीय (विमान) लोक स्वास्थ्य नियमों के अन्तर्गत इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग घोषित कर दिया गया है।

५. सिंगापुर में से एक जहाज एस० एस० राजुल जिसमें लगभग १६०० यात्री और २०० व्यक्तियों का चालक-मण्डल था १६ मई १९५७ को मद्रास में १ बजे आया था। भारत सरकार ने इस जहाज को निरोधा में रखने की कार्यवाही की है और मद्रास पत्तन में इसके प्रवेश को रोक दिया है। जहाज के आगमन पर ४४ व्यक्ति इन्फ्लुएंजा से वास्तविक रूप में ग्रस्त थे। ३० चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी जिनकी कुल संख्या लगभग १०० थी जहाज के आते ही तुरन्त उसमें गये और समस्त चिकित्सा सहायता प्रदान की। रोगियों का इलाज करने और जहाज पर पृथक रखने के लिये कार्यवाही कर ली गई है। यात्रियों को भोजन तथा जल देने की व्यवस्था भी की गई है।

६. ऐसे व्यक्तियों को जो गम्भीर रूप से रोगग्रस्त थे और जिनकी जहाज पर उचित रूप से चिकित्सा नहीं हो सकती थी वहां से ले जाने की व्यवस्था की गई है।

७. कुनूर के पास्चर इंस्टीट्यूट के सहयोग से भारत में रोगग्रस्त व्यक्तियों से विषैला पदार्थ निकाल कर यथार्थ विष को मारने के लिये छोटे पैमाने पर एक टीका तैयार करने की व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि इस विषैले पदार्थ के लिये इन्फ्लुएंजा के १००० टीके तैयार करने में लगभग चार सप्ताह लगेंगे।

इस जानकारी को अद्यावत् रूप देने की दृष्टि से मैं यह भी कह दूं कि कल तक की जो रिपोर्ट हमें मिली है उसके अनुसार १९ मई १९५७ के पश्चात् जहाज में इन्फ्लुएंजा के ७९ रोगी थे, १९ मई को इन्फ्लुएंजा के १७ नये मामले हुए और चिकित्सा सहाय्य प्रदान करने के लिये जाने वालों में से तीन डाक्टर और ७ नर्सें भी इसके अप्रभावित न रह सकीं हैं। उन्हें पृथक् रखने का प्रबन्ध कर दिया गया है। मेरी आशा है कि सदन की सहानुभूति इनके साथ है।

†**श्री वें० प० नायर** : मद्रास आने के पहले एस० एस० राजुल जहाज जिस पत्तन पर गया था वहां इस रोग को रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** जी हां । जहाज में ही रोगियों के इलाज के लिये उचित कार्यवाही की गई थी ।

†**श्री वें० प० नायर :** 'एस० एस० राजुल' में इलाज के सिलसिले में जो लोग गये थे उनमें लौटने पर कौन बीमार हुए हैं और क्या सरकार ने वहां जाने वाले डाक्टरों से इस रोग को और अधिक रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री करमरकर :** रोगग्रस्त व्यक्तियों को पृथक् कर दिया गया है । हम उन व्यक्तियों की भरसक सराहना करते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर स्वेच्छा से वहां गये ।

†**श्री ईश्वर अय्यर :** इन्फ्लुएंजा की रिपोर्ट के सिलसिले में क्या ब्रोन्काइटिस, सिनोकाइटिस और निमोनिया आदि अन्य बीमारियों की भी खबर मिली है और यदि हां तो इन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री करमरकर :** ब्रोनकाइटिस जैसी और बीमारियों का कोई समाचार नहीं है। वास्तविक रोग का आपात चार या पांच दिन माने जाते हैं । पहले सिरदर्द होता है फिर १०० डिग्री का टेम्परेचर और शनैः शनैः चार या पांच दिनों में निरोगता प्राप्त हो जाती है ।

†**श्री वें० प० नायर :** समाचार पत्रों में कुछ ऐसी रिपोर्ट भी छपी है कि पूर्व में इस बीमारी से कुछ मृत्यु भी हुई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास इस आशय की कोई जानकारी है कि यह बीमारी संक्रामक रूप में है और विश्व व्यापी रोग से इसका सम्बन्ध है और क्या सरकार उस विषैले द्रव्य को विरत करने में सफल हुई है जो इस प्रकार के इन्फ्लुएंजा का कारण है ?

†**श्री करमरकर :** इस विषैले द्रव्य को अलग कर भावी सम्भावनाओं के विरुद्ध टीका तैयार करने के हमने आदेश दे दिये हैं । जहां तक मृत्यु का प्रश्न है हमारी जानकारी के अनुसार इस बीमारी का सूत्रपात अक्टूबर से मार्च तक जापान में हुआ और इस दिशा में १५०० मामले घातक हुए ।

†**श्री राघा रमण :** क्या इन क्षेत्रों से विमान द्वारा आने वाले यात्रियों को निरोधा में रखा जाता है और कितने समय तक ये वहां रहते हैं ?

†**श्री करमारकर :** विमान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के बारे में भी अनुदेश दिये गये है । माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी तक निरोधा सम्बन्धी कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए ह । यहाँ रोके जाने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का हमारा विचार नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तूतीकोरिन एक्सप्रेस दुर्घटना

†***१४६. श्री साधन गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री २५ मार्च १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तूतीकोरिन एक्सप्रेस दुर्घटना की जांच सम्बन्धी आयोग की किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृत कर उन पर कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाजखां) :** आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और इस सिलसिले में रेलवे को दिये गये निदेश सम्बन्धी जानकारी देने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२]**

रेल इंजनों का आयात

†***१५३. श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या **रेलवे** मन्त्री १९५६-५७ में विदेशों से मंगाये जाने वाले रेल इंजनों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : ४३१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल

†*१५८. **श्री वारियर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की सूचना में यह बात लाई गई है कि नारियल के तेल की कीमत में असाधारण उतार-चढ़ाव का नारियल उत्पादकों पर बहुधा अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) क्या इस स्थिति का सुधार करने के लिये सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) नारियल तथा उससे उत्पन्न वस्तुओं की कीमतें १९५६ के प्रारम्भ से तेज होती जा रही हैं। इससे उत्पादकों को लाभ हुआ है। नारियल के तेल की कीमतें के उतार-चढ़ाव को रोकने के लिये आयात कोटा और आयात शुल्क में आवश्यकतानुसार समायोजन कर लिया जाता है।

ग्राम विश्वविद्यालय

†*१५९. **श्री अजित सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में एक ऐसे ग्राम विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में निर्णय कर लिया है जिसमें कृषि सम्बन्धी विषय अध्ययन कोर्स के रूप में हों; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खाद्यान्न का चोरी छिपे पूर्वी पाकिस्तान ले जाया जाना

†*१६०. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हाल ही में कुछ खाद्यान्न और विशेष रूप से चावल बिहार और पश्चिमी बंगाल से अनधिकृत रूप में पूर्वी पाकिस्तान भेजा गया था ;

(ख) यदि हां तो इस अवैध निर्यात को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) खाद्यान्न के चोरी छिपे बाहर ले जाने की कोई विशिष्ट घटनाएं सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं यद्यपि चावल के बारे में समय-समय पर इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार को आवश्यक शक्ति दे दी गई है कि यदि वह इसे सर्वथा रोकने के लिये नहीं तो इसमें कमी करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करे और उन्होंने सीमा पार खाद्यान्न ले जाने पर कठोर नियन्त्रण कर दिया है ।

कृषि कालेज

†*१६१. **श्री शंकरय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और फोर्ड प्रतिष्ठान के बीच समझौते के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त कृषि कालेजों की कितनी संख्या है;

(ख) समझौते के अन्तर्गत प्रदत्त सहायता का स्वरूप ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक कालेज में खोले गये नये विभागों और विस्तार पार्श्व का क्या स्वरूप है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**

परादीप में बन्दरगाह

†*१६२. **श्री सुपाकर** :
श्री प्र० के० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा तट के परादीप में सब ऋतुओं में खुला रहने वाले बन्दरगाह के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां तो इस जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी नहीं । परादीप में सब ऋतुओं में खुला रहने वाले पत्तन को विकसित करने के सम्बन्ध में प्रकृति अध्ययन, सर्वेक्षण और जांच की जा रही है ।

पानीपत-जिंद और नरवाना-कुरुक्षेत्र लाइनों पर सवारी गाड़ियां

†*१६३. **श्री मू० चं० जन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानीपत-जिंद और नरवाना-कुरुक्षेत्र रेल मार्गों पर सवारी गाड़ियों की अपर्याप्त संख्या के बारे में जनता की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां तो इलाके की यथार्थ आवश्यकता पर आधारित इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) इन विभागों पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के लिये कोई औचित्य नहीं है ।

बीकानेर रेलवे डिवीजन में रेल के डिब्बे

*१६४. **श्री प० ला० बारुपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीज़न में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के चार पहिये वाले कितने डिब्बे हैं ;

(ख) क्या ये डिब्बे डाक और सवारी गाड़ियों में जोड़े जाते हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि उनके हल्के होने के कारण यात्रियों को बार बार धक्के लगने से बड़ी परेशानी होती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३६ ।

(ख) इन में से कुछ डिब्बे सवारी गाड़ियों मे लगाये जाते हैं लेकिन ये डिब्बे डाक या एक्सप्रेस गाड़ियों में नहीं लगाये जाते ।

(ग) मुमकिन है कि इन डिब्बों में सफर करने वाले मुसाफिरों को उतना आराम न मिलता हो जितना अठपहिये डिब्बों में मिलता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक बस्तियां[५]

†*१६५. **श्री तिम्मय्या** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास खंड के केन्द्र स्थानों में जिन बीस छोटी औद्योगिक बतिस्यों की स्थापना का प्रस्ताव है उन में से प्रत्येक पर लगभग कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : २ से ३ लाख रुपये (लगभग) ।

सार्वजनिक टेलीफोन-घर[६]

†*१६६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपमण्डलीय सदर मुकामों में खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन-घरों में ग्राहकों को टेलीफोन से सम्बन्धित अंशकालिक अनुचरों[७] के कारण और स्वयं अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त टेलीफोन का काम संभाल रहे तार क्लर्कों के कारण भी जिन कठिनाइयों व बाधाओं का सामना करना पड़ता है क्या सरकार का ध्यान उनकी ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या यह बात सच है कि उपरोक्त कारणों से इन सार्वजनिक टेलीफोन-घरों से राजस्व में कमी होने लगी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां। कुछ सार्वजनिक टेलीफोन-घरों में ग्राहकों को जो कठिनाइयां होती हैं सरकार को वे मालूम हैं। परन्तु विभाग को जो अत्यधिक खर्च करना पड़ेगा उसे देखते हुए पूर्णकालिक अनुचरों और अतिरिक्त क्लर्कों की व्यवस्था करना संभव नहीं है। फिर भी प्रत्येक सार्वजनिक टेलीफोन-घर के सम्बन्ध में स्थिति पर निरन्तर ध्यान रखा जाता है और जहां कहीं न्यायसंगत हो वहां अनुचरों के काम के घन्टों को बढ़ा दिया जाता है ।

(ख) जैसा कि निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है, यह कहना गलत है कि इन सार्वजनिक टेलीफोन-घरों से राजस्व में कमी होने लगी है ।

१९५६–५७ में राजस्व की राशि ७१,३८३ रुपये थी जब कि १९५४–५५ में २४,९७५ रुपये प्राप्त हुए थे ।

दिल्ली में विद्युत् शक्ति की कमी

†*१६८. { **श्री अन्सार हरवानी** :
श्री राधा रमण :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विद्युत्-शक्ति की बहुत कमी है और क्या छोटे औद्योगिक उपक्रमों की बहुत बड़ी संख्या के आवेदन पत्र अभी तक प्रतीक्षा सूची में ही हैं ; और

(ख) दिल्ली तथा नई दिल्ली में बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जहां तक दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के लिये रोशनी और पंखों के लिये और छोटे पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों के लिये बिजली का सम्बन्ध है, इसकी कोई कमी नहीं है। ५ अश्व शक्ति तक बिजली दिये जाने के लिये इस प्रकार के जितने आवेदन पत्र ३१ मार्च, १९५७ से पहिले प्राप्त हुए थे उन सभी को मंजूरी दी जा चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[५] Industrial Estates [६] Public Call Offices [७] Attendants

(ख) दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड ने २०,००० किलोवाट विद्युत् शक्ति का उत्पादन कर सकने वाले डीजल से चलने वाले जनित्रों के लिये आर्डर दे रखा है। इस में से ६,००० किलोवाट का एक डीजल संयंत्र दिल्ली पहुंच चुका है। इन संयंत्रों को लगाने के लिये असैनिक काम जारी है। दिल्ली में लगाने के लिये बोर्ड पहिले ही ३,००० किलोवाट का एक तापीय संयंत्र अर्जित कर चुका है। इस संयंत्र के अतिरिक्त बढ़ती हुई सामान्य मांग को पूरा करने के लिये दिल्ली में एक ३०,००० किलोवाट का तापीय संयंत्र लगाने के प्रश्न पर भी बोर्ड विचार कर रहा है।

मंडुवाडीह में रेलवे वर्कशाप

†*१७०. **श्री रूप नारायण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी नगर के निगट मंडुवाडीह में जो रेलवे का कारखाना खुलने वाला है उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) इस कारखाने में किस प्रकार का सामान तैयार होगा, कारखाने पर अनुमानित व्यय कितना होगा और इसमें कितने व्यक्ति काम करेंगे ; और

(ग) इस कारखाने के लिये भूमि प्राप्त करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मंडुवाडीह में रेल कारखाना बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। अगर जरुरत के मुताबिक विनिमय-दर मिलता रहा, तो यह काम लगभग तीन साल में पूरा हो जायेगा।

(ख) इस कारखाने में इंजन और माल और सवारी डिब्बों के पुर्ज़े बनाने का विचार है। इस बात का पक्का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इस कारखाने पर कितनी लागत आयेगी और इसमें कितने आदमी रखे जायेंगे।

(ग) बड़े कारखानों के लिये जमीन खरीदने से पहले उनका पूरा सर्वे और नक्शा तैयार करना पड़ता है और इसमें कुछ समय लगता है।

मुजफ्फरपुर-दरभंगा रेल सम्पर्क

†*१७१. **श्री श्री नारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री ३० जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक सीधी रेलवे लाइन के सम्बन्ध में जो सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया था क्या वह पूरा कर लिया गया है ;

(ख) किन विभिन्न सीधे मार्गों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) क्या सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है और निर्णय किया जा चुका है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्तर बिहार में बाढ़ से बचाव

†*१७२. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल पथ तथा विद्युत् आयोग उत्तर बिहार में कोसी, कमला बलन और कर्च के निचले भाग को बाढ़ से बचाने के लिये एक बन्ध बनाने के सम्बन्ध में एक सहयोजित योजना तैयार करने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच भी की गई है और योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४**] ।

शिशु पथ-प्रदर्शन तथा मनश्चिकित्सालय

†*१७३. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु पथ-प्रदर्शन तथा मनश्चिकित्सालय स्थापित करने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए ऐसे कितने उपचार-गृह खोले गए हैं ; और

(ग) इन उपचार-गृहों के लिए अपेक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कोई संस्था खोली जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी. हां ।

(ख) अब तक मद्रास, पंजाब, आन्ध्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में ५ एककों की स्थापना की स्वीकृत दी गई है ।

(ग) अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था, बंगलौर, में मनश्चिकित्सकों,[9] चिकित्सा मनोवैज्ञानिकों[10] तथा मनश्चिकित्सा-नर्सों[11] के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सुविधायें पहिले से प्राप्य हैं ।

द्वितीय पोत निर्माण कारखाना

†*१७४. **श्री साधन गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० म० थामस :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक द्वितीय पोत निर्माण कारखाना स्थापित करने के लिए एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार करने के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रविधिक विशेषणों का एक दल भारत आया है ; और

(ख) यदि नहीं तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

9. Psychiatrists.
10. Clinical Psychologists.
11. Psychiatric Nurses.

(ख) आशा है कि ब्रिटिश प्रविधिक विशेषज्ञ सितम्बर, १९५७ के मध्य तक भारत आयेंगे ।

पशु पालन

†१७५. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मादा पशु रोग-विज्ञान तथा पशु अभिजनन[१२] सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये पदाधिकारियों को विदेश भेजा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** जी, नहीं ।

डाक विभाग के डिवीजन

*१७६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से यह नीति निर्धारित की गई है कि डाक विभाग के जो नये डिवीजन खोले जायं वे एक जिले के लिये एक डिवीजन के आधार पर खोले जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस आधार पर अब तक किन-किन जिलों में डाक विभाग के नये डिवीजन खोले जा चुके हैं ; और

(ग) अब किन अन्य जिलों में डाक विभाग के नये डिवीजन खोलने का निर्णय किया जा चुका है अथवा खोलने का विचार किया जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

विश्व कुष्ठ कांग्रेस

†*१७७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विश्व कुष्ठ कांग्रेस का सम्मेलन नई दिल्ली में होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** विश्व कुष्ठ कांग्रेस का सातवां सत्र नई दिल्ली में १९५७ में होगा ।

बंगलौर नगर डाक घर

†*१७८. **श्री केशव :**
श्री तिमय्या :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बंगलौर नगर के डाक घर के वर्तमान इमारत में स्थित होने से सभी संबंधित व्यक्तियों को असुविधा है ;

(ख) इसे एक नई इमारत में ले जाने के लिये क्या सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे कहां ले जाया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री ((श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

12. Animal Gynaecology and Cattle Breeding.

(ख) तथा (ग). डाक घर को किराये की किसी उपयुक्त इमारत में ले जाने के सभी प्रयत्न असफल रहे हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि भूमि अर्जित करके बंगलौर नगर के डाक-घर तथा विभागीय तार घर के लिए एक विभागीय इमारत निर्मित की जाए। बंगलौर में टाउन हाल के सामने न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी की एक जगह अर्जित करने के प्रश्न पर संबंधित अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

हैदराबाद रेलवे पुल निरीक्षण समिति

†*१८०. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री २५ मार्च, १९५७ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीजन में रेलवे पुलों के निरीक्षण के लिए जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी उसने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या उनके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) ११ मई, १९५७ को पूरे प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त हो गई थी।

(ख) प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है।

(ग) जांच पूरी होने पर प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उस पर प्रस्तावित कार्यवाही संबंधी विवरण भी सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण

†*८१ **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अमरीकी प्राविधिक सहयोग मिशन के बाढ नियन्त्रण तथा नौपरिवहन संबंधी विशेषज्ञ श्री ए० जे० डेविस ने उत्तर बिहार की नदियों का हवाई जहाज द्वारा सर्वेक्षण करने के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण विशेषतायें क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) तथा (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसम अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५]**

नदी घाटी परियोजनाओं से बिजली का सम्भरण

†*१८२. **श्री ल० ना० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन नदी घाटी परियोजनाओं के नाम क्या हैं जहां उत्पादित बिजली मांग से फालतू है और जहां वह मांग से कम है ; और

(ख) जहां तक परियोजनाओं से विद्युत् सम्भरण का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य की मांग के सहयोजन के लिए क्या केन्द्रीय जलपथ तथा विद्युत् आयोग की कोई विशिष्ट कार्य व्यवस्था है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

उपनगरीय रेल सेवा

†*१८३. **श्री साधन गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में उपनगरीय रेल गाडियों के सम्बन्ध में उपनगरीय रेल भीड जांच समिति के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों में क्या यह भी सिफारिश की गई है कि डिब्बों में अधिक स्थानों तथा खड़े होने की जगह की व्यवस्था करने के लिए पुराने ढंग के डिब्बों को बदला जाए और डिब्बों को नया रूप दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को तुरंत ही कार्यन्वित करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

***रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) . इस क्षेत्र में क्योंकि अभी तक बिजली नहीं लगाई गई है इस कारण वर्तमान गाड़ियों के स्थान पर विशिष्ट रूप से बनीं गाडियों को प्रतिस्थापित करना उचित न होगा ।

जहां तक वर्तमान डिब्बों में परिवर्तन करने का सम्बन्ध है, एक डिब्बे में परिवर्तन कर के, जनता की प्रतिक्रिया अभिनिश्चित करने के लिए उसे चलाया जा रहा है । उप नगरीय गाडियों में स्थानों के प्रबन्ध में वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय किसानों की अमरीका यात्रा

***१८४. श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ३७ भारतीय युवक किसानों का एक दल संयुक्त राज्य अमरीका को भेजा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस दल में चौदह भारतीय युवतियां भी सम्मिलित हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस दल की अमरीका यात्रा का क्या उद्देश्य है ;

(घ) इस दल को भारत व संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों की ओर से क्या सुविधायें दी जा रही हैं अथवा दी जायेंगी ; और

(ङ) ये भारतीय युवक और युवतियां अमरीकी कृषि पद्धति का अध्ययन करके भारतीय परिस्थितियों में इस अनुभव का कैसे उपयोग करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) से (ङ) . पूछी हुई जानकारी का एक विवरण सभा की टेबिल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]**

बीकानेर रेलवे स्टेशन

†*१८५. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर रेलवे स्टेशन के विस्तार संबंधी प्रस्तावों की जांच का क्या परिणाम है ; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यन्वित किया जाएगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) बीकानेर रेलवे स्टेशन के विस्तार संबंधी प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है । इस कार्य को निर्माण कार्यक्रम में शामिल

---

†मूल अंग्रेजी में

करना अपेक्षित अतिरिक्त भूमि के प्राप्त होने, खण्ड (जोन) स्तर पर रेलवे उपभोक्ता सुख-सुविधा समिति[13] द्वारा इसके आवादन और निधियों तथा सामग्री की प्राप्यता पर निर्भर होगा ।

वियत नाम से चावल की खरीद

*१८६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी वियत नाम से किस भाव पर ७,००० टन चावल खरीदना तय हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : सार्वजनिक हित में यह बात नहीं बताई जा सकती ।

पटसन

†६१. **श्री अ० चं० गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे पटसन के भारतीय उत्पादन द्वारा कच्चे पटसन की मात्रात्मक तथा गुणात्मक आवश्यकतायें किस हद तक पूरी होती हैं ;

(ख) भारतीय पटसन कारखानों की बनी हुई वस्तुयें पूर्वी बंगाल के कारखानों की बनी हुई वस्तुओं से दाम तथा गुण में कहां तक मुकाबला करती हैं ;

(ग) भारत को कच्चे पटसन के सम्बन्ध में आत्म निर्भर बनाने के लिए क्या कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) देश में पटसन तथा मेस्टा की वर्तमान खपत का आक्कलन लगभग ७१ लाख गांठें है जिसमें से आन्तरिक उत्पादन लगभग ५४ लाख गांठें हैं । इस कमी को पाकिस्तान से आयात द्वारा पूरा किया जाता है । देश में श्वेत पटसन विशिष्टत: लम्बे रेशे वाली पटसन की कमी है जो कि अच्छी किस्म के टाट के बनाने में काम आती है ।

(ख) सामान्यतया पूर्वी पाकिस्तान में बढ़िया किस्म के पटसन के अधिक सम्भरण के कारण वहां के पटसन निर्माण उद्योग को बनी हुई वस्तुओं को हो सकता है कुछ और विदेशी क्रेताओं द्वारा वरीयता दी जाती हो । फिर भी प्राप्य सूचना से मालूम होता है कि मंडियों पर कब्जा करने की कोशिश में पाकिस्तान के निर्यातक प्राय: भारतीय निर्यातकों से कीमतें कम बताते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) गहन खेती की कार्यवाहियों पर जोर दिया जाता है इन में बेहतर किस्म के बीजों का प्रचार करना ; उर्वरक का वितरण तथा उसके वैज्ञानिक ढंग से उपयोग को प्रोत्साहन देना ; कतारबद्ध बीज बोने और जुताई के विभिन्न तरीकों को बढावा देने के लिये बीज बोने की नालियों (सीड ड्रिल्स) और चक्र वाले फावड़ों (व्हील होज) का वितरण; पटसन मुलायम करने के लिए तालाबों (रैटिंग टैंक्स) की खुदाई और पुराने तालाबों की मुरम्मत ; तथा पौधों की रक्षा के लिए अन्य उपाय करना जिनमें उपयुक्त कीटनाशक पदार्थ को छिड़कना आदि कार्यवाहियां सम्मिलित

---

†मूल अंग्रेजी में

13. Railway Users' Amenities Committee

राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डागार बोर्ड

†६२. **श्री अ० चं० गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ के कृषि उपज (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (२) में वर्णित मदों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डागार बोर्ड द्वारा अब तक क्या कार्य किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (१) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सहकारी विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सोलह राज्यों तथा संघ क्षेत्रों (यूनियन टैरिटरीज) को १८४ लाख रुपय ऋण के रूप में दिए गए हैं और २४ लाख रुपये की राजकीय सहायता दी गई है। इस का ब्योरा समावृत विवरण में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(२) केन्द्रीय सरकार की ओर से कृषि उत्पादन खरीदने के लिये सहकारी संस्थाओं की वित्तीय सहायता करने के सम्बन्ध में बोर्ड को किसी राज्य सरकार या भाण्डागार निगम से निधियों की व्यवस्था के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(३) बोर्ड द्वारा केन्द्रीय भाण्डागार निगम की अंश पूंजी में अभिदान के सम्बन्ध में ४० लाख रुपये की राशि अलग रखी गई है। बिहार राज्य को छोड़ कर और किसी राज्य में अभी तक राज्य भाण्डागार निगम स्थापित नहीं किए गए हैं। इस सम्बन्ध में अभी तक बोर्ड से सहायता की मांग भी नहीं की गई है।

(४) बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थायें उर्वरक के वितरण का काम पूरी तरह नहीं संभाले हुए हैं वहां सहकारी संगठन को प्रशासनीय एवं वित्तीय रूप से एक वर्ष के भीतर सुदृढ़ किया जाना चाहिये ताकि वह इस कार्य को कर सके। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे बोर्ड के निर्णय को सामने रख कर उर्वरक के वितरण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का पुनर्विलोकन करें और आवश्यक कार्यवाहियां करें।

कोंकण नौवहन सेवा में यात्री भाड़ा

†६३. **श्री अस्सर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोंकण नौवहन सेवाओं में यात्री-भाड़े में कमी करने के लिए कोंकण भारतीय जन संघ तथा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट उन्नति मंडल के एक-प्रतिनिधिमंडल से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिस पर ५०,००० व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन करने वालों को बताया जा चुका है कि कोंकण नौतल यात्रियों के किराये के औचित्य या अन्यथा के संबंध में एक और जांच करवाना सरकार के लिये कठिन होगा क्योंकि इस प्रश्न पर जिस संविहित नौवहन दर मंत्रणा बोर्ड ने विस्तृत रूप से विचार किया था उसके प्रतिवेदन पर अभी हाल ही में तो १ सितम्बर, १९५६ को उसने अपने निर्णय की घोषणा की है।

गाड़ियों की समय-सारिणी का पुनरीक्षण

†७४. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जोधपुर से संख्या २ जे० एम० बी० गाड़ी बीकानेर में ९-३५ म०प० पर पहुंचती है और बीकानेर से भटिंडा जाने वाली गाड़ी संख्या ४ बी०बी० बीकानेर से

†मूल अंग्रेजी में

८—०० म० प० पर रवाना होती है। परिणामस्वरूप बीकानेर से आगे जाने वाले यात्रियों को सारी रात बीकानेर में ही बितानी पड़ती है और बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन रेल गाड़ियों के समय में परिवर्तन करने का कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन है ताकि इन दोनों गाड़ियों के एक दूसरे से संबंध की व्यवस्था की जा सके और यह परिवर्तन कब तक किया जाएगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) गाड़ी संख्या २ जे० एम० बी० जो बीकानेर में मेढ़ता रोड से (जोधपुर से नहीं) २१.३५ पर पहुंचती है उसे गाड़ी संख्या ४ बी० बी०, से जो बीकानेर से भटिंडा के लिए २०.०० पर चलती है मिलाना इच्छित नहीं है।

(ख) जी नहीं, जोधपुर और भटिन्डा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इस समय निम्न सुविधाजनक गाड़ियों की व्यवस्था है :

४०४ डाउन (मारवाड़ मेल)			४०३ अप (मारवाड़ मेल)	
२०.५५	प		छू	०८.००
२२.००	छू	जोधपुर	प	०६.०५
००.२५	प	मेढ़ता रोड	छू	०३.००
०२.२०	छू	,,	प	००.४५
०७.१०	प	बीकानेर	छू	२०.१०
२ बी. बी. बी.			१ बी. बी. बी.	
०९.४५	छू	,,	प	१७.५०
२२.०५	प	भटिंडा	छू	०५.००

राजस्थान में नलकूप

†**६५. श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० अगस्त, १९५३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने फीरोज़पुर हैडवर्कस के निकट बीकानेर नहर की दोनों ओर नल कूप लगाने का जो सुझाव दिया था क्या उस पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है, अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ियों का देर से चलना

६६. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पूर्वोत्तर रेलवे की मान्सी-सुगौल ब्रांच लाइन पर लगभग सभी गाड़ियां सदा देर से चलती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये कौन से उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इस सैक्सन पर जो गाड़ियां चलती हैं उन में से फरवरी, मार्च और अप्रैल, १९५७ में क्रमवार ३१, ५० और ६० प्रतिशत गाड़ियां समय पर चलीं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि स्थिति में सुधार हो रहा है।

(ख) और (ग). गाड़ियों को समय पर चलाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है।

(१) उन गाड़ियों को सवारी गाड़ियां बना देना जिन में पहले सवारी और माल के मिले जुले डिब्बे होते थे ;

(२) पुराने और हलके इंजनों के स्थान पर अधिक शक्ति वाले इंजन प्रयोग करना ;

(३) जो गाड़ियां ठीक प्रकार नहीं चलतीं उनके साथ निरीक्षण पदाधिकारी भेजना ताकि कारणों का पता लगाया जाये और उनमें सुधार किया जाये।

निर्मली और सुपोल स्टेशनों के बीच की लाइन का पुनः चालू किया जाना

†**६७. श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की मान्सी–सुपौल सैक्शन के अन्तिम स्टेशन सुपौल और वर्तमान दरभंगा निर्मली ब्रांच लाइन के अन्तिम स्टेशन निर्मली के बीच की लाइन को पुनः चालू अथवा पुनः निर्मित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). जब तक कोसी नदी का मार्ग नियंत्रित नहीं कर लिया जाता तब तक उस क्षेत्र में किसी रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में विचार नहीं किया जा सकता।

दन्त चिकित्सा कालेज

†**६८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २३ नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में दन्त चिकित्सा कालेज कहां कहां खोले जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि देश में दन्त चिकित्सा कालेज कहां कहां खोले जायेंगे क्योंकि भारत सरकार ने वर्तमान दन्त चिकित्सा कालेजों के विस्तार को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है।

दिल्ली परिवहन सेवा

†**६९. श्री दी० च० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली परिवहन सेवा की कितनी बसें चल रही हैं; और

(ख) इस समय कितनी बसें बिगड़ी हुई हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**. : (क) कुल ४१७ में से ३४४

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) ५८ बसें वर्कशाप में पड़ी हैं जिन में बड़ी मरम्मत की जा रही है और पुराने माडल की १५बसें पुर्जे न मिलने के कारण पड़ी हुई हैं ।

जिला गुरुदासपुर (पंजाब) में सामुदायिक परियोजना

†७०. **श्री दी० च० शर्मा :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अप्रैल, १९५७ के अंत तक जिला गुरदासपुर (पंजाब) में सामुदायिक परियोजना पर कुल कितना खर्च हुआ ;

(ख) परियोजना सम्बन्धी कर्मचारियों पर कितना व्यय किया गया ; और

(ग) पंजाब की अन्य परियोजनाओं में कर्मचारियों पर किये गये ऐसे व्यय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ।

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :**(क) जनवरी, १९५७ के अंत तक ५३ लाख रुपये (लगभग) खर्च हुए । अप्रैल, १९५७ तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) ६,०८,४३५ रुपये (जनवरी १९५७ के अंत तक)

(ग) प्रत्येक उस मास के अंत तक, जो आंकड़ों के सामने लिखा है, पंजाब में अन्य आंकड़े निम्न-लिखित हैं ;

जिला अम्बाला

जगाधरी—सितसबर १९५६ तक . .	५,४७,४८६ रुपये

जिला जालंधर

नवांशहर—जनवरी १९५७ तक	५,७८,०८८ रुपये

जिला रोहतक

सोनीपत—दिसम्बर, १९५६ तक .	५,७२,७७४ रुपये

जिला संगरूर

धुरी—सितम्बर, १९५६ तक . .	६,६५,५०६ रुपये

पंजाब में राष्ट्रीय राजपथ

†७१ **श्री दी० च० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ से १९५७–५८ तक पंजाब राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय राजपथों के मूल कार्य पर होने वाले कुल व्यय का वर्षवार अनुमान क्या है ; और

(ख) इसमें से कितनी राशि वास्तव में खर्च हो चुकी है और १९५५–५६ और १९५६–५७ के वर्षों में कितनी राशि व्यपगत हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बैहादुर) :**

(क) १९५५–५६	५२.६५ लाख रुपय
१९५६–५७ . .	१९.६८ लाख रुपये
१९५७–५८ (१५ मई, १९५७ तक) . .	शून्य

(ख) स्वीकृत राशियां कई वर्षों में व्यय की जाती । व्यय के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि ५.४१ लाख रुपये १९५५–५६ में खर्च किये गये और ४.८९ लाख रुपये दिसम्बर,

†मूल अंग्रेजी में

१९५६ तक। क्यों कि कार्य पूरा होने तक प्राक्कलन तैयार होते रहते हैं और वर्षानुसार उनकी स्वीकृति नहीं दी जाती इसलिये व्यपगत होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिम रेलवे में रेलवे कर्मचारी

†७२. **पंडित मु० बी० भार्गव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के विभिन्न विभागों में तृतिय श्रेणी के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो एक से तीन वर्ष की अवधि से प्रवर पदों पर काम कर रहेहैं और नियमित रूप से संगठित चुनाव बोर्ड द्वारा परीक्षण किये जाने तथा तालिका में रखे जाने के तीन वर्ष बाद भी अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं ;

(ख) किसी कर्मचारी को स्थायी बनाने के लिये साधारणत: कम से कम कितनी अवधि तक कार्य करना आवश्यक माना जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि कई कर्मचारियों को तीन वर्ष से अवधि तक सन्तोषजनक रूप से कार्य करने पर भी स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखा दी जायेगी।

(ख) इस प्रयोजन के लिये कोई अधिकतम और न्यूनतम अवधियां निश्चित नहीं की गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) स्थाई रिक्तियां न होने के कारण।

पश्चिम रेलवे में स्टेनोग्राफर

†७३. **पंडित मु० बि० भार्गव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में ३१ मार्च, १९५७ को ८०-२२०, २००-३०० और २६०-३५० के तीनों ग्रेडों में स्टैनोग्राफरों की कितनी स्थायी नौकरियां थीं ;

(ख) विभिन्न ज़ोनल रेलों में स्टैनोग्राफरों की पदोन्नति के लिये किन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड और अन्य केन्द्रीय सरकार सचिवालय के कार्यालयों में स्टैनोग्राफरों की पदोन्नतियां क्लैरिकल लाइन में भी की जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के बर्ताव का क्या कारण है और क्या इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९**]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां। रेलवे बोर्ड के सदस्यों/अपर सदस्यों से सम्बद्ध में निजी सचिव (प्राइवेट सेक्रेटरी), जिन्होंने कम से कम दो वर्ष के लिये असिस्टैंट और असिस्टैंट सुपरिंटैंडेंट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, ऐसे स्टेनोग्राफरों के लिये रक्षित रिक्तियों में, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में अधीक्षक ग्रेड २ के रूप में नियुक्त किये जा सकते हैं। केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड १ के कर्मचारियों (निजी सचिव आदि) को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड २ में कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर, योजना के उपबन्धों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से नियुक्त करने के मामले पर विचार किया जा सकता है।

(घ) कोई भेदभाव नहीं है।

हीराकुड बांध द्वारा जलमग्न भूमि

†७४. **श्री प्र० के० देव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हीराकुड बांध में कितनी एकड़ भूमि जलमग्न हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** १, ८१, ६०२ एकड़।

कटक स्टेशन के निकट रेल का फाटक

†७५. **श्री प्र० के० देव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कटक-भवनेश्वर सड़क पर कटक स्टेशन के निकट रेल के फाटक के प्राय : बन्द रहने से लोगों को बड़ा कष्ट होता है ; और

(ख) क्या सरकार फाटक पर यातायात गतिरोध को हटाने के लिये पटरी के ऊपर पुल अथवा नीचे से मार्ग बनाने के बारे में विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवा खां) :** (क) नहीं श्रीमान ; हो सकता है कि इस फाटक के प्राय: बन्द होने से, जो कि उस स्टेशन यार्ड में है जहां बहुत आनाजाना रहता है, लोगों को कुछ असुविधा हुई हो।

(ख) वर्तमान रेल में फाटक की बजाये पटरी के ऊपर अथवा नीचे दो पुलों, एक कटक रेलवे स्टेशन के दक्षिण में और दूसरा उत्तर में, का निर्माण करने के सूझावों पर विचार किया जा रहा है।

नये डाक तथा तार घर

७६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों, अर्थात्, गढ़वाल, अलमोड़ा, देहरादून, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल में से प्रत्येक में किन-किन स्थानों पर नये डाक-घर, तार-घर, टेलीफ़ोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर खोले गये ;

(ख) किन-किन शाखा-डाकघरों को उप-डाकघरों में परिवर्तित किया गया ; और

(ग) सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में इन पांच जिलों के किन-किन स्थानों पर नये डाकघर, तारघर, टेलीफ़ोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर खोलने का निर्णय किया जा चुका है अथवा विचार किया जा रहा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). इस सम्बन्ध में एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट, १ अनुबन्ध संख्या ५०]**

---

† मूल अंग्रेजी में

बंगलौर में रेल के नीचे के पुल का निर्माण

†७७. **श्री केशव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के लोगों को सुबेदार चतरम रोड पर यातायात रुक जाने से जो कठिनाई होती है उसे दूर करने और भीड़ को कम करने के लिये मद्रास को बड़ी लाइन के नीचे पुल बनाने के बारे में कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वित होने की कब तक आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (ग). नगर सूधार प्रन्यास, बंगलौर, की प्रार्थना पर बंगलौर नगर में सुबेदार चतरम रोड पर रेल के फाटक के स्थान पर एक रेल के नीचे पुल बनाने के प्रश्न का १९५३ में परीक्षण किया गया था और मैसूर सरकार और सुधार प्रन्यास से रास्तों (एप्रोच) के निर्माण पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिय कहा गया था। राज्य सरकार ने अभी अपना अनुमोदन नहीं भेजा है कि वह व्यय में अपना अंशदान देगी। कार्य तभी आरम्भ हो सकता है जब राज्य सरकार लागत में अपना अंशदान देना स्वीकार कर ले।

बिना टिकट यात्रा

†७८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : १९५६-५७ में रेलवे के विभिन्न खंडों में कितने व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये और उन से कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ख) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ख) (१) स्टेशन में आने जाने वाले यात्रियों की टिकटें देखने के लिये बड़े स्टेशन पर टिकट कलैक्टर नियुक्त करना और छोटे स्टेशनों के गेटों पर अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना।

(२) निश्चित कार्यक्रम के अनुसार और अकस्मात टिकटें देखने के लिये गाड़ी में चलने वाले टिकट चैकरों की व्यवस्था करना।

(३) "फ्लाइंग स्क्वैडों" द्वारा अकस्मात टिकटें देखना और कई बार स्थान निश्चित करके और सड़क के रास्ते वहां पहुंच कर चैकिंग करना।

(४) साधारण चैकिंग स्टाफ की बजाय दूसरे प्रदेशों के कर्मचारियों द्वारा चैकिंग करना।

(५) उपनगरीय क्षेत्रों में साधारण वस्त्र पहने सफरी-टिकट-परीक्षकों द्वारा टिकटें देखना।

(६) राज्य सरकारों से परामर्श करके बिना टिकट यात्रा के मामलों और भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत अन्य अपराधों का परीक्षण करने के लिये विशेष रेलवे दंडाधिकारी नियुक्त करना।

---

† मूल अंग्रेजी में

कन्ननूर में चावल के गोदाम

†७९. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्ननूर में चावल के स्टाक के लिये कोई सरकारी गोदाम नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार कन्ननूर में चावल का स्टाक करने के लिये गोदाम अर्जित करने का प्रयत्न करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). अब तक कन्ननूर में कोई केन्द्रीय स्टोरेज डिपो नहीं था परन्तु उसे स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है, आशा है कि डिपो शीघ्र चालू हो जायेगा ।

घी

†८०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में देश में कितने घी का उत्पादन हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५६ में हुई दोर गणना के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि १९५६–५७ में १०६ लाख मन घी का उत्पादन हुआ ।

दिल्ली विकास अधिकारी मंडल द्वारा मकान गिराने के नोटिस

†८१ **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ दिसम्बर, १९५६ के पश्चात् दिल्ली विकास अधिकारी-मंडल ने मकान गिराने के कितने नोटिस दिये हैं ?

† **स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : दिल्ली विकास (अस्थायी) अधिकारी-मंडल ने प्रथम दिसम्बर, १९५६ से ३० अप्रैल, १९५७ तक मकान गिराने के कुल ३१६ नोटिस दिये हैं ।

दिल्ली में टेलीफोन

†८२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में दिल्ली में कितने और टेलिफोन लगाने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) उक्त काल में दिल्ली में कितने टेलीफोन लगाये गये ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) २०५० ।

(ख) १,९६२ ।

प्रत्यालर्क टीके[१]

†८३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रत्यालर्क टीके का प्रत्येक वर्ष कितना और किन स्थानों पर उत्पादन होता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : निम्नलिखित संस्थाओं में प्रत्यालर्क टीकों का उत्पादन होता है और प्रत्येक वर्ष के उत्पादन की मात्रा उसके सामने बताई गई है :—

	संस्था का नाम	उत्पादन की मात्रा	
१.	केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली	४७,०२,००३	क्यूबिक सैंटीमीटर
२.	पास्चर संस्था, कन्ननूर	३५,००,०००	,,
३.	पास्चर संस्था, कलकत्ता	१२,६२,१००	,,
४.	पास्चर संस्था शीलांग	५,००,०००	,,
५.	सरकारी टीका संस्था, नमकुम	११,००,०००	,,
६.	हैफकिन संस्था, बम्बई	२९,६४,५००	,,
७.	लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला त्रिवेन्द्रम केरल	७,०० ०००	,,

†मूल अंग्रेजी में

[१]Anti-rabies Vaccine.

रेलवे के पहियों के सैटों की खरीद

८४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने जापान को लगभग ४ करोड़ रुपयों के रेलवे के पहियों के ३१,५०० सैटों के लिये आर्डर दिया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): जी हां, ३१,४२० सेट का आर्डर दिया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजनल कार्यालय का स्थानान्तरण

†८५. **श्री बाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोंडा (उत्तर प्रदेश) के व्यापारियों से पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजनल कार्यालय को गोंडा से लखनऊ ले जाने के खिलाफ कोई ज्ञापन मिला है ; **और**

(ख) यदि हां तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में जो मांग की गई है उसे पूरा करना सम्भव नहीं है।

बीकानेर और जयपुर के बीच सवारी गाड़ी का चलाया जाना

८६. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का चूरू-फतेहपुर के रास्ते बीकानेर और जयपुर के बीच एक सवारी गाड़ी चलाने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): चूरू-फतेहपुर शेखावाटी के रास्ते जयपुर और बीकानेर के बीच सीधी गाड़ी चलाने का न कोई विचार है और न इसके लिए कोई औचित्य है।

काली मिर्च का भाव निश्चित किया जाना

†८७. **श्री वासुदेवन् नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिस से केरल में काली मिर्च के उत्पादकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके ; **और**

(ख) गत पांच वर्ष में मार्च-अप्रैल और मई के महीनों में निर्यात की जाने वाली काली मिर्च का औसतन भाव क्या रहा है।

† **खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) सरकार निर्यात बढ़ाने के उपायों द्वारा आन्तरिक मूल्यों को स्थिरता प्रदान करने का प्रयत्न करती रही है। निर्यात शुल्क हटाना और वायदा बाज़ार पुन : जारी करना।

(ख) निर्यात की गई मात्रा और उसके मूल्य के आधार पर औसतन निर्यात मूल्य निम्नलिखित रहा है :—

(रुपये प्रति हैंड्रडवेट)

	मार्च	अप्रैल	मई
१९५२ . . .	६५१.९३	५८१.४४	५८८.८४
१९५३ . . .	६२५.३६	७०२.४७	६८५.६३
१९५४ . . .	४२८.८०	३८१.१८	३०२.१३
१९५५ . . .	२०१.६५	२०२.५४	२१५.१२
१९५६	१५७.६०	१४४.९२	१४२.६६

† मूल अंग्रेजी में

आसाम में डकोटा की दुर्घटना

†८८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ मई, १९५७ को इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का डकोटा कचार (आसाम) के एक धान के खेत में गिर कर नष्ट हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां। इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का माल ले जाने वाला डकोटा विमान वी टी–ए० यू० वी०, जो ५ मई, १९५७ को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार १२.५० कुम्भीग्राम (सिल्चर) से कलकत्ता रवाना हुआ, कुम्भीग्राम से ४२ मील दूर कचार जिले में राठीबड़ी थाना के निकट गिर गया।

(ख) जब तक दुर्घटनाओं के मुख्य निरीक्षक का प्रतिवेदन नहीं मिलता तब तक दुर्घटना के कारण अथवा कारणों के बारे में निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।

कलकत्ता-मंगलौर तटीय नहर

†८९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री कृ० गु० देशमुख :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार कलकत्ता को मंगलौर से मिलाने वाली १५०० मील लम्बी एक तटीय नहर बनाने की योजना का परीक्षण कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : वर्तमान नहरों को मिलाकर और नई नहरों की व्यवस्था करके कलकत्ता और मंगलौर में स्थायी सम्पर्क स्थापित करने की योजना का भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति परीक्षण कर रही है।

रेलवे में भर्ती

९०. **श्री रूप नारायण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग के अधिकारियों को इस प्रकार का आदेश दिया गया है कि वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिये रोजगार दफ्तर से नाम मांगें ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे के अधिकारी इस आदेश का पालन क्यों नहीं करते; और

(ग) १९५२ से १९५६ तक उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी भर्ती किये गये और उनमें अनुसूचित जाति के कितने लोग थे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). वर्तमान नियमों के अनुसार रेल प्रशासन चौथे दर्जे की खाली जगहों का ब्योरा सम्बन्धित रोजगार दफ्तर को भेजते हैं। रोजगार दफ्तर से जो उम्मीदवार भेजे जाते हैं उनके साथ-साथ बाहर से अर्जी देने वाले उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाता है।

(ग) एक बयान साथ नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ के अधीन अधिसूचनायें

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३—ग में कुछ संशोधन करने वाली २४ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७३५ ।

(२) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली २६ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७५ ।

(३) अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली २ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४८ ।

(४) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३—ख में कुछ संशोधन करने वाली २३ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या ५३९ ।

(५) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली २३ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ८५५ ।

(६) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली २३ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ८५६ ।

(७) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३—ग में कुछ संशोधन करने वाली १३ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११५२ ।

(८) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भरती) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली ४ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३७० ।

(९) भारतीय पुलिस सेवा (भरती) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली ४ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या १३७१ ।

(१०) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली ४ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३७२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस०—४६/५७]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में संशोधन

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अधीन, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) ६ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १०४०—क ।

(२) ६ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १०४०—ख ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस०—४७/५७]

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति से संदेश

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे राष्ट्रपति से निम्नलिखित संदेश मिला है :—

"१३ मई, १९५७ को समवेत हुई दोनों सभाओं को मैंने जो अभिभाषण दिया था उसके लिये लोक-सभा के सदस्यों द्वारा पारित धन्यवाद का प्रस्ताव मुझे मिल गया है और उस पर मुझे परम संतोष है।"

वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैंने १५ मई, १९५७ को जो वित्त संख्या (२) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित किया था उस में अखबारी कागज़ पर सीमा शुल्क और मिट्टी के तेल पर सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क का सुझाव दिया गया था। करों के अस्थायी संग्रह अधिनियम, १९३१ के उपबन्धों के अधीन की गई घोषणा के अनुसार ये शुल्क तुरन्त लागू हो गये थे।

वित्त विधेयक में दिये गये अखबारी कागज़ पर सीमा शुल्क के सम्बन्ध में, जिस से शुल्क में वृद्धि हो गई है, गलती हुई है। अन्त में सीमा शुल्कों को एकत्र करने पर और उन्हें वित्त विधेयक में रखने पर सम्भवतः इस कारण गलती हो गई थी कि मैं ने स्पष्टतः कहा था कि अखबारी कागज़ पर सीमा शुल्क नहीं बढ़ना चाहिये, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसे बिल्कुल भुला दिया गया था। मैं ने १८ मई, १९५७ को समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा २३ के अधीन अधिसूचना जारी कर के उस गलती को ठीक कर दिया है।

मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क के मामले में सभा को विदित है कि शुल्क १८.७५ नये पैसे प्रति इम्पीरियल गेलन से बढ़ा कर २० नये पैसे प्रति इम्पीरियल गेलन कर दिया गया था। इस थोड़ी सी वृद्धि से मिट्टी के तेल के फुटकर मूल्य में वृद्धि नहीं होनी चाहिये थी क्योंकि इस अतिरिक्त शुल्क से मिट्टी के तेल की एक बोतल पर लगभग $^{1}/_{5}$ नये पैसे की वृद्धि होगी। तो भी मूल्य बढ़ गये हैं। वास्तव में पूर्णांक बनाने के लिये जो थोड़ी सी वृद्धि की गई थी उसे फुटकर मूल्य में वृद्धि के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है। मुझे भय है कि फुटकर मूल्यों में इस वृद्धि से एक विस्तृत क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं ने मिट्टी के तेल का पुनः वही शुल्क रख दिया है।

†**श्री महंती** (ढेंकानाल) : क्या मैं पूछ सकता हूं कि वित्त मंत्री से जो यह छोटी सी गलती हुई उस के कारण, आयव्ययक प्रस्थापनायें प्रस्तुत करने और इस शुल्क को वापस लेने की तिथि के बीच देश को कितना पैसा देना पड़ा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक अखबारी कागज़ पर सीमा शुल्क का सम्बन्ध है मैं समझता हूं--निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता --कि इस नये शुल्क के अधीन माल का क्रय-विक्रय नहीं हुआ है क्योंकि मैं समझता हूं कि सभी यह समझते थे कि यह गलती हुई है और यदि कहीं शुल्क वसूल किया गया है तो उसे लौटा दिया जायेगा। इस गलती के कारण किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। जहां तक मिट्टी के तेल पर शुल्क में वृद्धि का सम्बन्ध है, जैसा मैं ने बताया इस से मूल्य नहीं बढ़ना चाहिये था क्योंकि इससे एक बोतल पर $^{1}/_{5}$ नये पैसे की वृद्धि होती है, परन्तु यदि किसी ने इस से लाभ उठाया है तो मैं उसके लिये केवल खेद प्रकट कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि पहले मामले में गलती हुई है। और इस लिये मैं अपने आपको उत्तरदायी मानता हूं। दूसरे मामले में यदि मुझे परिवर्तन करना था तो स्वभावतः परिवर्तन करने से पूर्व मुझे सभा में घोषणा करनी चाहिये थी परन्तु इस लिये कि जन साधारण को हानि

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

न हो हमें पूर्व-स्थिति की घोषणा करने के लिये अधिसूचना जारी करनी पड़ी। हो सकता है कि फुटकर दुकानदार बहुत अधिक पैसे ले रहे हों जैसा कि वे अन्य वस्तुओं में भी करते हैं तो मैं उस के लिये केवल खेद प्रकट कर सकता हूं। इसमें मुझे किसी व्यक्ति विशेष का अपराध दिखाई नहीं देता ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब वित्त विधेयक सभा को प्रस्तुत कर दिया गया हो तो क्या सरकार या प्रभारी मंत्री उस में इस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं? क्या बाज़ार के किसी विभाग की ओर से दबाव पड़ने पर इस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में दो बातें हैं। पहले तो यह कि जिस समय माननीय मंत्री वक्तव्य दे रहे थे उस समय कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया गया। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या विधेयक पुर:स्थापित होने के पश्चात् प्रस्तावक अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन कर सकता है। तो इसके लिये मैं यह कहूंगा कि यह औचित्य प्रश्न का विषय नहीं हो सकता। औचित्य प्रश्न उठाये जाने के बाद सभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। वक्तव्य देने पर तो कोई आपत्ति नहीं थी। उस वक्तव्य में दी गई बातें या उसमें किये गये स्पष्टोकरण को औचित्य प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता। इसे किस रूप में उठाया जाये, यह मैं नहीं कह सकता। हां, मैं यह ज़रूर कह सकता हूं कि भूत पूर्व वित्त मंत्री भी कभी जनसाधारण के दबाव के कारण परिवर्तन किया करते थे और प्राय: इसकी सराहना की जाती है। अत: यहां औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्राक्कलन समिति

अड़सठवां प्रतिवेदन

†**सचिव** : प्राक्कलन समिति (१९५६–५७) के सभापति ने २९ मार्च, १९५७ को प्रति-रक्षा मंत्रालय आयुध कारखाने (भांडार संयंत्र और मशीनरी तथा उत्पादन) सम्बन्धी अपना अड़सठवां प्रतिवेदन, जिसे उसने उसी दिन अनुमोदित किया था, अध्यक्ष महोदय को पेश किया था। प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा उसको सत्यापित किये जाने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने नियम २८० के अधीन उसके मुद्रण प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था। मैं उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

†**सचिव** : लोक लेखा समिति ने २२ मार्च, १९५७ को, सभापति को जापानी कपड़े के आयात तथा विक्रय के बारे में पच्चीसवां प्रतिवेदन तैयार करने का प्राधिकार दिया था। उन्होंने ३ अप्रैल, १९५७ को उसे अनुमोदित किया और उस पर हस्ताक्षर किये। उसी दिन उस प्रतिवेदन को अध्यक्ष महोदय को पेश किया गया। अध्यक्ष महोदय ने प्रक्रिया नियमों के नियम २८० के अधीन उस के मुद्रण प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था। मैं उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चित्तलदुग) : इन दो प्रतिवेदनों पर चर्चा कब की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अभी नये हैं। उन्हें नियम पढ़ने चाहियें। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों पर औपचारिक रूप से विचार नहीं कियाँ जाता। उनपर चर्चा की जा सकती है परन्तु इस सभा की प्रथा के अनुसार प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर यहां चर्चा नहीं होती।

प्राक्कलन समिति सभा के २५ सदस्यों की समिति है जो विषय विशेष की जांच करती हैं, सरकार की ओर से आये गवाहों का परीक्षण करती है और फिर अपनी सिफारिशें करती हैं। प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने से पहले उन्हें सम्बन्धित मंत्रालय को तथ्य सम्बन्धी जांच के लिये भेजा जाता है। फिर सरकार को उन सिफारिशों को कार्यान्वित करना पड़ता है। सरकार को यदि किसी सिफारिश को कार्यान्वित करने में कठिनाई हो तो वह उसकी सूचना समिति को देती है।

तो इस प्रकार समिति के प्रतिवदनों पर चर्चा नहीं की जाती। इन सिफारिशों के विषय में सदस्यों को कुछ कहना हो तो आय-व्ययक पर या अनुदानों की मांगों पर चर्चा होते समय ऐसा कर सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बम्बई के नावांगण कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं नियम १९७ के अधीन प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से उस पर वक्तव्य देने के लिए प्रार्थना करता हूं :—

"बम्बई के नावांगण कर्मचारियों की १७ मई, १९५७ को की गई सांकेतिक हड़ताल।"

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : बम्बई के नावांगण कर्मचारी संघ ने ६ मई, १९५७ को, नावांगण के कैप्टेन अधीक्षक को सूचना दी कि नावांगण के कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन के हेतु १७ मई १९५७ के सांकेतिक हड़ताल करेंगे। हड़ताल की सूचना में ये मांगें बताईं गई थीं :

(१) सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान वेतन क्रमों में सुधार के लिए नये वेतन आयोग की नियुक्ति और नये वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति तक अन्तरिम सहायता के रूप में वेतनों में २५ प्रतिशत वृद्धि ;

(२) निर्वाह-व्यय दशनांक में वृद्धि के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि;

(३) छुट्टी के सम्बन्ध में औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारियों के विभेद की समाप्ति और सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी के एक रूप नियम जारी करना;

(४) सवारी भत्ता और निवास स्थान देना।

(५) २१७ कन्ट्रेक्ट प्लेटून टाइप 'ए', वडाला में नैमित्तिक श्रम पद्धति की समाप्ति और छः महीने लगातार सेवा वाले सभी कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारी मानना; और

(६) औद्योगिक विवाद अधिनियम को भारतीय विमान बल स्थापनाओं पर लागू करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार मजीठिया]

१७ मई, १९५७ को नावागंण के बहुत से कर्मचारियों ने एक सांकेतिक हड़ताल की। नावागण के कर्मचारियों का एक और संघ है जिसका नाम भारतीय नावांगण संघ है। उस संघ ने अपने सदस्यों को निदेश दिया था कि उन्ह काम नहीं छोड़ना चाहिये। हड़ताल के समय नावांगण और अन्य विभागों को सब अनिवार्य सेवाओं के संचालन के लिए प्रबंध किये गये थे। हड़ताल बंद हुई और १८ मई, १९५७ को कर्मचारी काम पर आ गये। किसी बुरी घटना की सूचना नहींमिली।

कार्मिक संघ की अधिकतर मांग सामान्य प्रकार की हैं। उन बातों का प्रभाव न केवल नावांगण के कर्मचारियों पर पड़ेगा वरन् भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। नैमित्तिक श्रम पद्धति को समाप्त करने और भारतीय विमान बल स्थापनाओं पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू करने की दो मांगों का सम्बन्ध नावांगण के कर्मचारियों से नहीं है। इन मांगों की जाँच की जाएगी, परन्तु ये जिस प्रकार की है और उनका सारे भारत पर जो प्रभाव पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी जांच में समय लगेगा। कार्मिक संघ के पास अभ्यावेदन देने और शिकायत दूर करवाने के लिए समुचित व्यवस्था है। सांकेतिक हड़ताल ऐसी प्रक्रिया का अंग नहीं है और उन शिकायतों की ओर ध्यान दिलाने के लिए, जिनका नित्यिक प्रक्रिया में अभ्यावेदन दिया जा सकता था और जिनके बारे में उन्होंने ६ मई को ही पत्र लिखा था, सांकेतिक हड़ताल की कोई आवश्यकता नहीं थी। मांग (५) और (६) का प्रश्न अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने उच्च स्तर पर वार्ता तंत्र में उठाया था और उन की अलग जांच की गई है। जहां तक निवास स्थान का सम्बन्ध है यह पहले निश्चय किया जा चुका है कि बम्बई आदि कुछ स्थानों पर कुछ प्रतिशत असैनिक कर्मचारियों को निवासस्थान दिया जाएगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि इस मामले में यह वक्तव्य १५ तारीख को दिया जाता तो शायद हड़ताल न होती।

जीवन बीमा निगम (सशोधन) विधेयक *

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : इससे पहले की अगली कार्यवाही शुरू की जाय, मैं एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अधीर नहीं होना चाहिये। सदस्यों को इस सम्बन्ध में सचिव को पहले सूचना देनी पड़ती है और फिर अध्यक्ष इस पर विचार कर के अपना निर्णय देता है। यदि अध्यक्ष उस अस्वीकार नहीं करता तो सभा में उस विषय विशेष पर चर्चा की जा सकती हैं। इसलिये माननीय सदस्य पहले मुझ से मिल कर बातचीत कर लें।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जीवन बीमा निगम अधिनियम १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

†**श्री भरूचा** (पूर्व खान्देश) : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ७२ के अधीन एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को दिये बिना वित्त मंत्री इसे पुरःस्थापित कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय**: नियम यह है कि विधयक की प्रतियां काउंटर पर रखी जाती हैं। सदस्य उन्हें ले सकते हैं ताकि पुरःस्थापन से पूर्व उन्ह उसका ज्ञान हो। मैं यह प्रबंध करूंगा कि सभी विधेयकों की प्रतियां दो तीन दिन पहले ही वहां मिल सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

अब मैं प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं:—

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक**

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के रक्षित बैंक अधिनियम १९३४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के रक्षित बैंक अधिनियम १९३४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं।

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक**

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में और आग संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि भारत के राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: मैं लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ७१(१) के उपबंध अनुसार, जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश १९५७ द्वारा विधान तुरंत बनाने के कारणों के एक व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ११(१) में उपबंध किया गया था कि बीमा समवायों के उन कर्मचारियों पर जो अधिनियम पारित होने पर निगम के कर्मचारी बन गये थे, जो सेवा सम्बन्धी निबंधन और शर्तें लागू होती हैं वे अधिनियम के पारित होने के पश्चात् तब तक लागू होगी जब तक निगम उनमें परिवर्तन नहीं करता। धारा ११(२) में यह और उपबंध था कि केन्द्रीय सरकार ऐसे कर्मचारियों के वेतन क्रम में वैज्ञानिकन के प्रयोजन से पारिश्रमिक के सम्बन्ध में उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन कर सकती है। निगम ने शर्तों और निबंधनों की जांच की थी और प्रचलित वेतन क्रम और सेवा सम्बन्धी शर्तों की अनंत विविधता को ध्यान में रखते हुए उनके वैज्ञानिकन के लिए कार्यवाही की थी। निगम द्वारा किये गय परिवर्तनों को केन्द्रीय सरकार

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश द्वारा पुर:स्थापित

**भारत सरकार के असाधारण गज़ट, भाग २, अनुभाग २, दिनाँक २०-५-५७ में प्रकाशित

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

ने अनुमोदित किया था और इस सम्बन्ध में उसने धारा २ (२) के अधीन एक आदेश जारी किया था। परन्तु बम्बई उच्च न्यायालय के एक हाल ही के निर्णय में यह कहा गया है कि धारा ११ (२) से सरकार को केवल पारिश्रमिक में ही परिवर्तन करने का प्राधिकार दिया गया है न कि सेवा की अन्य शर्तों में परिवर्तन करने का; परन्तु सेवा की सभी शर्तों में वैज्ञानिकन की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश में "पारिश्रमिक" और "सेवा की अन्य शर्तों" दोनों को लिया गया था। अतः उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह आदेश शक्तिपरस्तात है और उसने यह फैसला कि निगम द्वारा जारी किये गये वेतन क्रम में सम्मिलित सेवा सम्बन्धी शर्तों और निबंधनों में किये गये परिवर्तनों को, जिनका केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदित किया था, लागू न किया जाये। इन परिवर्तनों को न लागू करने के लिए एक आदेश भी जारी किया गया था। अतएव अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करने की आवश्यकता थी कि जिस से सरकार को आवश्यक शक्ति मिल जाए और पहले की गई कार्यवाही को मान्यता मिल जाये। यदि इसे तुरन्त न किया जाता तो निगम के काम में बहुत गड़बड़ हो जाती और उस की प्रगति को हानि पहुंचती। उस समय संसद् का सत्र नहीं हो रहा था अतः इस प्रयोजन के लिये जीवन बीमा अधिनियम, १९५६ में संशोधन के हेतु अध्यादेश प्रख्यापित करना आवश्यक था।

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) विधेयक १९५७ पर खंडशः विचार करेंगे।

खण्ड २ और ३ पर कोई संशोधन नहीं।

†**श्री मुहम्मद ताहिर (किशनगंज)** : मैं ने खंड २ में संशोधन की सूचना आज दी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रथा यह है कि यह सूचना काफी पहले देनी चाहिये। अन्यथा जब तक प्रस्तावक या मंत्री पूर्व सूचना की छूट न दे दें या संशोधन को स्वीकार न कर ले उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सरकार का इस संशोधन के बारे में क्या विचार है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मुझे संशोधन के विषय कुछ पता नहीं।

†**श्री मुहम्मद ताहिर** : तो मैं खण्ड २ का विरोध करता हूं। खंड २ में "हित रखने वाले व्यक्ति" की परिभाषा में दिये गये जाने वाले प्रतिकर का दावा करने वाले सभी लोगों को रखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस परिभाषा में उत्तराधिकारी भी हों ताकि दावेदार की मृत्यु पर वे दावा कर सकें।

†**श्री के० दे० मालवीय**: मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि इन विधि सम्बन्धी ब्यौरों में जाना मैं आवश्यक नहीं समझता।

†**श्री वें० प० नायर (क्विलोन)** : जहां तक खण्ड २ का सम्बन्ध है उस में कोयले की परिभाषा नहीं दी गई। लकड़ी के कोयले लिगनाइट और राल मिश्रित कोयले अर्थात् सभी प्रकार के कोयले को साधारण व्यक्ति कोयला ही कहता है।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जहां तक मैं इसे समझता हूं साधारणतः कोयले में लिगनाइट सम्मिलित नहीं है। जहां तक अन्य प्रकार के कोयलों का सम्बन्ध है वे इस शब्द के साधारण अर्थ में आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि 'कोयले' शब्द की परिभाषा देना आवश्यक नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कहते हैं कि इस से कोई कठिनाई नहीं होगी। तो भी हम यह निर्णय सभा पर छोड़ देते हैं ।

प्रश्न यह है :

कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३ (सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति)

†**श्री मुहम्मद ताहिर** : मैं समझता हूं कि शब्द "केन्द्रीय सरकार" उपयुक्त नहीं है : संविधान के अनुच्छेद ५३ के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अतः यह शब्द संघ सरकार होना चाहिये, न कि केन्द्रीय सरकार जिसे अंग्रेजों के शासन काल में प्रयोग किया जाता था ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सैन)** : विधेयक के प्रभारी मंत्री ने इस आपत्ति का उत्तर देने के लिये मुझे कहा है अतः मैं उत्तर दूंगा। सामान्य खण्ड अधिनियम (जनरल क्लाजेज एक्ट) के अधीन 'केन्द्रीय सरकार' के निश्चित अर्थ हैं। उस अधिनियम के अधीन इस की परिभाषा दी गई है और इस का अर्थ "राष्ट्रपति" है। अतएव जब कभी भी किसी विधान में "केन्द्रीय सरकार" शब्द का प्रयोग हो उसका अर्थ "राष्ट्रपति" होता है। मेरे विचार में तो इस विषय में कोई अस्पष्टता नहीं है और यह विधान सम्बन्धी उस प्रथा के अनुकूल है, जो भारत में संविधान से पूर्व काम से है जब "केन्द्रीय सरकार" शब्दों से "परिषद सहित महराज्यपाल" समझा जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४ (किसी क्षेत्र में कोयले की खोज करने के सिलसिले में प्रारम्भिक सूचना आदि)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार)**: मैं दो संशोधन १२ और १३ प्रस्तुत करना चाहता हूं । उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि कोयले के विकास का उत्तरदायित्व सरकार पर है। उस से यह भी स्पष्ट है कि अतिरिक्त १२० लाख टन कोयले में से १०० लाख टन कोयला गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र से पैदा करना होगा। जब आपने गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र की सीमायें निर्धारित कर दी हैं कि वे पुरानी खानों में ही काम करेंगे तो आपको चाहिये कि आप उन की प्रगति के लिये अधिकाधिक सुविधायें दें। अतः यह विधेयक वर्तमान खानों के निकटवर्ती क्षेत्रों पर लागू नहीं होना चाहिये । मेरे संशोधन संख्या १२ का यही उद्देश्य है। यदि निकटवर्ती क्षेत्रों में गैर सरकारी उद्योगपति कोयला निकाल रहा हो तो सरकार को अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर के वहां हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो सरकार मेरे संशोधन संख्या १३ को स्वीकार करे जिस का अभिप्राय है कि सरकार वर्तमान खानों और उन निकतवर्ती क्षेत्रों को छोड़ सकती है जिन की आवश्यकता गैर सरकरी उद्योग क्षेत्र को हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भरूचा (पूर्व खानदेश)** : पंड़ित ठाकुर दास भार्गव के संशोधनों से और कठिनाई पैदा होगी, क्योंकि निकटवर्ती क्षेत्र की परिभाषा आप क्या करेंगे और खान के आस पास कितनी भूमि को सरकारी उद्योग क्षेत्र से बाहर छोड़ देंगे ।

यह नहीं कहा जा सकता कि जहां कोयला निकाला जा रहा है वहां और उसकी आस पास की भूमि से ही अधिक कोयला निकालने की आशा की जा सकती है । खंड ४ के उपखंड ४ के बारे में भी मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ऐसे सारे भू-क्षेत्रों के लिये अधिसूचना जारी करना नहीं चाहते जहां जहां कोयला पाया जाये ।

इसलिये गैर सरकारी क्षेत्र के लिये भी काफी व्यापक क्षेत्र है । पहले तो इन संशोधनों का कोई लाभ नहीं, दूसरे समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के राजकीय उद्देश्य की पूर्ति भी इस से नहीं हो सकती ।

†**श्री महेन्द्र प्रताप (मथुरा)** : इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस प्रकार की विधियां नहीं बनानी चाहिये जिससे कुछ ऐसा आभास हो कि जनता में तथा सरकार में बड़ा अन्तर है । कोयले वाले क्षेत्र विधेयक से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जनता के हर काम में हस्तक्षेप करना चाहती है । प्रथत्येक विधि जो यहां बनाई जाती है उससे जनता को बांधा जाता है । हम लोग स्वतंत्र हैं तथा मैं चाहता हूं कि हम स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करें ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरे संशोधन के विरुद्ध तीन तर्क प्रस्तुत किये गये हैं । पहले कहा गया है कि "निकटवर्ती" शब्द ठीक नहीं है क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि निकटवर्ती भूमि कितनी हो सकती है । मेरे विचार से मेरे मित्र ने नीति सम्बन्धी संकल्प पर ध्यान नहीं दिया जिसमें निकटवर्ती भूमि की परिभाषा दी गई है ।

दूसरे संशोधन में, मैं ने "उपयुक्तक्षेत्र" शब्द रखे हैं । इसकी परिभाषा होनी चाहिये अन्यथा सीमा निश्चित करना असंभव हो जायेगा, इसी से अर्जन के लिये "बिल्कुल निकटवर्ती भूमि" की भी परिभाषा स्वयमेव हो जायेगी । मैं तो केवल यही चाहता हूं कि विधि की पूर्णतया परिभाषा हो जाये ।

तीसरी बात समाजवादी ढंग के समाज के सम्बन्ध में है । जब सरकार ने १२० लाख टन सरकारी क्षेत्र तथा १०० लाख टन गैर सरकारी क्षेत्र के लिये निश्चित कर दिये हैं तो मैं नहीं जानता कि समाजवादी ढंग का प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है । सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र में हर बात में प्रतिद्वन्द्विता है । इसलिये देश के हित में यही है कि सरकार को गैर सरकारी क्षेत्र को भी पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिये । हमें दोनों क्षेत्रों के साथ साथ समाज व्यवहार करना चाहिये । जो खानें अभी खुदी नहीं हैं उनके बारे में सरकार को बड़े अधिकार हैं परन्तु वह खानें जिनमें खुदाई प्रारम्भ हो चुकी है उनकी समीपस्थ भूमि लेना ठीक नहीं होगा । यदि माननीय मंत्री ऐसा आश्वासन दे दें कि वर्तमान खानों की समीपस्थ भूमि नहीं ली जायेगी तो मुझे संतोष हो जायेगा और मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करूंगा ।

†**श्री के० डे० मालवीय** : मुझे खेद है कि मैं अपने मित्र पंडित ठाकुरदास से सहमत नहीं हूं । इसके विपरीत श्री भरुचा द्वारा बताई गई बातों से मैं सहमत हूं ।

यदि हम पंडित ठाकुर दास को संशोधन को स्वीकार कर लेंगे तो बड़ी उलझी समस्या में फंस जायेंगे और मुकदमे बाजियों का कोई अन्त नहीं होंगा । इस कारण कि बहुत पहले से बहुत बड़ी संख्या में कोयले की खानें हैं इसलिये

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़े उलझे हुए मामले हमारे सामने आ जायेंगे यदि हम पंडित ठाकुर दास के संशोधन को स्वीकार कर लेंगे । मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि हमारा विचार गैर-सरकारी क्षेत्र को प्राप्त सुविधाओं को समाप्त कर देने का नहीं है। जहां तक वर्तमान कोयले की खानों का सम्बन्ध है हमार विचार विस्तार का समय आने पर उनके सकुशल विस्तार को जब तक बन्द करने का नहीं है। गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा कोयले के उत्पादन का हमारा एक लक्ष्य है तथा हम उसकी बढ़ोत्तरी में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं । परन्तु यदि हम पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत सी उलझन वाली समस्यायें हमारे सामने आ जायेंगी । कोयले की खान की सतह देखकर , न तो मैं तथा न वह यह निर्णय कर सकते हैं कि समीपस्थ क्षेत्र कौन सा है इसमें बहुत से अन्य प्रश्न भी निहित हैं । इसीलिये मैं उनके संशोधन संख्या १२ तथा १३ स्वीकार करने में असमर्थ हूं, क्योंकि दोनों का एक परिणाम यही होगा कि सरकारी क्षेत्र का जहां तक सम्बन्ध है , इन निकटवर्ती क्षेत्रों पर यह लागू न हो ।

मैं अपना आश्वासन दुबारा दोहराता हूं कि किसी खास के निकट के क्षेत्रों के विकास का पूर्ण ध्यान दिया जायेगा जिससे उत्पादन एक समान रहे । इन सभी बातों पर विचार करते हुए तथा इस बात पर भी विचार करते कि हमारा विचार गैर-सरकारी कोयले की खानों की प्रगति में कोई बाधा पहुंचाने की नहीं है मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव संतुष्ट हो जायेंगे और अपने संशोधन वापस ले लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ तथा १३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५

(खानों को खोजने की अनुज्ञप्तियों तथा खानों के पट्टों पर अधिसूचना का प्रभाव)

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** (बरहामपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह एक सीधा सा संशोधन है । मैं चाहता हूं कि खानों को खोजने की अनुज्ञप्तियां अथवा खानों के पट्टों के अधीन जब अधिकार दिये जायें तब इनसे सम्बन्धित नक्शे, चार्ट आदि भी सरकार को यानी सरकार के उपयुक्त अधिकारियों या प्रतिनिधियों को सौंप दिये जायें । यदि आप वधियेक के खंड़ १३ पर ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि कई मदों में, सरकार का विचार इन अनुज्ञप्तिधारियों अथवा पट्टेधारियों को प्रतिकर देने का है । परन्तु जैसा कि मेरे मित्र श्री भरुचा ने बताया कि यह अनुज्ञप्तिधारी इन नक्शों, तथा आय दस्तावेजों को सरकार को देने को बाध्य नहीं है । जब हम इन दस्तावेजों के लिये उनको धन दे रहे हैं तब यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि यह दस्तावेज हमें न मिलें । यदि सरकार मेरे संशोधन में निहित सिद्धांत को स्वीकार कर लेती है तो मुझे इस में कई आपत्ति नहीं होगी कि वह वहां रखा जाये । जहां सरकार चाहे वहां विधेयक में इसे रखे ।

†**श्री हजार नवीस** (भंडारा) : मेरे विचार से यह संशोधन कुछ अनावश्यक सा है क्योंकि खंड़ १३ के उपखंड (७) में दिया है कि जब तक नक्शे आदि निर्धारित प्राधिकारी को नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

सौंप दिये जायेंगे तब तक प्रतिकर नहीं दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त खंड़ २१ में इस खंड़ से भी अधिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है ।

†**श्री भरूचा :** मेरे विचार से श्री त्रि० कु० चौधरी का संशोधन नितांत आवश्यक है। श्री हजारनवीस ने खंड़ १३ के उपखंड (७) का निर्देश किया जिसमें यह दिया गया है कि जब तक नक्शे आदि न दिये जायें प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिये। परन्तु मान लीजिये यदि कोई व्यक्ति सरकार की अवज्ञा करना चाहता है और दस्तावेज यदि देना नहीं चाहता तो उस स्थिति में खंड़ १३ का उपखंड (७) लागू नहीं होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि श्री चौधरी के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं भी अपने मित्र श्री चौधरी के संशोधन का समर्थन करता हूं। खण्ड १३ का उपखंड (७) पर्याप्त नहीं है जब कोई व्यक्ति सरकार की अवज्ञा करना चाहता हो तो वह प्रतिकर की कभी भी परवाह नहीं करेगा जबकि जनता के हित में यही होगा कि यह दस्तावेज सरकार को मिल जायें। इसलिये यह संशोधन आवश्यक है।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं यह ठीक नहीं समझता कि इस प्रकार के काम के लिये विधि द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाये, जैसा कि श्री चौधरी ने सुझाव दिया है। कुछ गलतफहमी इस प्रश्न के बारे में मालूम होती है। हम इस उद्देश्य से सहमत है कि सर्वेक्षण आदि के सम्बन्धित सभी दस्तावेज सरकार को ले लेने चाहियें। तथा पटेट्दार के भी यही हित में है कि विधि के अनुसार प्रतिकर के भुगतान पर इन सब दस्तावेजों के सरकार को सौंप दे। ऐसे भी दस्तावेज हो सकते हैं जो हमारे लिये आवश्यक न हों। परन्तु एक बार इन नक्शों आदि को विधि द्वारा सरकार को सौंपने की व्यवस्था बना देने पर विधि के अनुसार हमको ऐसे दस्तावेजों के लिये भी प्रतिकर देना पड़ेगा जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सम्भवतः उनमें से बहुतों की हमें आवश्यकता न हो तथा कुछ भी धन न दे कर हम उन मामलों में स्वयम निर्णय कर सकते हों। यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज हमें नहीं देना चाहता तो स्पष्ट है कि हम उन्हें नहीं ले सकते। परन्तु आम तौर से इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मुझे खेद है कि मैं संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ६—धारा ४ के अधीन हुई किसी आवश्यक हानि के लिये प्रतिकर

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपने संशोधन संख्या १४, १५ तथा १६ प्रस्तुत करते समय यह कहना चाहता हूं कि यह तीनों संशोधन एकदम स्पष्ट हैं। खंड़ ६ दो बातों के सम्बन्ध में है, एक प्रतिकर का भुगतान तथा दूसरे प्रतिकर की पर्याप्तता के बारे में विवाद। यदि किसी मामले पर कोई विवाद होगा तो इसका यह अर्थ नहीं है कि खंड ४ के अधीन सरकार को प्राप्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं। परन्तु साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जहां तक समीपस्थ भूमि

---

†मूल अंग्रेजी में ?

अर्जन का प्रश्न है यह भी ठीक होगा कि यदि इनके बारे में कोई विवाद हो तो उसका निर्देश केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर ठीक निर्णय न होने पर इसको न्यायाधिकरण को सौंपना चाहिये तथा न्यायाधिकरण का निर्णय दोनों को पूर्णतः मान्य होना चाहिये। इसी प्रकार जहां सरकार का निर्णय अन्तिम होने की व्यवस्था है वहां भी मैं चाहता हूं कि यह शब्द जोड़े जायें "कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए"।

मेरा तीसरा संशोधन हानि के लिये भुगतान अथवा उसकी अपर्याप्तता के बारे में है। इन सम्बन्धों के आदेश अन्तिम होना चाहिये। क्योंकि दो प्रतिद्वन्दी होने पर हमें निश्चित करना पड़ेगा कि कौन ठीक है। इसलिये मेरा विचार है कि सरकार जितना संभव हो उतना कोयला उत्पादित कर सके और गैर सरकारी क्षेत्र को भी अपना विस्तार करने का पूरा अधिकार रहे।

†**श्री अ० सिं० सरहदी** (लुधियाना) : ये संशोधन तब ही संगत होते जब संशोधन संख्या १२ स्वीकार कर लिया गया होता। जब खंड ४ में यह उपबन्ध है ही कि सरकार चाहे तो उन क्षेत्रों को छोड़ सकती है जहां कोयले की खानों की खुदाई का काम चल रहा हो और जब सरकार के विवेक का सिद्धान्त मान लिया गया है तो ये संशोधन अनावश्यक हो जाते हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं इनमें से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इनसे गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा कोयले की खोज के लिये अपेक्षित क्षेत्र के बारे में विवाद उत्पन्न हो जायेगा। यह संशोधन यहां अनावश्यक हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४, १५ और १६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने !"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ७

(धारा ४ के अधीन अधिसूचित भूमि पर, भूमि अथवा अधिकारों के अर्जन के अधिकार)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपना संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि खंड १७ के अधीन सरकार भूमि अर्जन करके तीन वर्ष तक कोयले की खुदाई न करे तो खंड ७(२) लागू होता है। मान लीजिये तीन वर्ष तक सरकार चुप बैठी रहती है और इस अवधि की समाप्ति पर सरकार दूसरा नोटिस देती है कि यह मेरे विचार से ठीक नहीं होगा और वह भूमि वापस दे देनी चाहिये और दुबारा उसको लेने का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिये। इस प्रकार से लोगों को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रखना चाहिये।

†**श्री भरूचा** : मैं अपने माननीय मित्र के संशोधन का समर्थन करता हूं, क्योंकि सरकार को दुबारा नोटिस देने से रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे मित्र ने ठीक ही इसे प्रस्तुत किया है क्योंकि आप उस व्यक्ति को कब तक कष्ट देते रहेंगे। इसलिये मेरे विचार से यह संशोधन ठीक ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : तीन वर्ष निश्चित नहीं हैं। संभवतया मेरे मित्रों ने कुछ बातों की ओर ध्यान नहीं दिया है। सामान्यतया तीन वर्ष कोयले को खोजने के लिये पर्याप्त होते हैं। यदि इससे कम में काम हो सकता होता तो हम दो वर्ष अथवा एक वर्ष भी रख सकते थे हमने वह समय केवल बैठे रह कर गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा पट्टेदारों को कष्ट देने के लिये नहीं रखा है। कम से कम तीन वर्ष कोयले को खोजने के लिये चाहियें। परन्तु कभी कभी तीन वर्ष के पश्चात् हमें यह विश्वास हो जाता है कि संभवतया कोयला और अधिक गहरी खुदाई करने से मिलेगा। यदि हमारे विशेषज्ञ परामर्श देते हैं तो हम दूसरा नोटिस देने के प्रश्न का विचार करते हैं जिससे सरकार कोयले की और खोज कर सके। इसी कारण हमने यह अधिकार लिया है। हम यह अधिकार छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और हम यह भी नहीं चाहते कि सरकार को तीन वर्ष की अवधि में बांध कर रखा जाये। हम बता चुके हैं कि हमारा विचार कष्ट देने का नहीं है। हम केवल क्षेत्र के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। यदि तीन वर्ष पर्याप्त नहीं समझे जाते तो सरकार समय बढ़ाने पर विचार करती है। मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ८

(अर्जन पर आपत्ति)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपने संशोधन संख्या १८ और १९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं इनको स्वीकार नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १८ तथा १९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ९ तथा १० पर कोई संशोधन नहीं है।

खण्ड ९ तथा १० विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ११

केन्द्रीय सरकार का किसी सरकारी समवाय में निदेश देने का अधिकार

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपना संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि खंड ११ तथा खंड २ में सरकारी समवाय की परिभाषा की गई है और बताया गया है कि

---

†भूल अंग्रेजी में।

सरकारी समवाय कोयला निकालने के लिये भूमि का अर्जन कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने गैर-सरकारी समवायों के लिये भूमि अर्जित करने के लिये अधिकार क्यों नहीं लिये हैं। मैं चाहता हूं कि खंड ११ कुछ उदार बना दिया जाये। जिससे सरकार दोनों क्षेत्रों के लिये भूमि अर्जित कर सके। प्रधान मंत्री ने भी कई बार कहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र का भी विकास आवश्यक है इसलिये गैर-सरकारी समवायों के लिये भी यह भूमि अर्जित की जानी चाहिये। इन सभी संशोधनों में यही बात बताई गई है।

†**श्री अ० सिं० सरहदी** : यह सभी संशोधन विधेयक में निहित सिद्धान्त के विरोधी हैं। विधेयक में गैर-सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र से अलग रखने की व्यवस्था की गई है।

श्री के० दे० मालवीय : इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जायें जिनसे सरकार कोयले की खानों पर नियंत्रण कर सके तथा सरकारी समवाय बनाने के अधिकार ले सके। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो छः संशोधन प्रस्तुत किये हैं वह सरकार को गैर-सरकारी समवाय बनाने को बाध्य करते हैं जो विधेयक के उद्देश्य के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि गैर सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के साथ साथ फले फूले। परन्तु विधेयक का उद्देश्य यह है कि जिस ढांचे को हम बना रहे हैं उसके अन्दर गैर-सरकारी क्षेत्रों की वही स्थिति न हो। इसलिये मेरे विचार से यह संशोधन अनावश्यक है। हम यह अधिकार इसलिये नहीं ले रहे हैं कि हम उन्हें गैर-सरकारी समवायों को सौंप दें।

मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड १२ पर कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं दोनों को साथ मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ तथा १२ विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ११ तथा १२ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड १३

(खुदाई के पट्टों के अधीन अधिकार अर्जित होने पर खानों को खोजने की अनुज्ञाप्तियों को समाप्त करने का प्रतिकार आदि)

श्री त० ब० विट्ठल राव : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं।

***श्री भरूचा** : मैं अपने संशोधन संख्या १, २, ३, ४ तथा ५ प्रस्तुत करता हूं।

***अध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं। संशोधन संख्या ७, १०, ११, तथा २१ प्रस्तुत नहीं किये गये।

श्री त० ब० विट्टल राव : मैं अपने संशोधन के द्वारा यह चाहता हूं कि खान का पता लगाने के लिये व्यय हुए धन पर दिये जाने वाले सूद का उपबन्ध हटा दिया जाये

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

मूल सन्तुलन पत्र में यह व्यय राजस्व में से लिया गया बताया जाता है और लाभ तथा हानि लेखे में से घटा दिया जाता है। यह राशि वैध व्यय समझी जाती है। मैं अपने संशोधन द्वारा यही चाहता हूं कि इस पर सूद दिया जाये। इसके अतिरिक्त कोयले के खानों के मालिक बहुत लाभ उठा रहे हैं। इसलिये सूद की ५ प्रतिशत दर की व्यवस्था हटा देनी चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि परन्तुक में जो यह दिया गया है कि "इस खंड के अधीन दी जाने वाली राशि खंड (२) व (३) में निर्दिष्ट कुल राशि के आधे से ज्यादा नहीं होगी" तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस खंड से अभिप्राय खंड १३ है या खंड २ का उपखंड (४) है।

†**श्री के० दे० मालवीय** : यहां उपखंड (२) के भाग (२) और (३) से अभिप्राय है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : तो यह गलत है। 'इस खंड' का अर्थ, खंड १३ होगा। यदि मेरे माननीय मित्र अपने संशोधन के द्वारा इस खंड को हटा देना चाहते हैं तो यह परन्तुक भी हटा दिया जायेगा। यदि विधेयक के प्रस्ताव का विचार यह है कि उपखंड (२) के भाग (४) में दी गई राशि से यह राशि आधी होनी चाहिये तो यह मतलब होगा कि सूद आधे से अधिक के बराबर नहीं हो।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मेरे विचार से खंड में यह दिया गया है कि सूद समेत सभी मदों का मुल्यांकन किया जायेगा तब भुगतान का प्रश्न आयेगा। तब इस प्रकार हिसाब लगाये गये धन से ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि इस खंड के अधीन दिया जाने वाला धन, सूद समेत विभिन्न मदों पर हुये व्यय की गणना से अधिक नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल स्पष्ट है। जब विधेयक विधि बन जायेगा तो सभी खंड, तथा उप-खंड, धारा तथा उपधारा बन जायेगी और इस प्रकार खंड १३ धारा १३, उपखंड (२) उपधारा (२) तथा भाग (४) एक खंड बन जायेगा।

†**श्री भरूचा** : मेरे संशोधन से प्रतिकर की समस्त व्यवस्था ही बदल जाती है। और इससे मेरा उद्देश्य है कि अनुज्ञप्ति, खोज अथवा पट्टे सम्बन्धी अधिकारों आदि के क्रय में जनता के धन का अपव्यय न हो।

विधि में अनुज्ञप्ति तथा पट्टे में अन्तर है तथा यदि हम अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारों का अर्जन करना चाहें तो इसका अर्थ होगा उस अनुज्ञप्तिधारी का उस सम्पत्ति में कोई हित नहीं है। उसको केवल उस सम्पत्ति पर कुछ कार्य करने का अधिकार होता है, जो बिना इस अनुज्ञप्ति के अवैध होगा। तो केवल इस अधिकार, के लिये हम ज़रूरत से ज्यादा प्रतिकर दे रहे हैं। किसी व्यक्ति ने चाहे उचित रकम दी हो किन्तु हो सकता है कि वह कसौटी पर पूरा न उतरे लेकिन फिर भी सरकार को सारी रकम देनी पड़ेगी।

दूसरे अनुज्ञप्ति लेने वाला व्यक्ति नक्शे बनवाने, धातुओं के नमूने इकट्ठे करने आदि के काम में बहुत से संकट झेलता है और यह एक प्रकार का जुआ होता है। जब वह व्यक्ति असफल हो जाये तो फिर सरकार को इस व्यर्थ के भार में रुपया बर्बाद करने की क्या जरूरत है। वास्तव में ऐसा ही होता है जब एक खान से कोई सफलता नहीं मिलती तो बीच में सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में ?

आ कूदती है। सर्वेक्षण आदि के बाद सरकार को देख लेना चाहिये कि अमुक क्षेत्र कोई लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा। सरकार को क्या जरूरत है कि वह जनता के धन को इस तरह गंवाये। क्या सरकार पहले लोगों के अनुभव प्राप्त नहीं कर सकती ? यदि सरकार का प्रयास असफल रहे तो फिर से सारे नक्शे सारी योजना के दस्तावेज उन्हीं लोगों को लौटा दिये जायें—क्या ऐसा नहीं हो सकता ?

मेरे संशोधन का आशय यही है। यदि सरकार पूरा धन दिये बगैर नक्शे आदि नहीं लेना चाहती तो इसे व्यय कम करना चाहिये।

यदि खनन आदि पर रुपया खर्च किया गया है और उससे फायदा नहीं हुआ तो हमें कानून में यह रखना चाहिये कि सारे व्यय का दसवां भाग दिया जायेगा। इसलिये अनुज्ञप्ति सम्बन्धी अधिकारों पर मेरा संशोधन युक्तियुक्त है। इससे जनता का रुपया नष्ट होने से बचेगा।

इसके बाद पट्टे के अर्जन का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में बड़े आश्चर्यजनक खण्ड रखे गये हैं। पट्टे के अर्जन के लिये बहुत सी बातों का मुआवजा देना पड़ेगा। सलामी आदि का व्यय भी देना पड़ेगा। सलामी की रकम अबंध होती है—क्या सरकार के लिये यह बातें आवश्यक हैं ? सरकार के पास भूमि के अर्जन के लिये औद्योगिक (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन शक्ति है। संविधान में संशोधन हो चुका है। न्यायालय मुआवजे की पर्याप्तता पर निर्णय नहीं दे सकते। जब सरकार के पास इतने अधिकार हैं तो यह सलामी की रकम देने की क्या आवश्यकता है।

मेरा एक संशोधन यह है कि खण्ड १३(२)(तीन) हटा दिया जाये—क्योंकि इस खण्ड के अनुसार सरकार को रायलटी आदि पर हुआ व्यय भी देना पड़ेगा। यह बड़ी विचित्र बात है खानों के मालिक शरारत से उत्पादन न करें तब भी बोझ सरकार पर ही पड़े। क्या उसको यह रकम इस कारण दी जायेगी कि वह खाली या निकम्मा रहा ? ऐसा व्यक्ति समाज का शत्रु है। ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाना अत्यन्त दुखदायक बात है।

खण्ड के अनुसार व्याज भी देना पड़ेगा। यह व्याज भी सभी बातों पर होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम केवल सलामी ही नहीं देंगे बल्कि उस पर व्याज भी देंगे—यह है गलती का इनाम। इन शर्तों को सभी खान मालिक स्वीकार करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसके खण्डों में उपयुक्त संशोधन किये जायें ताकि देश का धन व्यर्थ जाया न हो।

†**श्री के० दे० मालवीय** : माननीय मित्र ने जो संशोधन रखे हैं उनका उद्देश्य केवल मुआवजे की रकम में तबदीली करने का नहीं है बल्कि उन बुनियादी सिद्धान्तों का खण्डन है जिनके आधार पर हम सरकारी प्रयोजन के लिये निजी सम्पदा का अर्जन करते हैं। तथ्य यह है कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के कतिपय अधिकार उस से ले रही है—चाहे वे अधिकार खनन के हों या किसी क्षेत्र में धातु खोजने के बारे में हों और उनका आधार राज्य सरकार के कुछ संविदाओं आदि पर हो।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

इन संविदाओं और करारों का मतलब यह है कि एक व्यक्ति ने कुछ रकम व्यय की है। हमारा बुनियादी सिद्धान्त इस मामले में यह है कि जहां ऐसे अधिकारों को लिया जाये वहां

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री के० दे मालवीय]

युक्तियुक्त प्रतिकर दिया जाये । जब हमने यह बात बुनियादी बात मान ली है हम इससे हट नहीं सकते । हम समझते हैं कि यह सिद्धान्त उचित है । यह बात नहीं कि हम नाममात्र का प्रतिकर दें जिसे कोई भी उचित न समझे ।

माननीय मित्र ने कई मदें गिनाई हैं जिन पर हम मुआवजा देंगे । उन्होंने 'जुआ' शब्द का उल्लेख किया है । शायद वह 'खोज' से 'जुआ' अधिक पसन्द करते हैं । 'जुआ' शब्द का प्रयोग ही समझ के अभाव को सिद्ध करता है । खोज कई वैज्ञानिक तथा टेकनीकल अध्ययनो के बाद होती है । यदि माननीय मित्र खान मालिक होते तो वह कभी ऐसे स्थान पर रुपया न लगाते जहां रुपये की बर्बादी की सम्भावना हो । जब कोई उम्मीद हो वहां ही खोज की जाती है । आरम्भिक खोज के बाद—पूर्ण खोज की जाती है । यदि थोड़े प्रयत्न के बाद एक व्यक्ति असफल रहा हो तो दूसरा व्यक्ति अधिक धन लगाकर वहां से खनिज पदार्थ निकाल सकता है । इसलिये 'जुआ' और 'खोज' दो भिन्न अर्थ रखते हैं । यदि एक पक्ष ने रुपया लगाया है और खोज की है और वह असफल हुआ है तो इसका यह उद्देश्य नहीं है कि सरकार भी वहां से कोयला आदि निकालने में असफल रहेगी । इसलिये जिस पक्ष ने खोज करने में रुपये का व्यय किया है और उन अधिकारों को हम लेने जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें उन अधिकारों के अर्जन के लिये प्रतिकर देना चाहिये ।

सलामी शब्द का भी मजाक उड़ाया गया है । व्यक्तिगत रूप में मैं भी इसे पसन्द नहीं करता । किन्तु इसका अर्थ 'रायलटी' है । इसलिये उससे डरना नहीं चाहिये ।

खनिज रियायत नियमों के प्रख्यापित होने से पूर्व अर्थात् १९४९ से पूर्व सलामी उपयुक्त समझी जाती थी और सलामी दिये बगैर अधिकारों का अर्जन नहीं हो सकता था ।

†**श्री अ० सिं० सरहदी** : विधेयक में 'सलामी' शब्द की व्याख्या नहीं है । इसकी व्याख्या कैसी होगी ?

श्री अ० कु० सेन : इसकी आवश्यकता नहीं है । यह साधारण शब्द है ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य चाहते हैं कि सड़क के बनावें आदि का व्यय भी न दिया जाये । वह कहते हैं कि नक्शे आदि पर होने वाला व्यय २,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये । मैं नहीं समझता कि यह सीमा क्यों निर्धारित की गई है । कम क्यों नहीं । १० रुपये क्यों नहीं ? वास्तव में वह यह नहीं जानते कि वह क्या कह रहे हैं । इन सब बातों के बारे में न्यायाधिकरण फैसला करेगा । नक्शों—चार्टों—जानकारी—सड़क बनाने आदि पर हुये सारे व्यय की व्याख्या वह पक्ष न्यायाधिकरण के सामने करेगा और मुआवजे का फैसला फिर न्यायाधिकरण करेगा ।

मैं इस २,००० रुपये की सीमा के बारे में कह रहा था । यह बड़ी हास्यास्पद लगती है । भूतत्वीय नक्शों पर इससे कहीं ज्यादा व्यय कई बार हो जाता है । फिर खोज में तो इससे ज्यादा धन लगता ही है । यदि हम युक्तियुक्त प्रतिकर देने के सिद्धान्त को मानें तो हम इस प्रकार व्यय की सीमा निर्धारित नहीं कर सकते । इन सब बातों को न्यायाधिकरण पर छोड़ना पड़ेगा । उन्हें सन्तुष्ट करना पड़ेगा कि यह जो सारा खर्च किया गया है वह ठीक और युक्तियुक्त ढंग से

†मूल अंग्रेजी में ।

किया गया है। कल्पना कीजिये एक पक्ष व्यय की सूची पेश करता है जिस के बारे में न्यायाधिकरण समझता है कि वह ठीक नहीं है तो न्यायाधिकरण उस रकम में कमी करेगा। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह तो नक्शों तथा चार्टों के मुआवजे को कम से कम समझती है। मैं समझता हूं कि यह सीमा बहुत ही कम है। यह नीति का प्रश्न है। जब हम प्रतिकर देने पर सहमत हैं तो यह बात युक्तियुक्त नहीं है कि हम ब्याज की ओर ध्यान न दें। ब्याज पूरा नहीं दिया जायेगा जैसा कि खण्ड १३ के परन्तुक से स्पष्ट होता है कि इस खण्ड के अन्तर्गत दिये जाने वाला कुल धन खण्ड (२) तथा (३) में उल्लिखित धनों के आधे भाग से अधिक नहीं होगा।

पहले पांच वर्षों के लिये ५ प्रतिशत और बाद के चार वर्षों के लिये ४ प्रतिशत के हिसाब से अनुमान लगेगा। ९ वर्षों के बाद यह दरें नहीं रहेंगी और यदि रकम आधी हो जाये तो यह बन्द हो जायेगा। जैसा कि मैंने कहा कि युक्तियुक्त प्रतिकर देना हमारी बुनियादी नीति है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि ब्याज भी इसमें शामिल होना चाहिये।

प्रतिकर अधिक है या कम है इस बात का निर्णय न्यायाधिकरण करेगा। सरकार पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और लेखाओं की जांच करेगी और जिस बात को उपयुक्त नहीं समझेगी उसे कभी नहीं करेगी। इसलिये संशोधन १—५ हम स्वीकार नहीं कर सकते—क्योंकि ये बातें हमारे बुनियादी सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय मंत्री को अब भी यह सुझाव दूंगा कि वह 'सलामी' शब्द की व्याख्या करें क्योंकि विभिन्न भागों में इसका अर्थ विभिन्न है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १,२,३,४,५, तथा ९ सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया।"

खण्ड १४

(प्रतिकर निर्धारण करने का तरीका)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपना संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत करता हूं।

मेरी यह प्रार्थना है कि जब आप एक व्यक्ति से कोई चीज लेते हैं तो उसको यह सन्तोष तो होना चाहिये कि उसके हितों के विरुद्ध कुछ नहीं किया जायेगा। अर्जन के सभी मामलों का निर्णय केन्द्रीय सरकार करती है। ऐसे मामलों में यह आवश्यक है कि न्यायाधिकरण को यह देखने का अधिकार दिया जाये कि अर्जन युक्तियुक्त है या नहीं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह उचित ढंग से व्यवहार करेंगे। माननीय मंत्री तो इसके जिम्मेदार नहीं होते। कागजात नीचे से आते हैं और मंत्री तो केवल हां ही करते हैं। यह बातें न्यायसंगत नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार को भी यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह स्वतः अर्जन का अन्तिम रूप से निर्णय

†मूल अंग्रेजी में।

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

कर ले। यह काम न्यायपालिका को सौंपा जाये। इसमें सरकार को क्या एतराज है? सरकार को चाहिये कि वह यहां अपनी उदारता का परिचय दे।

†**श्री अ० सिंह० सरहदी**: वही आपत्ति संशोधन संख्या २२ पर है—ये सब संशोधन, संशोधन संख्या १२ के अनुपूरक हैं और वह अस्वीकृत हो चुका है और खण्ड ४ के अन्तर्गत सिद्धान्तों को स्वीकार किया जा चुका है। यह संशोधन उन सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

†**श्री के० दे० मालवीय**: मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है क्योंकि खण्ड ४ सभा द्वारा स्वीकृत हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२ सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड १४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १५ और १६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

(खण्ड १७—प्रतिकर देना)

†**श्री भरूचा**: मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं। खण्ड १७ में नकद भुगतान का उल्लेख है। कम से कम भुगतान का तरीका तो बदलना चाहिये। बम्बई में इनामदारों का उत्सादन किया गया—वहां मुआवजा बौंड्स में दिया गया। यहां नकद भुगतान का प्रश्न है। यह बड़ी विचित्र बात है। कई राज्यों में दूसरे तरीके अपनाये गये हैं इससे कोई अन्याय नहीं होता। मैं समझता हूं इस संशोधन पर माननीय मंत्री विचार करेंगे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव**: श्रीमान्, पृष्ठ १० पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति आपत्ति न करे वह मामले को न्यायाधिकरण में नहीं ले जा सकता। यह उपबन्ध बड़ा कठोर है। जो व्यक्ति कानून नहीं जानता और इस प्रकार आपत्ति नहीं करता वह तो न्यायाधिकरण के सामने अपना मामला रख ही नहीं सकता। माननीय मंत्री को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिये।

†**श्री के० दे० मालवीय**: माननीय श्री भरूचा का संशोधन है कि नकद रुपये की जगह प्रतिकर ४ प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज वाले बौंड्स के रूप में दिया जाय जो १५ वर्ष तक पूरा हो। इन सौदों में जो वास्तविक प्रतिकर होगा वह अधिक नहीं होगा। यह बात युक्तियुक्त नहीं है कि सरकार १५ वर्ष तक मुआवजे के भुगतान बौंड्स द्वारा करे जब कि रकम ज्यादा नहीं है। मैं ठीक ठीक रकम के बारे में तो बता नहीं सकता किन्तु प्रति वर्ष हमें बीस या तीस लाख से अधिक मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। इतनी छोटी रकम के लिये बौंडों में मुआवजा देना ठीक प्रतीत नहीं होता। इस कारण इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड १७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १८ से २८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** खण्ड १९(२)(क) में अर्जित किये जाने वाले क्षेत्र का जिला तथा राज्य आदि बताना होगा । इस से कई उलझनें पैदा होंगी । क्षेत्रफल आदि भी देना होगा । इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी । नियम बनाते समय आप इन बातों पर ध्यान रखें । मैं केवल यही चाहता हूं कि मुकदमेबाजी न हो ।

सरकार को खोज करने के लिये तीन वर्ष की अवधि चाहियेगी—इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बाद में सरकार कोई अधिकार न रखे । इसमें अपील भी तीस दिन की अवधि के भीतर ही किया जा सकता है और खण्ड २०(२) के अधीन अवधि और भी कम है । यह बात भी अनुचित है । आप इस बात को देखें और पर्याप्त समय अपील के लिये रखें ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर): उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६० मिलियन टन कोयला पैदा करने का लक्ष्य है । यह लक्ष्य प्राप्त करना आसान बात नहीं है । इस समय ३९ मिलियन टन कोयला पैदा होता है । इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वह कोयला क्षेत्रों के बारे में जल्दी से जल्दी मंजूरी दें ।

दक्षिण में लिग्नाइट के अतिरिक्त १.५ मिलियन टन कोयला सिंगारेनी कोयला क्षेत्र में निकाला जाता है । इस पर ८ करोड़ का और व्यय होगा । वहां का उत्पादन ३ मिलियन टन निश्चित किया गया है । दक्षिण में कोयले की कमी है और वह कमी उत्तर भारत से पूरी की जाती है । कलकत्ता से बहुत सा कोयला मद्रास भेजा जाता है । मैं यह निवेदन करता हूं कि यदि सिंगारेनी में अधिक कोयला निकल सके तो प्रयत्न किये जायें क्योंकि इससे रेलवे में वहन का इतना जोर नहीं होगा और दक्षिण की आवश्यकतायें वहां से ही पूरी हो जाया करेंगी ।

†**श्री भरूचा :** मैं चाहता हूं कि नियमों में 'कोयला' शब्द की व्याख्या को जाये ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** उसकी परिभाषा कर दी जायेगी । अब अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता । मैं माननीय मित्र को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमें सिंगारेनी कोलया खान की उत्पाद-वृद्धि की बड़ी उत्सुकता है । हम यह बात सोच रहे हैं कि इस समय से कैसे पूरा पूरा फायदा उठाया जा उकता है और हम चाहते हैं कि हम अपने निश्चित उद्देश्य पूरे कर लें । खोज की तीन वर्ष की अवधि के बारे में कुछ गलतफहमी है । यदि हम खोज कम समय में कर सकें तो उस पर तीन वर्ष नहीं लगाये जायेंगे । कुछ खानों में हमने जल्दी काम किया है । हमने खोज कर ली है और हम समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते । इसी कारण हमने भूमि के अर्जन का उपबन्ध रखा है । हमारा उद्देश्य अपना लक्ष्य पूरा करना है अर्थात् सरकारी क्षेत्र में १२ मिलियन टन कोयला निकालना ।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है—मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उनकी सहायता करने के लिये पूरी सुविधायें देने को तैयार हैं ताकि वह भी १० मिलियन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

टन की पैदावार का अपना लक्ष्य पूरा कर लें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके मार्ग में कोई अड़चनें न आयें। मुझे आशा है कि हम अपने अपने उद्देश्यों पर जुटे रहेंगे और उन्हें पूरा करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

करों का अस्थायी संग्रह (अस्थायी संशोधन) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि करों का अस्थायी संग्रह अधिनियम, १९३१ में एक अस्थायी अवधि के लिये संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधान के सम्बन्ध में मतभेद बिलकुल नहीं के बराबर है। इसका उद्देश्य विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में स्पष्टतया रखा गया है। इसलिये मैं उस उद्देश्य की ही थोड़ी व्याख्या करूंगा। करों का अस्थायी संग्रह अधिनियम की धारा ४(२)(ग) में निश्चित कर दिया गया था कि धारा ४(१) के अधीन घोषित व्यवस्थायें उन व्यवस्थाओं के विधेयक के पुरःस्थापित होने की तिथि के बाद साठवां दिन समाप्त होने पर प्रभाव शून्य हो जायेंगी। इसलिये, इस व्यवस्था के अनुसार, उन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में वित्त विधेयक (संख्या २) १४ जुलाई, १९५७ के बाद प्रभाव-शून्य हो जायेगा जिनको इस अधिनियम के अन्तर्गत तुरन्त ही प्रभावी बना दिया गया था। माननीय सदस्य जानते हैं कि यह सत्र इस महीने के अन्त तक ही चलेगा और सभा को वित्त विधेयक पर विचार करने का समय नहीं मिलेगा। शायद वित्त विधेयक की सभी अवस्थायें अगस्त के अन्त तक निबट पायेंगी।

इसलिये, यह आवश्यक है कि १९५७ के वित्त विधेयक की उन व्यवस्थाओं को, जिन्हें करों का अस्थायी संग्रह अधिनियम १९३१ के क्षेत्र में रख दिया गया है, वित्त विधेयक पारित होने तक विधि के रूप में प्रभावी रखा जाये। इस उद्देष्य से करों का अस्थायी संग्रह अधिनियम, १९३१ के खण्ड (ग) की धारा (४) की उपधारा (२) और धारा (५) की उपधारा (१) को इस विधान द्वारा अस्थायी तौर पर संशोधित किया जा रहा है।

यह केवल अस्थायी विधान ही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**डा० कृष्णास्वामी** (चिंगलपट) : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि यह एक बहुत सरल सा विधेयक है। यह इतना सरल नहीं है। वर्तमान अधिनियम के अधीन साठ दिनों की एक सीमा नियत कर दी गई है जिनमें कार्यपालक अधिकारी संसद् के अनुमोदन के बिना ही कर-संग्रह करके बाद में उसके लिये संसद् का अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये विधेयक द्वारा यह अवधि १२० दिनों की की जा रही है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

यदि वित्त मंत्री इस विधान द्वारा कराधान सम्बन्धों प्रस्तावों पर अधिक विस्तृत रूप से चर्चा कराना चाहते थे, तो उन्हें इसकी अवधि में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखना चाहिये था।

---

*राष्ट्रपति की सिफारश से प्रस्तुत।

†मूल अंग्रेजी में

इंगलैण्ड में अन्तर्कालीन कर-संग्रह अधिनियम के अधीन करों के संग्रह के लिये चार महीनों का समय दिया जाता है। लेकिन, वहां कामन्स सभा एक संकल्प द्वारा वित्तीय प्रस्तावों का अनुमोदन कर देती है, और इसलिये वह संसद् की सहमति के समान ही होता है। सभा उन प्रस्तावों पर विचार करने की ओर अधिक ध्यान देती है, इसलिये अधिक अवधि रखने से व्यावहारिक असुविधायें कम ही हो पाती हैं।

लेकिन इस विधेयक में दोनों प्रकार की त्रुटियां हैं। एक ओर तो वह अस्थायी विधान है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती यदि विधान-कार्य का ठीक प्रकार से समायोजन किया जाता। दूसरी ओर, अवधि बढ़ाने से कई पेचीदगियां पैदा हो जायेंगी। यह मुख्यतः इसलिये कि कराधान के अधिकांश प्रस्तावों का प्रभाव आम उपभोग की वस्तुओं पर ही पड़ रहा है। और यदि इन में से किसी भी प्रस्ताव को बाद में बदला गया, तो इन करों की राशि उत्पादकों को नहीं लौटाई जा सकेगी, उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति करना भी अव्यावहारिक हो जायेगा। जितनी ही अवधि अधिक होगी, हानि भी उतनी ही अधिक होगी, और उस हानि को फिर पूरा भी नहीं किया जा सकेगा।

अस्थायी कर-संग्रह के तीन प्रयोजन होते हैं—राजकोष को राजस्व की हानि न होने देना, प्रस्तावों की घोषणा और उनके अनुमोदन के बीच कर-अपवंचन को रोकना, और संसद् को उस पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय देना। साठ दिनों की अवधि रखने से दो प्रयोजन तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन तीसरे प्रयोजन के लिये तो प्रक्रिया नियमों में परिवर्तन करना ही वांछनीय है; और उसके लिये स्थायी विधान ही होना चाहिये, अस्थायी नहीं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : इस विधेयक का विरोध करना मेरा कर्तव्य है।

अच्छा होता यदि वित्त मंत्री यहां उपस्थित होते। अभी पांच ही दिन पहले उन्होंने अपने कराधान प्रस्ताव रख कर सभी सदस्यों और देश भर को भौंचक्का कर दिया था। और, अब आज वे उन करों के संग्रह के लिये अनुमति मांग रहे हैं। अभी हम इन करों के उपलक्षणों पर विचार भी नहीं कर पाये हैं। अभी देश की जनता की राय भी इस के सम्बन्ध में मालूम नहीं हो सकी है। इसके लिये १९३१ में पारित एक अधिनियम का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत इस अधिनियम को नामनिर्देशित सदस्यों ने ही पारित किया था, जनता के प्रतिनिधियों ने नहीं। लेकिन अब तो हम लोकतांत्रिक युग में हैं, इसलिये कार्यपालिका को ऐसी तानाशाहाना शक्तियां नहीं देनी चाहिये।

यदि हम इन करों के संग्रह की शक्ति वित्त मंत्री को दे देंगे, तो हम अपने प्रभुता सम्पन्न अधिकार से वंचित हो जायेंगे। इस प्रकार तो यह सभा सरकार के प्रत्येक विधान को अनुमोदित करने की साधन मात्र रह जाती है। यह लोकतांत्रिकता के विरुद्ध है। लोकतांत्रिकता के आरम्भ से ही हर वर्ष जनता पर नये नये कर थोपे जा रहे हैं। इन करों के सम्बन्ध में हमें अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलना ही चाहिये। यदि इस विधान को स्वीकृत कर दिया जाये, तो हमें वह अवसर नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये अधिक से अधिक धन संग्रह करने के लिये ही यह शीघ्रता कर रही है, लेकिन हमारी योजना भी ठोस आधार पर नहीं बनाई गई है। उससे गत ७ या ८ वर्षों में कोई लाभ नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहम्मद इमाम]

मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हमें कराधान के सम्बन्ध में राय व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाता, तो वह निर्वाचकों के प्रति बड़ा अन्याय होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन): यह कहना ग़लत है कि यह एक सरल सा विधेयक है। सरकार परिस्थितिवश ही ६० दिनों की अवधि को १२० दिनों तक बढ़ाने के लिये विवश हो गई है।

जिन कुछ वस्तुओं पर शुल्क लगाया जा रहा है, उनके सम्बन्ध में स्थिति क्या है? मूल अधिनियम में संसद् की मान्यता न मिलने पर कुछ शुल्कों की वापसी की भी व्यवस्था है। लेकिन, अब सरकार ने इस विधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि संसद् की स्वीकृति न मिलने पर कुछ शुल्कों को वापस किया जाये। यदि मिट्टी के तेल की भांति कुछ अन्य वस्तुओं पर से भी संसद् की चर्चा के बाद शुल्क हटाये जाते हैं तो उनकी वापसी कैसे की जायेगी? मूल अधिनियम की धारा ५ में वापसी की व्यवस्था की गई है। लेकिन हम वह वापसी कैसे करेंगे? यदि सरकार वापसी करने का निर्णय भी करती है तो उसे कार्यान्वित कैसे करेगी?

१९५३-५४ में सरकार ने पहले कुछ उत्पादन शुल्कों के रूप में संग्रहीत राशि को वापस करने का निर्णय किया था लेकिन बाद में इसी निर्णय पर पहुंची थी कि वापसी की राशि उपभोक्ताओं तक पहुंच ही नहीं पायेगी। इसलिये इस विधेयक का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि अन्तर्कालीन कर-संग्रह की पद्धति में परिवर्तन किया जाये, उसकी अवधि बढ़ाई जाये।

दूसरी बात यह है कि इस विधान की आवश्यकता केवल इसीलिये पड़ी है कि हमने आय-व्ययक सत्र को दो भागों में बांट दिया है। यह वांछनीय नहीं है कि हम अभी तो आय-व्ययक पर चर्चा कर लें और फिर महीने-डेढ़ महीने बाद आकर अनुदानों की मांगों पर चर्चा करें। यह सब एक ही सत्र में होना चाहिये था।

यदि हम आय-व्ययक सत्र में अन्तरावधि न रखते तो इस विधान की आवश्यकता ही नहीं थी। यह प्रथा उचित नहीं है।

तीसरी बात यह है कि हम जिस विधान का संशोधन कर रहे हैं वह स्वयं भी एक संशोधन विधेयक था। १९३१ के करों के अस्थायी संग्रह अधिनियम से पहले कर-संग्रह के लिये ३० दिनों की ही अवधि १९३१ में सर जार्ज शुस्टर ने ६० दिनों की अवधि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भी ठीक ऐसे ही तर्क दिये थे। सरकार अपनी ही सुविधा देखती है जनता की नहीं। आय-व्ययक सत्र को दो भागों में बांटना उचित नहीं है।

अब इस अवस्था में भी सरकार को सभा में साफ़-साफ़ स्थिति प्रकट कर देनी चाहिये।

मेरे कहने का आशय यही है कि उपमंत्री का यह कथन ग़लत है कि यह एक सरल सा विधेयक है।

†**श्री बीरेन राय** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम): इस विधान द्वारा केवल साधारण आय-कर के संग्रह के लिये ही होना चाहिये था क्योंकि आय-कर तो जारी ही रहता है लेकिन अभी तो हम कई प्रकार शुल्क लगाने जा रहे हैं जैसे कि सम्पत्ति का कर.....

†**वित्त मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: करों का अस्थायी संग्रह अधिनियम का सम्पत्ति के कर से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। उसको सभा अलग से पारित करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बीरेन राय** : संसद् का अगला सत्र १४ या १५ जुलाई से होगा इसलिये १२० दिनों के स्थान पर इसे ९० दिनों की अवधि रखने से भी काम चल सकता था। इस अस्थायी संग्रह से कुछ दरों को विमुक्ति भी देनी चाहिये थी जैसे कि रेल किराये की दरें।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : वह भी इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

†**श्री बीरेन राय** : साधारण जनता पर प्रभाव डालने वाले कुछ शुल्कों को भी विमुक्ति देनी चाहिये थी।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : मैं इस विधेयक का विरोध करके यही प्रदर्शित करना चाहता हूं कि मैं साधारण जनता को चूसने वाले इस आय-व्ययक से असहमत हूं। इसे तो मैं उचित समझता हूं कि अस्थायी कर-संग्रह के लिये व्यवस्था करना आवश्यक होता है लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि इस आय-व्ययक द्वारा साधारण जनता पर करों का भार बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। इसे अतिसंयम मात्र कहना अनुचित है। यह आय-व्ययक साधारण जनता को बिल्कुल ही बरबाद कर देगा।

मैं इस संशोधन विधेयक का सिद्धान्ततः विरोध करता हूं क्योंकि इसका विरोध न करने का अर्थ इन कराधान-प्रस्तावों का मौन अनुमोदन ही होगा।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इस पर जितने भी दोषारोपण किये गये हैं उन सब का अधिकांश जोर इसी एक बात पर है कि आय-व्ययक सत्र को दो भागों में रखा गया है। अभी-अभी बाद में जो सदस्य बोल थे उनकी बातों को छोड़ कर अन्य सभी माननीय सदस्यों की आलोचना मुख्यतः इसी दृष्टिकोण से की गई है कि आय-व्ययक सत्र को दो भागों में बांटना उचित नहीं था।

लेकिन यह निर्णय तो माननीय सदस्यों की सुविधा के विचार से ही किया गया था कि जून और शुरू जुलाई के महीने में उन्हें दिल्ली की गर्मी में न रहना पड़े, वे अपने अपने घरों में रह सकें। इस सभा के आधे से अधिक सदस्यगण नये हैं। श्री नायर तो काफ़ी समय से सभा के सदस्य हैं, उन्हें याद होगा कि पांच वर्ष पूर्व पिछले अवसर पर भी हमें लगभग अगस्त के अन्त तक ही बैठना पड़ा था और कई नये सदस्यों को उससे बड़ी असुविधा हुई थी।

इसका यह मतलब नहीं है कि इससे सरकार को कोई असुविधा ही नहीं होती और इसमें केवल सदस्यों की सुविधा ही देखी गई है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे स्वयं इससे किसी भी प्रकार की असुविधा न होती क्योंकि आय-व्ययक पारित कराने के लिये मुख्यतः मुझे ही उपस्थित रहना आवश्यक नहीं था। वैसे मैं जून के अन्त तक दिल्ली में रहूंगा ही। लेकिन यह निर्णय इसीलिये किया गया था कि जून का महीना और शुरू जुलाई का पखवारा दिल्ली में काटना कुछ कठिन ही होता है। और सरकार उन दिनों माननीय सदस्यों को दिल्ली में रहने पर मजबूर करने की निर्दयता नहीं करना चाहती थी। इसका यही स्पष्टीकरण है। यदि माननीय सदस्यों की दृष्टि से यह उचित नहीं है, तो उन्हें पहले ही सभा के नेता या संसद्-कार्य मंत्री को उसकी सूचना दे देनी चाहिये थी। हो सकता है कि मामले की जांच होती और अन्य माननीय सदस्यों की इच्छा का पता लगाया जाता।

इसीलिये अब यह आवश्यकता सामने आयी है कि सभा का कार्य इस प्रकार बांटने के बाद अगली बैठकें आरम्भ होने तक छः सप्ताहों की अन्तरावधि रहने के कारण इस विधेयक को पारित किया जाय। एक माननीय सदस्य ने पूछा है इसकी अवधि १२० दिनों की क्यों रखी गई है। यह इसीलिये किया गया है कि शायद सभा का कार्य अगस्त के तीसरे सप्ताह या उसके भी कुछ बाद में पूरा हो सकेगा। हो सकता है कि जल्दी भी हो जाय। यदि माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि वित्त विधेयक को अनुदानों की मांगों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ती० त० कृष्णामाचारी]

से पहले लेना चाहिये और उसकी सभी अवस्थायें एक ही पखवारे में समाप्त कर देनी चाहिये तो उस सीमा तक इस अधिनियम विशेष के कार्य-संचालन के लिये समय के उचित बंटवारे से सम्बन्धित इस विधेयक की व्यवस्थायें अप्रयोगावस्था में पड़ जायेंगी। इसीलिये हम वित्त विधेयक को उसी रूप में अधिनियमित करेंगे जिसमें कि सभा चाहती है। और यदि सभा वित्त विधेयक पारित करने में पांच या छः दिन लगाती है और राज्य-सभा उसमें चार या पांच दिन लगाती है तो हम जुलाई के अन्त तक सभा कार्य समाप्त कर सकेंगे। तब यह वित्त विधेयक भी ७५ दिनों की अवधि में क्रियाकारी होगा। तब हमें ७५ दिनों के समय की आवश्यकता रह जायेगी। हमने १२० दिन इसलिये रखे हैं कि शायद उसमें ७५ से अधिक दिन लग जायें। हो सकता है १०५ दिन लग जायें, हां १२० दिन तो नहीं लगेंगे।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गय था कि विस्तारित अवधि दिसम्बर तक क्यों रखी गई है? इसलिये, कि दूसरे विधेयक को पुरःस्थापित करने का कोई भी अवसर नहीं है। जो भी हो, अभी मेरा वैसा कोई कार्यक्रम नहीं है। विधि विभाग बहुधा अस्थायी विधानों के लिखता है—"वर्ष के अन्त तक।" इसलिये, सरकार इससे कोई अनुचित लाभ नहीं उठा रहा है। यह विधेयक एक विशेष प्रयोजन के लिये है। अब विरोधी दल इसका अनुमोदन करे या न करे, यह दूसरी बात है। पर मैं आपको आश्वास्त करता हूं कि इस विधेयक का प्रयोग सीमित ही है, और वह सभा की बैठकों का क्रम बदलने के कारण ही आवश्यक हो गया है। अब यदि आप बैठकों के क्रम पर ही आपत्ति करें और उसे बदल दें, तो पारित होने पर भी इस विधेयक की व्यवस्थाओं का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यदि माननीय सदस्य संसद्-कार्य मंत्री और सभा के नेता को सहमत करके संसद् की बैठकों के समय में यह परिवर्तन करा लें कि वर्तमान सत्र लगातार मध्य जुलाई तक जारी रहेगा, तो शायद हमें अनुदानों की मांगों में बीस या पच्चीस दिन, वित्त विधेयक में सात या आठ दिन लगेंगे और राज्य-सभा भी वित्त विधेयक में छः या सात दिन लगायेगी, और इस प्रकार हम १५ जुलाई तक सभा का कार्य समाप्त कर लेंगे। और, १४ जुलाई इसकी अन्तिम तिथि है। इसलिये इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिये, यदि आप चाहें तो इसी विचार को दूसरे तरीकों से भी कार्यान्वित कर सकते हैं। यदि सभा इस विधेयक को पारित भी कर देती है, तो भी वह क्रियाकारी नहीं हो पाता।

इसलिये, मेरे उपमंत्री ने यह ठीक ही कहा था कि यह एक सरल सा विधान है, क्योंकि यह विधान तो अपने आप में सरल ही है। उसमें कोई भी अन्य निहित प्रयोजन नहीं है। उसके द्वारा न तो किसी पर जुरमाना किया जा रहा है और न किसी भी दल के माननीय सदस्यों को उनके विशेषाधिकारों से वंचित किया जा रहा है इसीलिये, मेरी भावना है कि मैंने और मेरे सहयोगी ने वही कुछ कहा है जो हमें कहना चाहिये था।

फिर, यह वापसी की समस्या भी नई नहीं है। हमेशा से यही होता आ रहा है। कभी-कभी संसद् अपनी राय बदल देती है, या कभी-कभी हम संसद् की राय के अनुसार अपनी राय बदल देते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी ने यह प्रश्न उठाया है। वे स्वयं भी कई वर्षों तक राजस्व तथा व्यय मंत्री के पद पर रहे हैं, और उन्होंने उसे बड़ी खूबी से सम्भाला है। और, मुझे विश्वास है कि यदि मैं पिछले रिकार्डों को देखूं, तो मुझे कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां राजस्व तथा व्यय मंत्री को अपने समय के वित्त मंत्री की ओर से उत्तरदायित्व लेना पड़ा होगा और धारा २३ के अधीन जनता से शुल्क संग्रह करने की व्यवस्था में रद्दो-बदल करना पड़ा होगा। यह तो सामान्य तौरप र होता ही रहा है। यह शक्ति कार्य-पालिका को प्रदान की जाती है और कार्य-पालिका उसका प्रयोग बहुत कभी-कभी ही और विवेकपूर्ण ढंग से जनता के लाभ के लिये ही करती है। मुझे इसमें भी कोई सन्देह नहीं

ह कि उन बीसियों अवसरों पर मेरे माननीय मित्र ने सदा ही धारा २३ का सदुपयोग ही किया है। उन्होंने कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया।

मैं माननीय मित्र को आश्वस्त करता हूं कि मैं उन्हीं के क़दमों पर चल रहा हूं और मैं संविधान के औचित्य और इस सभा के नियमों से भटक नहीं रहा हूं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि मेरे उपमंत्री ने अपने भाषण के आरम्भ में यह बिल्कुल ठीक ही कहा था कि यह विधान एक सरल सा विधान है। और सभा के समय में परिवर्तन के कारण ही आवश्यक हो गया है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : (मुकन्दपुरम) यदि वित्त विधेयक पारित करने तक संसद् कुछ चीज़ों के उत्पादन शुल्क में कमी कर देती है, तो उस समय तक जनता द्वारा दिये गये अतिरिक्त मूल्यों की वापसी कैसे होगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** वह तो इस विधेयक के पारित न करने पर भी होगा। १५ जुलाई तक तो सरकार, विक्रेताओं और अन्य सभी के कार्य इसी प्रकार जारी रहेंगे ही।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि करों के अस्थायी संग्रह अधिनियम १९३१ म एक अस्थायी अवधि के लिये संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र और नाम विधयक में जोड़ दिये गय।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

†**श्रम और रोज़गार तथा योजना मंत्री (श्रीनन्दा)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक में चार ही खण्ड हैं। हालांकि यह एक छोटा सा विधेयक है, लेकिन इसमें जो विषय लिया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव मेहनतकश वर्गों की विशाल जनता पर पड़ेगा। उद्योग के क्षेत्र में भी इसके कुछ परिणाम होंगे। मैं विधेयक की व्यवस्थाओं की व्याख्या और इस अध्यादेश की अनिवार्यता के स्पष्टीकरण से पहले, यह आवश्यक समझता हूं कि इस विषय से सम्बन्धित विधान की आरम्भिक अवस्था के बारे में कुछ कहूं। वर्ष १९५३ में, देश में लगभग इसी प्रकार की परिस्थिति सामने आई थी। उस समय छंटनियां की गई थीं, कई पालियां बन्द कर दी गई थीं और देश भर में बहुत से मज़दूर तथा उपक्रम बेरोज़गारी की लपेट में आने लगे थे। उन परिस्थितियों में भी एक अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ा था जो बाद में सभा द्वारा एक विधेयक के रूप में पारित किया गया

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री नन्दा]

था। उस विधान ने क्या क्या परिवर्तन किये थे? वह परिवर्तन औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अध्याय ५-क में दिया गया है। उसके दो भाग थे—एक तो अस्थायी तौर पर काम बन्द करने के सम्बन्ध में था, जिसके लिये उस विधान से पहले मजदूरों के पास कोई इलाज ही नहीं था। उसमें देखा गया था कि उस त्रुटि को दूर करने का कोई विधान न होने के कारण मजदूरों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था। उसका दूसरा भाग उन मामलों के सम्बन्ध में था, जिनमें मजदूरों की सेवायें बिल्कुल ही भंग या समाप्त कर दी जाती थीं। अध्यादेश में, और बाद में संशोधन अधिनियम में, इन दोनों ही के बारे में कुछ व्यवस्थायें की गई थीं। व्यवस्था यह की गई थी कि जिस मजदूर को अस्थायी तौर पर काम बन्द करने के फलस्वरूप कुछ दिनों के लिये काम से बैठाया जाये उसे एक निश्चित दर पर प्रतिकर देना चाहिये। उसमें व्यवस्था यह थी कि कुल मूल तनख्वाहों और महंगाई भत्ते का ५० प्रतिशत प्रतिकर के रूप में देना चाहिए। छंटनी के मामलों में, व्यवस्था यह थी कि पूरे एक वर्ष की सेवा या छः महीनों से अधिक की सेवा वाले प्रत्येक मजदूर को १५ दिनों की औसत तनखा के बराबर अदायगी की जानी चाहिये। इन दोनों ही के लिये इन व्यवस्थाओं के प्रवर्त्तन के नियमन के लिये कुछ अन्य शर्तें भी लगा दी गई थीं।

इस विधान के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि मालिकों में कुछ भय पैदा करके उन्हें उचित ढंग से चलाया जाये। आशा यह थी कि यदि अस्थायी तौर पर मजदूरों को काम से बिठाने या छंटनी करने के समय मालिकों से उसके लिये काफी अदायगी करने की व्यवस्था की जायेगी, तो शायद मालिक उनका प्रयोग नहीं करेंगे, और हो सकता है कि अदायगियों के भय से अस्थायी तौर पर काम बन्द करना और स्थायी तौर पर काम बन्द करना कुछ हद तक बन्द हो जायेगा। उसका एक दूसरा भी पहलू था। इसके द्वारा स्थायी और अस्थायी तौर पर काम बन्द करना तो कम कराया जा सका था, लेकिन फिर मजदूर की अपनी भी तो समस्या है। बेरोजगारी के काल में, दूसरा रोजगार मिलने तक, उसे कुछ सहायता मिलनी चाहिये जिससे कि वह उस काल में अपना निर्वाह कर सके।

बाद में एक और संशोधन हुआ जो कुछ अन्य पहलुओं के बारे में था। ऐसे मामलों में, जिनमें उपक्रम एक हाथ से दूसरे हाथ मे चला गया हो, अधिनियम को लागू करने में कुछ शंका थी। केवल नियोजक बदल गया और तो कोई परिवर्तन नहीं हुये। केवल इसीलिये कि इस परिवर्तन के कारण कोई और परेशानी न बढ़े एक संशोधन पेश किया गया। मैं इस अधिनियम—विशेष रूप से संशोधित भाग के संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदनों को देख चुका हूं। मैं अध्याय ५-४ का उल्लेख कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि अधिनियम का यह भाग ठीक रूप में संचालित किया गया है। उससे कोई गड़बड़ी नहीं पैदा हुई बल्कि इससे कर्मचारी वर्ग का लाभ ही हुआ है।

गत वर्ष २७ नवम्बर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय के कारण एक गम्भीर समस्या पैदा हो गई। यह निर्णय दो मामले पर दिया गया था। एक मामला बारसी लाइट रेलवे तथा उसके कर्मचारियों के बीच था दूसरा दिनेश मिल्स लिमिटेड, बड़ौदा के बन्द होने के बारे में था। चूंकि जब सारा उपक्रम बन्द रहता है तो विधेयक के अनुसार प्रतिकर देने की कोई व्यवस्था नहीं है अतः कोई प्रतिकर नहीं दिया गया। बम्बई उच्च न्यायालय का विचार था कि "छंटनी" शब्द की व्याख्या में ऐसे भी मामले आ जाते हैं। छंटनी का मतलब है नियोजक द्वारा किसी कारण से, दण्ड को छोड़कर, कर्मचारी का निकाला जाना। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया तो सर्वोच्च न्यायालय का विचार इससे भिन्न था। हम उसके निर्णय को गलत नहीं कह सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के संचालन, उपस्थित परिस्थिति का अध्ययन किया और इस निर्णय पर पहुंचा कि यहां पर

'छंटनी' शब्द का सामान्य अर्थ लग सकता है। जैसा कि एक दो दिन पहले गृहमंत्री ने बताया था, हो सकता है विधान का प्रारूप तैयार हो रहा हो क्योंकि अधिनियम की इस कमी को ठीक करने की जिम्मेदारी हमी पर है।

एक विधेयक द्वारा ही यह संशोधन हमें करना था और सामान्यतया अध्यादेश को प्रख्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संसद् में पुरःस्थापित करने के लिये विधेयक तैयार किया जा रहा था कि इसी बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई और सरकार को मजबूर होकर यह सब करना पड़ा। केन्द्रीय क्षेत्र तथा राज्यों के अनेक उपक्रमों के बन्द होने के सम्बन्ध में जो सूचनायें हमारे पास हैं उनसे पता लगता है कि यदि इन सूचनाओं को लागू किया गया तो बहुत से मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। हमें राज्य संचारों द्वारा भेजे गये संचार प्राप्त हुई है कि स्थिति गम्भीर होती जा रही है और भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ अवश्य करना चाहिए। ये संचार अध्यादेश लागू होने के कुछ दिनों पूर्व हमें मिले थे। जिन मिलों से संचार हमें मिले हैं उनके नाम हैं कानपुर काटन मिल्स, कानपुर, अहमदाबाद लक्ष्मी कांटन मिल्स, अहमदाबाद फतेहसिंह मिल्स।

इस स्थिति का हमें सामना करना था और इसीलिए अध्यादेश निकाला गया। ऐसा विचार था कि यदि नियोजकों को पता लग जायेगा कि यदि वे उपक्रम बन्द कर देंगे तो उनको छंटनी किये गये सभी कर्मचारियों को प्रतिकर देना होगा; इससे काफी धन व्यय हो जायेगा और अधिकांश नियोजकों ने अभी अन्तिम रूप से काम बन्द कर देने का निश्चय नहीं किया है। वास्तव में होता यह है किसी विशेष समय पर लाभ ठीक नहीं होता या कठिनाइयां बढ़ जाती हैं उस समय काम बन्द करके, मजदूरों को निकाल दिया जाता है और फिर समय अनुकूल आते ही काम फिर शुरू किया जाता है। यह विधान ऐसी ही अवस्था में मजदूरों की बेरोजगारी को रोकने के लिए था और यही हुआ भी। हम देखते हैं कि अध्यादेश जारी होने के बाद कुछ बड़े-बड़े उपक्रमों के विचारों में परिवर्तन हो गया है। उनको समझा कर बताया गया कि उद्योग, उपभोक्ता तथा देश के हित को हानि होगी यदि उत्पादन में कमी की गयी। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इसी कारण अध्यादेश निकाला गया था। अब उसके स्थान पर एक विधेयक पेश किया जा रहा है। अब मैं बताऊंगा कि वह विधान क्या है।

मूल विधान की त्रुटियों को दूर करने के लिए खण्ड (३) की नई धारा २५ चचच में व्यवस्था की गयी है कि किसी भी कारण से उपक्रम बन्द होने पर, लगातार एक वर्ष से काम करते रहने वाले छंटनी किये गये सभी मजदूरों को धारा २५च के अनुसार प्रतिकर मिलेगा। एक परन्तुक में यह भी विशेषता है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी उपक्रम के बन्द होने पर मजदूरों को उनके तीन महीने के औसत वेतन से अधिक प्रतिकर नहीं मिलेगा पर एक व्याख्या द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आर्थिक हानि या माल को न बिकने के कारण जो उपक्रम बन्द होंगे उन्हें अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बन्द होना नहीं माना जायेगा।

यही इस विधान की मुख्य बात है। भवन निर्माण संबंधी उपक्रमों को इस विधान में सम्मिलित करने के लिये विषेश उपबन्ध किया गया है। यह कोई नई बात नहीं है। १९५३ में जब मूल संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी उस समय हमारा इरादा ऐसी सभी संस्थाओं को सम्मलित करने का था। अभी भी चलने वाले तथा बन्द हो गये उपक्रमों के मजदूरों में भेदभाव रखने का विचार हमारे दिमाग में उस समय नहीं था। अतः हम उन्हीं मूल बातों को ही फिर से लागू कर र हैं।

[श्री नन्दा]

पर सर्वोत्तम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रख कर हमें स्थिति पर अधिक अच्छी तरह विचार करना है । निर्णय ने सद्भावना से बन्द करने या बिना किसी खास कारण के बन्द करने का प्रश्न पैदा कर दिया है । पर मेरा तो यह कहना है कि नियोजकों को मामूली कारणों पर उपक्रम बन्द नहीं करना चाहिये और यदि वे ऐसे करते हैं तो मजदूरों को प्रतिकर दिया जाना चाहिये ।

फिर भी, ऐसे अवसर आ सकते हैं जब नियोजक को ऐसे कारणों से, जैसे भूचाल आ जाने या डाका पड़ जाने के कारण, उपक्रम को बन्द करना पड़े तो ऐसे मामलों को साधरण मामलों की भांति नहीं माना जाना चाहिये अतः ऐसे मामलो को भिन्न माना गया है । उपबन्ध मे दी गयी "अपरिहार्य परिस्थितियों" से स्पष्ट है कि यदि कोई नियोजक आ कर कहे कि हमारे पास सामान इकट्ठा करने के लिये स्थान नहीं है या हमें कई वर्षों से लगातार हानि होने के कारण हमारे पास धन नहीं है और वह उपक्रम को बन्द करना चाहता है तो उसे छटनी के उपबन्धों से किसी प्रकार की मुक्ति नहीं दी जा सकती । मजदूरों के हितों की रक्षा सभी परिस्थितियों में की जानी चाहिये । केवल नैसर्गिक संकट या आपत्ति की अवस्था में मामले को विशेष मामला माना जायेगा ।

संशोधन करने वाले विधान का मूल उद्देश्य यही था कि उपक्रमों को बन्द होने से रोका जाय और जहां तक संभव हो बेरोजगारी को भी रोका जाये । पर वे मामले निर्माण कार्यों वाले मामलों से बिल्कुल भिन्न हैं । निर्माण कार्यों के मामले में तो बात यह है कि यदि कोई भवन या परियोजना का निर्मान हो रहा है तो उसमें २ या तीन वर्ष लग सकते हैं अतः मजदूरों का रोजगार २ या तीन वर्ष बाद समाप्त हो जायेगा । अतः जब हम यह उपबन्ध लगा रहेहैं तो इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे मामलों के दिन जो पुराने उपबन्ध हैं उनको हम खतम कर रहे हैं । वल्कि हम तो एक नवीन प्रकार के मामलों के लिये यह उपबन्ध बना रहे हैं ।

मेने इस विधेयक के उपबन्धों की व्याख्या कर दी है । पर जब हम बेरोजगारी की समस्या की चर्चा कर रहे हैं जब हमें इस बात की सावधानी रखनी है कि इस प्रकार उपक्रमों के बन्द होने से मजदूरों को हानि न हो तो उसका यह उत्तर या हल नहीं है क्योंकि छटनी के मामलों में मजदूरों को प्रतिकर मिलने का उपबन्ध करने मात्र से काम नहीं बनेगा क्योंकि इससे बेरोजगारी कम नहीं होगी और किन्ही किन्ही मामलों में बढ़ भी जायेगी । अतः इस बड़ी समस्या को दूसरे अन्य उपायों से हल करना होगा और इस समय मैं नहीं बताना चाहता कि हमें इसके लिये क्या करना चाहिये । सरकार का कर्त्तव्य है कि यदि जनता को किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो पैदा की जा रही है, तो उस चीज के उत्पादन में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये और उसके उत्पादन में भी कोई हानि नहीं होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में सरकार के पास औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन कुछ अधिकार हैं जिन्हें वह अवसर पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती है ।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं । नियोजन का मूल अधिकार है कि वह किसी भी उपक्रम को शुरू करे, चलाये या बन्द कर दे । हम उसके अधिकार में किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालना चाहते । हम नियोजक को वाध्य नहीं करते कि किसी भी परिस्थिति में वह उपक्रम को बन्द नहीं कर सकता । हम तो केवल यह कहना चाहते है कि यदि नियोजक उपक्रम को बन्द करना चाहता है तो उसे मजदूरों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिये ।

मुझे केवल इतना ही कहना है । में आशा करता हूं कि चूंकि यह विधान मजदूरों के हित के लिये है और इस में कोई नई बात नहीं रखी जा रही है, इस विधान को सभी लोग स्वीकार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के स्थान पर नया विधेयक पेश किया गया है । मैं उसका स्वागत करता हूं पर मूल विधेयक में जो त्रुटियां थीं वह नये विधेयक में भी हैं ।

मैं अध्यादेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बरसी लाइट रेलवे कम्पनी के कर्मचारियों को प्रतिकर नहीं मिलना चाहिये था । यह कम्पनी १-१-५४ को बन्द हो गई थी । माननीय मंत्री ने बताया कि विधेयक की धारा २, १० मार्च, १९५७ से लागू होगी । बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय देते समय निषेधाज्ञा निकाल दी थी कि बरसी लाइट रेलवे कम्पनी अपने ३० लाख रुपये को, जो भारत में था, किसी विदेशी के हाथ हस्तान्तरित नहीं करेगी । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तुरन्त बाद २७-१-५७ को कम्पनी ने ३० लाख रुपये का हस्तान्तरण कर दिया । अतः अब इस विधेयक से बरसी लाइट रेलवे कम्पनी के उन कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होगा जो छटनी में निकाल दिये गये थे ।

माननीय मंत्री ने यदि इस मामले में माननीय वित्त मंत्री से शिक्षा ली होती तो ठीक होता । कर्मचारी बीमा के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री ने ७२ घण्टे के भीतर अध्यादेश निकलवा कर अपना काम निकाला था पर माननीय मंत्री ने कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिये अध्यादेश निकालने में ५ महीने का समय लगा दिया ।

मूल अधिनियम को पास करते समय १९५४ में सभा की धारणा यह थी कि यदि कर्मचारियों को निकाला जाय तो उन्हें कुछ न कुछ प्रतिकर दिया जाना चाहिये ताकि बेरोजगारी के जमाने में, जब तक उन्हें दूसरा काम न मिले तब तक वह इस प्रतिकर से अपना तथा अपने परिवार का भरशा पोषण कर सकें ।

इस संशोधक विधेयक के द्वारा भी समस्या हल नहीं होती क्योंकि "सद्भावना" से या "नेक-नीयती" से उपक्रम को बन्द करने का उपबन्ध कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता । कर्मचारी प्रतिकर की मांग करके मामला न्यायाधिकरण में ले जायगा; दो या तीन वर्ष बाद निर्णय होगा । नियोजन भी "सद्भावना" सिद्ध करने के लिये वकील रख लेगा । इससे भी समस्या हल नहीं हुई । फिर, प्रतिकर की कोई निश्चित नहीं बताई गई है केवल सीमा अधिक से अधिक प्रतिकर" का उपबन्ध किया गया है । यह ठीक नहीं है । दूसरे, निर्माण-कार्यों में लगे कर्मचारियों का अधिकार क्यों छीना जा रहा है । केन्द्रीय सरकार के निर्माण-कार्यों में लगे कर्मचारियों को इसी अधिनियम की धारा २५ के अधीन प्रतिकर दिया जाता रहा है । अतः हमें इस उपबन्ध का विरोध करना पड़ेगा ।

हमें विधेयक के उपबन्धों में उचित परिवर्तन करना चाहिये वैसे हम विधेयक के सिद्धान्तों का स्वागत करते हैं । एक तो उस उपबन्ध में परिवर्तन करना चाहिये जिसमें "छटनी का प्रतिकर" देने को रोका गया है । कर्मचारियों को प्रतिकर अवश्य मिलना चाहिये चाहे किसी भी कारण से उपक्रम को बन्द किया जाय ।

उपक्रम के हस्तान्तरण द्वारा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर कोई प्रभाव न पड़ने देने का उपबन्ध किया गया है पर, कठिनाई तो यह है कि ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि नियोजन हस्तान्तरण की सूचना कर्मचारियों को अवश्य दे । अतः नियोजन किसी भी शर्त पर हस्तान्तरण कर देगा और कर्मचारियों को पता भी नहीं लगेगा । कुछ समय बाद जब उसकी सेवा की शर्तों में अन्तर हो जाता है तो उसे पता लगता है कि उपक्रम हस्तान्तरित किया जा चुका है । अब कर्मचारी क्या कर सकता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टी मेनन]

है । अतः ऐसा उपबन्ध होना आवश्यक है कि हस्तान्तरण की सूचना कर्मचारियों को अवश्य दी जानी चाहिये ।

माननीय मंत्री ने, अध्यादेश के सम्बन्ध में जो विरोध किया गया, उसका उल्लेख किया है । मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद तुरन्त ही अध्यादेश जारी कर दिया गया होता तो मजदूरों को इतनी हानि न उठानी पड़ती । अब मैं चाहता हूं कि यह विधेयक २४ अक्तूबर, १९५३ से चालू किया जाय ताकि अनेक लोगों को लाभ हो सके ।

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर) : मैं इस विधान का स्वागत करता हूं । हमारे देश में नियोजकों तथा कर्मचारियों में हमेशा संघर्ष होता आया । नियोजन उनको हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं । मैं माननीय श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन त्रुटियों को, जिन्हें मेरे माननीय मित्र ने बताया है, दूर कर दिया जाय और संशोधनों को स्वीकार करके इसे पारित किया जाय ।

इन शब्दों के साथ में इस विधान का स्वागत व समर्थन करता हूं ।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आज सदन के सम्मुख प्रस्तुत है इसके लिए हिन्दुस्तान के हजारों और लाखों मजदूर चाहे वे ज्यूट मिलों में काम करते हों या टैक्स्टाइल मिलों में काम करते हों मुंतजिर थे और वे चाहते थे कि इसको जल्दी लाया जाए । आज जो सरमायादार है या मिल मालिक है वह अपनी खुशी से जब चाहे मिल को बन्द कर देता है और सरकार के सामने तथा जनता के सामने सिर्फ एक चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है कि मिल नुकसान में चल रही थी । मैं कानपुर से चुनाव लड़ कर आया हूं जोकि एक मजदूर नगर है और मैं जानता हूं कि वहां क्या होता है । मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कानपुर काटन मिल जोकि आज तकरीबन तीस या चालीस साल से या इससे भी ज्यादा सालों से कानपुर में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के हाथों में है, उसने यही कारण बताया है कि सन् १९५२ से नुकसान हो रहा है । आज भी अगर अच्छे तरीके से जांच की जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मुअज्जि लेबर मिनिस्टर साहब से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अच्छी तरह जांच करने के बाद यह मालूम होगा कि यही कानपुर कौटेन मिल ने कुछ महीने पहले लाखों रुपये की नई मशीनों का आर्डर दिया है । मिल को बंद करने का उनका ऐक ही मकसद है कि वह चाहते हैं कि वहां रैशन्लाइजेशन (वैज्ञानिकन) हो और कुछ मजदूरों की रोजी छीनने के बाद उनको सड़कों पर धक्का देने के बाद नये सिरे से मजदूरों की भरती हो और उनका बोनस मार दिया जाय, उनको तबाही के रास्ते पर ले जाया जाय और उसके बाद नई भरती करके मिल को रैशन्लाइज तरीके पर चलाया जाय ।

मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने सुना कि आज यह बिल इस सदन् के सामने आ रहा है लेकिन जब मैं ने श्रम मंत्री महोदय को बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीजंस् (उद्देश्यों और कारणों के विवरण) के बारे में तफसील से समझाते हुए सुना तो उस एक्सप्लेनेशन (व्याख्या) से कुछ तसल्ली जरूर हुई लेकिन जहां पर उन्होंने कहा कि "नेचुरल क्लैमिटी (नैसर्गिक आपत्ति) हो और "बियौंड कंट्रोल" हो, तो मिलमालिक क्या करे, वह चीज ज़रा मेरे गले के नीचे नहीं उतरी मैंने हिन्दुस्तान में ऐसा तो कभी नहीं देखा कि कोई भूचाल आया हो और मिल और मिलमालिक दोनों को लेकर चला गया हो । इस तरह की तो कोई बात है नहीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मैं यह मानता हूं कि यह जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है कि धन की कमी या अधिक माल इकठ्ठा हो जाने के कारण कारखाने को बन्द करने को अपरिहार्य कारणों से कारखाने को बन्द नहीं माना जायेगा। उसमें आपने मजदूरों को प्रोटेक्शन (संरक्षण) दिया है। अनडिस्पोज्ड आफ स्टाक्स् (माल पड़ा रहने) की अवस्था में भी आपने मजदूरों को प्रोटेक्शन दिया है। नैचुरल क्लैमिटीज की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जब रैशन्लाइजेशन होगा तो चाहे वह कानपुर में हो, अहमदाबाद में हो या कलकत्ते में हो, उसका खमियाजा मजदूरों को भुगतना होगा। मार्डन ऐज (आधुनिक युग) की दुहाई देकर वह मजदूरों को बेकार करना चाहते हैं और इसका नतीजा यह होगा कि वे मिल मालिक तकरीबन एक चौथाई मजदूरों को निकाल सकेंगे। वे अनऐवायडेबुल रीजंस् (अपरिहार्य कारणों) दिखा करके नई मशीनें लगाना चाहते हैं और पुरानी मशीनें तब्दील करना चाहते हैं और इस काम में करीब ६ महीने या ८ महीने लगा देंगे और इस तरह ६ महीने के लिए वह मिल बन्द होती है और मजदूर बेकार होते हैं तो उनको कह दिया जायेगा कि दिस इज बियौंड कंट्रोल (यह क्षमता से बाहर है) और ३ महीने की एवरेज पे (औसत वेतन) देकर जो कि तकरीबन १५० रुपये या २०० रुपये होगी, उनको मिल बाहर कर दिया जायगा। अब आप ही बतलाइये कि इस तरह निकाला हुआ मजदूर क्या करेगा? आज के कठिन समय में जब कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज के अनुसार रजिस्टर्ड बेकारों की तादाद तकरीबन ७ लाख के है और बहुत काफी तादाद अनरजिस्टर्ड बेकार लोगों की हमारे देश में है, हमारा मजदूरों को इस तरह निकालने देना कहां तक उचित होगा। आज हमारे अन्य मजदूरी पेशा वालों और रिक्शा वालों की कैसी खराब हालत है और आज साधारण मजदूर तबाही के रास्ते पर चल रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे सामने के मुअज्जि दोस्त यह कहेंगे कि देश में बहुत तरक्की हुई है और देश तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि देश तरक्की के रास्ते पर नहीं जा रहा है लेकिन जब आप यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान तरक्की के रास्ते पर है तो क्या आपके सामने कभी उस ७५ साला बुजुर्ग का भी चित्र आया है जो कि अवस्था में हमारे पिता के समान है, जिसके हाथ पैर कांपते हैं, जिसका फेफड़ा फूलता है और जिसकी कि आंख में बिनाई न हो, २ आने में साइकिल रिक्शा चला रहा है? आज तो जरूरत इस बात की थी मजदूरों को और ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए था। बजाय कम्पेंसेशन (प्रतिकर) देने की बात जो इस बिल में रखी गई है, एक ऐसा बिल रखा जाता और सरमायेदारों को साफ तरीके से कह दिया जाता कि वे मिलों को बंद नहीं कर सकते और मिल क्लोजर को बैन (मिल बन्दी पर प्रतिबन्ध) कर देता। यह जो बियौंड दी कंट्रोल आफ दी एम्पलायर की बात रख कर उसको सिर्फ ३ महीने की तनख्वाह देकर मिल के बाहर कर देने की बात है, उसकी मैं मुखालफत करता हूं। मैं कहता हूं कि इस क्लाज (खण्ड) को बिल्कुल डैलीट (निकाल) कर देना चाहिये। यह एक ऐसा शार्प इंस्ट्रूमेंट (तेज हथियार) सरमायदारों के हाथ में होगा और जिसका कि वह नाजायज इस्तेमाल करेंगे और जिसके फलस्वरूप बाद में काफी गड़बड़ मचेगी। सरकार को सरमायेदारों का इतना विश्वास न करना चाहिए और इसलिए यह हथियार जिससे मजदूरों का खून हो सकता है और जिससे मजदूरों के घर उजड़ सकते हैं, उस हथियार को हम सरमायेदारों के हाथ में न दें। यही मेरा नम्र निवेदन है।

मैं आपके जरिये से मुअज्जिज मिनिस्टर साहब से और दूसरे सदस्यों से जो कि उधर बैठे हुए हैं कहूंगा कि आप जहां इस बिल का १०० फी सदी स्वागत करते हैं वहां हम इस बिल का २५ फी सदी स्वागत करते हैं। अगर कहीं आपने ऐसा हथियार सरमायेदारों के हाथ में दे दिया तो वह उसका नाजायज इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे और हमारे बहुत से मजदूर भाइयों की रोजी छिन जायेगी क्योंकि आप बखूबी समझ सकते हैं कि १५० रुपये या २०० रुपये से उनका क्या बनेगा

[श्री स० म० बनर्जी]

और वे तबाह हो जायगे। हमने अमेंडमेंट (संशोधन) के द्वारा यह चाहा है कि २४ अक्तूबर सन् १९५३ से इस को लागू किया जाये जो कि पुराने आर्डिनेंस की डेट (अध्यादेश की तारीख) है। ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि बार्सी लाइट रेलवे की मिसाल आपके सामने मौजूद है। कम्पनी वाले ३० लाख रुपया जो कि मजदूरों की गाढ़े पसीने की कमाई है उसको वे विलायत लेकर चले गये हैं और आज मजदूर परेशानी की हालत में हैं। वह ३० लाख रुपया जिसके कि मिलने से मजदूरों की जिन्दगी बन सकती थी, जिससे उनके घर बस सकते थे और जिस पैसे से कि वे छोटा मोटा काम करके अपना और अपने बालबच्चों का लालन पालन कर सकते थे, वह ३० लाख रुपये कम्पनी वाले लेकर चले गये हैं और यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि बार्सी लाइट रेलवे के अंग्रेज सरमायादार हमारे देश से जो ३० लाख रुपया लेकर चले गये हैं, अगर वह पूरा का पूरा वापिस न मिल सके तो कम से कम इतना तो करवायें जिससे कि बार्सी लाइट रेलवे के मजदूरों को कुछ न कुछ रकम मिले।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सवाल इसका नहीं है कि आप लोग राइटिस्ट्स हैं और हम लोग लेफटिस्ट्स हैं बल्कि यह मजदूरों की जिन्दगी का सवाल है। आज आपके लिए यह उचित न होगा कि जो अमेंडमेंट हम पेश करना चाहते हैं उसको चूंकि हम लोग विरोध पक्ष में बैठे हैं इसलिए आप उनका विरोध करें और उनको स्वीकार न करें। अगर हम चाहते हैं कि इस देश के मजदूर लोग हमारी इस दूसरी पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिए खून पसीना एक कर दें तो आपको उन की हालत को बेहतर बनाना होगा और उसके लिए जो अमेंडमेंट हमने रक्खे हैं उनको आपको मंजूर करना चाहिए।

अब आपने जो यह रक्खा है कि कोई अंडरटेकिंग (उपक्रम) दो वर्ष के अन्दर बिल्डिंग्स्, ब्रिजेज या डैम्स् का कस्ट्रक्शन (निर्माण) पूरा कर लेती है और वह अंडरटेकिंग बंद हो जाती है तो उस हालत में किसी मजदूर को कोई मुआविजा नहीं मिलेगा। मैं अपने लेबर मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने २ साल से कम वाले वर्कमेन (मजदूरों) को कोई मुआविजा न देने की बात रक्खी है तो उस मजदूर की क्या हालत बनेगी ? एक तरफ तो आपके देश में विशाल डैम (बांध) बन रहे हैं, और आप बराबर यह कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत जल्दी एक नया और खूबसूरत देश बनेगा और खूब उन्नति करेगा और जिसे देख कर ऐशिया वाले ही नहीं बल्कि दुनिया वाले रश्क करेंगे, एक तरफ तो इतने डैम, विशाल सड़कें और विशाल इमारतें और ब्रिजेज़ बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ वे लोग जो कि यह सब काम कर रहे हैं और जो कि हिन्दुस्तान को एक विशाल और उन्नतिशील देश बनायेंगे, उनकी रोजी सिर्फ इस वजह से कि चूंकि वह २ साल से कम है, उसको आप छीनने जा रहे हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह कहां का इंसाफ है ? अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिये कि आप उनके साथ बेइंसाफी करते हैं और उनकी जिन्दगी के साथ मजाक करते हैं। हम लोग जो बांयी ओर बैठते हैं और लेफटिस्ट्स हैं वे इन मजदूरों की यहां पर रहनुमाई करते हैं और आप जो दायीं ओर बैठते हैं और जब आप भी मजदूरों की नुमायन्दगी करने का दावा भरते हैं तो आपको भी उन मजदूरों का जो आपके इन डैमों, ब्रिजेज़ कैनाल्स् और बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों के बनाने वाले हैं, उन्होंने अगर १ साल १० महीने या १ साल ११ महीने काम किया है तो काम खत्म होने पर उनको खाली हाथ बगैर कुछ कम्पेंसेशन दिये भेज देना गवारा नहीं करना चाहिए और आपको भी इस तरह की नाइंसाफी कभी गवारा नहीं करनी चाहिए। मैं दुबारा यह अपील करता हूं कि आप इस को राष्ट्रीय दृष्टि से देखिए। आप मुझे इस वजह से गलत न समझें कि मैं बांई तरफ बैठा हुआ हूं, या बांई तरफ चलने वाला इस लिए आप कहें कि जो अमेंडमेंट्स मैं ने पेश किए

हैं, या मेरे साथी अन्य सदस्य पेश कर रहे हैं, वह गलत हैं और उन की मुखालिफत करें। मैं एक सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ता की हैसियत से निवेदन करता हूं कि आप इस पर एक राष्ट्रीय पैमाने पर सोचिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देख कर सोचिए कि किस तरीके से आप इन क्लाजेज को अमेंड (खण्डों का संशोधन) करें। हो सके तो हम लोग एक दूसरा बिल बनाएं जो कि बाद में ऐक्ट की शक्ल में आ जाए, जिस में कि सरमायेदारों के हाथ कांपें उस छुरी के चलाने में जो वह आज मजदूरों पर चला रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज जो अमेंडमेंट्स मैं और मेरे दूसरे साथी आपके सामने पेश कर रहे हैं और आप के जरिये सरकार के सामने पेश कर रहे हैं, आप उनको मंजूर कीजिए। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी इस बिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि इस के ऐक्ट बन जाने के बाद मजदूर इस का स्वागत करेंगे। आज वह बेकार हैं, परेशान हैं। दस हजार मजदूर बंगाल में रिट्रेंच (छटनी) हो चुके हैं। आप को मालूम है कि अभी हाल में प्राविडेंट फन्ड लेने के लिए लोग बंगाल सेक्रेटिरियट गए थे और कहते थे कि प्राविडेंट फंड हमें दो। **कंपेन्सेशन वाज डिनाइड टू देम** (उन्हें प्रतिकर नहीं दिया गया)। वह लोग सेक्रेटेरियट के सामने कह रहेथे कि प्राविडेंट फंड उन को दिया जाए, लेकिन उन को गिरफ्तार किया गया। १२० आदमियों को जेल में बन्द कर दिया गया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इस बिल को ठीक से नहीं पास करेंगे तो १२० क्या हजारों मजदूर सामने आयेंगे। इसीलिए मैं दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखिये, संकुचित विचारों से मत देखिये। हम और आप दोनों इस को राष्ट्रीय पैमाने से देख कर मजदूर का भविष्य अच्छा करने की कोशिश करें ताकि उस के बाल बच्चे हम को और आप को दुआएं दें। हम को चाहिये कि हम मजदूर की रोटी का सहारा बनें भले ही वह डैम बनाते हों, सूती मिल में हों या जूट मिल में हों। अगर आप को उन को रोटी का सहारा देना है तो जो अमेंडमेंट मैं ने पेश किए हैं, मैं आशा करता हूं, कि आप उन पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार कर के उन को मंजूर करेंगे।

†**श्री भरूचा** (पूर्व खानदेश) : माननीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए है पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पास ऐसे अनेक मामले होंगे जिनमें उपक्रम के बन्द होने के कारण मजदूरों को प्रतिकर न मिला होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अध्यादेश जारी करने के लिए क्या सरकार को इसके पूर्व कोई तिथि नहीं मिली। ३ महीने बाद १ दिसम्बर, १९५६ को ही अध्यादेश क्यों निकाला गया ? मैं देखता हूं कि जब कर्मचारियों को कष्ट होता है तो सरकार चुप रहती है पर जब नियोजकों को कष्ट होता है तो सरकार उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। बीमा समवायों के कर्मचारियों के मामले में सरकार ने अध्यादेश निकालने में काफी जल्दी की थी पर इस मामले में ५ महीने का विलम्ब क्यों किया ? सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए।

निर्माण कार्यों के मजदूरों की बात लीजिए। रेलवे मंत्री ने आय-व्ययक भाषण में बताया था १५०,००० मजदूर रेलवे निर्माण कार्यों में काम कर रहे हैं। इस विधेयक के अधीन यह सभी मजदूर प्रतिकर नहीं पा सकेंगे। निर्माण कार्यों तथा अन्य प्रकार के कार्यों में काम करने वाले कर्मचारियों में क्या अन्तर रखा गया है। अतः इस विधेयक को ठीक प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि निर्माण कार्यों के मजदूरों को हानि न होने पावे।

श्री का० ना० पांडे (हाता) : उपाध्यक्ष महोदय, इस के पहले कि मैं इस बिल के सम्बन्ध में कुछ कहूं, मैं उन परिस्थितियों का जिक्र करना चाहता हूं जिन में यह संशोधित बिल इस सदन के सम्मुख आया है। इत्तफाक से हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि प्रजातांत्रिक देश कहलाता है। हमारे उद्योगों में बराबर झगड़े खड़े होते हैं और हम उन के निपटारे के लिए ट्राइब्यूनल्स (न्यायाधिकरण) की मांग करते हैं, अदालतों की मांग करते हैं। और जब अदालतों के फैसले होते हैं तो हर प्रजातांत्रिक

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री का० ना० पांडे]

सरकार और हर प्रजातंत्र को चाहने वाले मनुष्य का यह फर्ज हो जाता है कि वह उस फैसले को मानें। इस में कोई सन्देह नहीं कि कभी कभी अदालतों के फैसले ऐसे भी होते हैं जिन से हमारे स्वार्थ को बड़ा धक्का लगता है, लेकिन मैं ने यह भी देखा है कि कभी कभी ऐसे भी फैसले होते हैं जिन के सम्बन्ध में अभी तक कोई कानून नहीं बना है लेकिन इस के बावजूद अदालतों के फैसलों से हमारे देश में मजदूरों को वह सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं जिनके बारे में कानून में व्यवस्था नहीं है। जो फैसला रिट्रेंचमेंट (छटनी) के सिलसिले में अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में हुआ उस के बारे में सब लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि एम्प्लायर (नियोजक) उस का बेजा फायदा न उठाएं, और मेरा खयाल है कि सरकार ने भी यही सोचा। वह इन्तजार करती रही। उस के बाद जब मिल मालिकों की तरफ से उस का अनुचित लाभ उठाया जाने लगा तभी इस बात की जरूरत हुई कि सरकार इस के सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्रवाई करे। जब सरकार के सामने बहुत से ऐसे मसले आए तब यह आर्डिनेन्स (अध्यादेश) निकला और फलस्वरूप यह संशोधित बिल इस सदन के सामने आया। जो आर्डिनेन्स निकला उस के लिए मैं सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूं, खास कर नन्दा जी को और धन्यवाद देता हूं कि ज्यों ही उन्होंने इस विभाग का चार्ज लिया उन्होंने समझा कि औद्योगिक जगत में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिस से हजारों मजदूर आज बेसहारे घूम रहे हैं, वह निकाले जाते हैं पर उन के एम्प्लयमेंट (रोजगारी) की तरफ कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हालतें ऐसी हैं जिनमें समुचित कार्य वाही की आवश्यकता है। यह कहना गलत है कि इस बिल का कोई मजदूर स्वागत नहीं करता। इसके बारे में उन मजदूरों के हृदय से पूछिये जो कि निकाले गये हैं। और केवल उन मजदूरों ने ही इसका स्वागत नहीं किया है जो कि निकाले जा चुके थे, बल्कि उन मजदूरों ने भी इसका स्वागत किया है जो कि अभी निकाले नहीं गये थे लेकिन यदि यह आर्डिनेन्स न आता तो निकाल दिये जाते। इस बिल के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं इसके साथ ही क्लाज (खण्ड) २५ एफ० एफ० एफ० के सबक्लांज (उपखण्ड) २ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस सब क्लाज में दिया हुआ है :—

> "कि निर्माण कार्यों में लगे हुये मजदूरों को यदि दो वर्ष के भीतर ही काम समाप्त होने पर निकाल दिया जायेगा तो उन्हें धारा २५च के खण्ड (ख) के अधीन प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।"

मैं इस सम्बन्ध में यह कहता हूं कि अगर कोई काम किसी मजदूर के भाग्य से दो साल से ज्यादा समय में पूरा होता है तो इसमें उस मजदूर का क्या दोष है जो प्रतिकर देते वक्त पिछले दो साल उसके कार्य की अवधि में से निकाल दिये जाते हैं। इस बिल में यह सब से बड़ी कमी है। मैं जानता हूं कि श्रम मंत्री जी एक ट्रेडयूनियनिस्ट रहे हैं और वे इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे। आजकल अक्सर बहुत से नये बांध, सड़कें आदि चीजें बन रही हैं। अगर इस सम्बन्ध में सरकार के कम्पेन्सेशन देने की बात होती और उससे सरकार पर बोझ पड़ता तो मैं मानता भी। लेकिन बाज प्राइवेट एम्प्लायर भी बहुत से ऐसे काम करते हैं जो दो साल से ज्यादा में पूरे होते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग के कारण उन प्राइवेट एम्पलायर्स को भी लाभ होगा पर मजदूर इसका लाभ नहीं उठा सकेगा। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे और यदि सम्भव होगा तो वे मजदूरों को इस पीरियड का कम्पेन्सेशन दिलाने की भी उचित व्यवस्था कर देंगे।

इस के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): उपाध्यक्ष महोदय, हम श्रम मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने उन तमाम हालात पर प्रकाश डाला है जिनके कारण १९५३ का अधिनियम ४३ बनाना पड़ा जिसके द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्याय ५क की व्यवस्था की गई। इस काल में दक्षिण और बम्बई की बहुत सी मिलें बिजली म कमी कर देने के कारण या तो बन्द हो गयीं, या उन्हें बहुत से श्रमिकों को नौकरी से निकालना पड़ा। चूंकि यह लोग बेकार हो गये थे और इसमें इनका कोई दोष नहीं था, इसलिये उनको कुछ मुआवजा देना आवश्यक समझा गया। स्थायी श्रम परामर्श समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी तो इस स्थिति में अध्याय ५ क, लागू किया गया जो कि वास्तव में २५क से २५छ तक की धारायें हैं।

कुछ मामले ऐसे थे जहां मिलों का स्वामित्व दूसरे लोगों के हाथ में आगया जिसके परिणाम-स्वरूप वहां के कर्मचारी भी नई कम्पनी में आगये। परन्तु इन लोगों को मुआवजा न नये मालिकों से मिला न पुरानों से। इस कमी को पूरा करने के लिये धारा २५चच बनाई गई। तो संक्षेप इन धाराओं का इतिहास यह है और यह धारायें वास्तव में सामाजिक न्याय पर आधारित हैं।

१९५३ में ये संशोधन औद्योगिक विवाद अधिनियम में किये गये थे और सामाजिक न्याय के आधार पर कर्मचारियों को मुआवजा दिया गया था। परन्तु उसमें मिलों के बन्द होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। उच्चतम न्यायालय के २७ नवम्बर, १९५६ के निर्णय पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या विधान का उद्देश्य मिलों और उद्योगों के बन्द होने को भी अपने अन्तर्गत लाने का है। इसी कमी को पूरी करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। परन्तु इस कमी को दूर करते समय कुछ सन्देह भी पैदा हो रहे हैं। पहले यह था कि कोई कर्मचारी २० वर्ष की सेवा के पश्चात् मिल बन्द होने के कारण नौकरी से हटाया गया हो, तो उसे दस मास का औसत वेतन मुआवजे के रूप में प्राप्त होता था। परन्तु अब यह मुआवजा केवल तीन मास का वेतन होगा। विधेयक में संबंधित धारा के परन्तुक और व्याख्या में परस्पर विरोध है। मेरे विचार में इन दोनों को छोड़ा जा सकता है।

अब, निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों को लीजिये। अभी कहा गया है कि केवल रेलवे के काम में ही १५० हजार व्यक्ति निर्माण कार्य कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना में कई हज़ार और लोगों की जरूरत होगी। इन लोगों को आम औद्योगिक श्रमिकों के लाभों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। इन्हें भी यह लाभ मिलना चाहिए।

मेरे विचार में ऐसा ही अध्यादेश २४ अक्तूबर, १९५३ को लागू हुआ था। उस अध्यादेश का उद्देश्य उन लोगों को संरक्षण देना था जो काम से हटाये जाने वाले थे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वह भी इस विधेयक की परिधि में आ जाना चाहिए। इस विधेयक के द्वारा उन लोगों को भी लाभ मिलना चाहिये जो २४ अक्तूबर, १९५३ के बाद से मिलों के बन्द किये जाने के कारण काम से अलग किये गये। इसलिये यदि विधेयक में इस उद्देश्य से कोई संशोधन न हुआ तो विधान बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** (काकिनाडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक तथा इससे सम्बन्धित स्पष्टीकरण के लिये माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसके स्वागत करने में एक न एक रूप में सभी सदस्य एक मत हैं। इसको बहुत पहिले ही ले आना चाहिए था।

अध्यादेश के लागू होने के संबंध में कुछ आपत्ति उठाई गई है। विधेयक के लाने में देर अवश्य हुई है परन्तु इसके कई कारण हैं। शायद मंत्रालय अदालत के निर्णय को समझने की कोशिश कररहा था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्रम मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही पर निगरानी क्यों नहीं रखी जब कि मालिकों की ओर से वहां अपील की जा चुकी थी। मैं समझता हूं कि मजदूर संघ ही नहीं बल्कि श्रम मंत्रालय भी श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षक हैं और उसे मजदूरों के हितों

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ब० स० मूर्ति]

की रक्षा करनी चाहिये। यह आरोप लगाये जा रहे हैं कि श्रम मंत्रालय मालिकों की सहायता कर रहा है। इस प्रकार के विचारों को बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारा ध्येय समाजवादी समाज स्थापित करने का है। किसी प्रकार के शोषण की आज्ञा नहीं दी जा सकती। लोग अपने आप को बेचना भी चाहें तो सरकार को उन्हें रोकना है। मैं जानना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय की श्रमिकों के प्रति इतनी उपेक्षा की वृत्ति क्यों है? मुझे आशा है कि श्री नन्दा जो स्वयं एक श्रमिक संघवादी हैं, इस ओर ध्यान देंगे और प्रत्येक उद्योग के श्रमिकों के हितों का ध्यान रखेंगे।

धारा २५ च च च (२) में जो व्यवस्था की गयी है, उसका भी समुचित संशोधन हो सकता है क्योंकि वह श्रम मंत्री द्वारा की गई व्याख्या के उलट जाती है। इसमें कहा गया है कि यदि एक निर्माण कार्य २ वर्ष में समाप्त हो जाता है, तो उस कार्य में लगे श्रमिकों को मुआवजा नहीं मिल सकेगा। ऐसा क्यों? हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये हजारों व्यक्ति चाहिएं। देश के सब भागों से परियोजनाओं में काम करने के लिये लोग देश के चारों ओर से आ रहे हैं। परियोजनाओं से ही देश को समृद्ध बनना है। इसलिए यह अन्याय होगा कि दो वर्ष पश्चात् हम उन्हें हटा दें। उसी की उपधारा (२) में आगे कहा है कि यदि दो वर्ष में काम पूरा न हो तो उसे कुल सेवा के प्रथम दो वर्ष छोड़ कर शेष में से प्रति वर्ष के लिये मुआवजा मिलेगा। मेरे विचार में यह उपबन्ध उप खंड (१) के बिल्कुल विरुद्ध है और इसे ठीक किया जाना चाहिये। मैं तो पूछता हूं कि पहिले दो वर्ष क्यों छोड़े जायें। मंत्री महोदय को इन बातों का ध्यान रखना चाहिये कि मूल अधिनियम का उद्देश्य नष्ट न हो जाय। इसलिये मेरी इच्छा है कि धारा २५चचच के उपखंड (२) का समुचित संशोधन किया जाय ताकि प्रमुख उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों को मुआवजे से वंचित न रखा जा सके।

†**श्री बा० चं० कामले** (कोपरगांव) : मैं तीन छोटी-छोटी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि विधेयक के विधि बनते ही उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी जायेगी और इसे संविधान के अनुच्छेद १४ के विरुद्ध घोषित कर दिया जायेगा। इस अनुच्छेद में कहा है, "भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।" क्या मिल बन्दी की अवस्था में सभी श्रमिकों को समान रक्षण होगा? मेरे विचार में इस संबंध में नीति एकरूप नहीं है। श्रमिकों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक में वे श्रमिक आते हैं जो निर्माण संबंधी कार्यों में लगे हैं और दूसरे वे जो अन्य कामों में लगे हैं। प्रथम श्रेणी के श्रमिकों के लिये कोई रक्षण नहीं, जो है वह भी वापिस लिया जा रहा है। आम श्रमिकों को प्राप्त लाभ इन्हें प्राप्त नहीं। दो वर्ष के काम के बाद की सेवा पर ही मुआवजे की व्यवस्था है। जहां तक सेवा की शर्तों का संबंध है जो श्रमिक एक वर्ष तक काम कर चुके हों व रक्षण पाने की अधिकारी होते हैं। हो सकता है कि उपरोक्त श्रेणी के श्रमिक इस अधिनियम विशेष पर उच्चतम न्यायालय में आपत्ति उठा दें और चूंकि रक्षण समान नहीं है, इसलिए हो सकता है कि संविधान के अनुच्छेद १४ की व्यवस्था के अनुसार यह अवैध भी घोषित हो जाय।

मेरी दूसरी बात यह है कि यदि अधिनियम का उद्देश्य मुआवजा दिलाना है तो यह १९४७ से आरम्भ होना चाहिए। मेरी तीसरी बात यह है कि "ऐसी परिस्थितियां जिन पर नियन्त्रण न हो सके" इन शब्दों का अपना अपना निर्वचन होगा और इसकी अलग अलग व्याख्या से माननीय मंत्री महोदय का उद्देश्य असफल हो जायेगा। शब्दों के अर्थ बड़े स्पष्ट होने चाहिएं, अन्यथा संशोधनों द्वारा उन्हें ठीक कर लेना चाहिए, ताकि मामला स्पष्ट ही रहे। मेरा सुझाव है कि धारा २५ च च च की उप-धारा (२) को हटा दिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री डांगे (बम्बई नगर-मध्य) : मैं सरकार और श्रम मंत्री महोदय का ध्यान एक तथ्य की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। इस विधान को उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के कारण प्रस्तुत किया गया है। उच्चतम न्यायालय का काम कानून में किसी शब्दावली की व्याख्या करना ही नहीं बल्कि श्रमिकों और मालिकों के परस्पर सम्बन्धों के बारे में भी कुछ बातें उसके सामने होती हैं। गत दस वर्षों से हम कर्मचारियों और मालिकों के संबंधों पर आधारित औद्योगिक विधि का विकास कर रहे हैं। चाहे इसका कुछ भी कारण क्यों न हो इस ओर कुछ प्रगति हुई जरूर है। मालिकों के अधिकारों को कम किया गया है जिन्हें पूंजीपति समाज के ये लोग अपने मौलिक अधिकार समझते थे। हमारे कानून इन अधिकारों को सीमित करते हैं जो न उनके लिये थे और न समाज के लिये थे बल्कि जो श्रमिक वर्ग के विरुद्ध ही प्रयोग किये जाने वाले थे। श्रम मंत्री के नेतृत्व में जब कि वह बम्बई में थे इस विषय में कुछ कानून बनाने की कोशिश की गई थी और मालिकों को यह बताया गया था कि अब पूंजीपति समाज की पुरानी बातें नहीं चलेंगी। मालिक तो बिना नोटिस और मुआवजे के किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाना अपना अधिकार समझते थे। इसमें समाज की आवश्यकता और कर्मचारियों के अधिकारों की उन्हें बिलकुल चिन्ता नहीं थी। मालिकों के अधिकार भी विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में थे। ये आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में भी थे और श्रमिक संघ के क्षेत्र के संबंध में भी। तो इस प्रकार की स्थिति थी। हम लोग, मजदूर संघ वाले और कभी-कभी सरकार भी इन अनुचित अधिकारों को सीमित करने का प्रयत्न करते थे। अन्य देशों की तरह भारत में भी यही कुछ प्रथा हो गई है कि कानूनों की व्याख्या अदालतों में मुकदमेबाजी से होने लगी है। हमारे औद्योगिक कानून में भी इसका असर पड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने लगभग ११ निर्णय दिये हैं जिनसे मजदूर और मजदूर संघों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विभिन्न मजदूर संघों ने इन निर्णयों का संक्षिप्त विवरण सरकार को प्रस्तुत किया। इनमें से एक मामला वह भी था जिसके कारण यह अध्यादेश जारी किया गया और अब संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। सरकार कोई इस प्रकार का व्यापक विधान क्यों नहीं बना देती जिससे अदालतें अपने निर्णयों द्वारा श्रमिकों के लाभ को नष्ट न कर सकें? इस ओर मैं सरकारी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा।

श्रीमान्, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। एक श्रमिक संघ की बैठक में एक श्रमिक ने कुछ बातें कहीं और नियोजक ने उस श्रमिक से वह बातें जाननी चाहीं —श्रमिक ने इन्कार कर दिया और परिणाम यह हुआ है कि मालिकों ने छंटनी करके उसे निकाल दिया। मामला न्यायालय में गया। वहां यह निर्णय हुआ कि उस श्रमिक को सारी बातें बतानी चाहिये थीं। इस कारण क्या सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके।

कई बार ऐसे मामले होते हैं कि मिल मालिक श्रमिकों को श्रमिक संघों में भाग लेने के कारण नौकरी से अलग कर देते हैं और न्यायालय में कहते हैं कि यह छंटनी वैसे सामान्य रूप से की गई है। मेरा सुझाव है कि यदि न्यायाधिकरण यह निर्णय दे दे कि एक श्रमिक को पुनः नौकरी पर लगाया जाये तो उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं होनी चाहिये।

कानपुर लोहा तथा इस्पात कारखाने के मामले में न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया कि श्रमिकों को दोबारा नौकरी पर लगाया जाये किन्तु नियोजकों ने उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी — इस प्रकार मामला लम्बा हो गया और श्रमिक तंग आ गये। वास्तव में जो उद्देश्य श्रम सम्बन्धी कानूनों का है वह तो पूरा नहीं हो रहा है। मैं यह बात मानता हूं कि न्यायालय कानून के अनुसार चलते हैं किन्तु समाजवादी देश में न्याय की परिभाषा पूंजीवादी देश की न्याय परिभाषा से अलग होती है। इसलिये क्या यह आवश्यक नहीं कि संविधान के अनुच्छेद ३८ में संशोधन किया जाय। यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में है और नियोजक इस न्याय के नाम पर उच्चतम-न्यायालय में दुहाई देते हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री डांगे]

जैसे कि न्यायालयों ने इस अनुच्छेद का निर्वचन किया है उस ढंग से यह श्रमिकों के हितों के विरुद्ध जाता है। न्याय छोटे लोगों को भी मिलना चाहिये।

जमींदारी उत्पादन विधेयक को लागू करने के बाद उसके विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया गया था और उच्चतम न्यायालय ने उसका प्रवर्तन रोक दिया था। फिर संविधान में ही संशोधन करना पड़ा। इसी प्रकार श्रमिकों के हित के लिये भी हमें अनुच्छेद ३८ में सशोधन करना चाहिये।

दूसरे मकान बनाने वाले श्रमिकों को इस परिधि से बाहर रखा गया है। इससे हमारी योजना के काम में रुकावट पैदा हो सकती है। आपने कहा है कि यदि काम दो साल के भीतर समाप्त हो जाता है तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। इससे काम की गति मन्द ही होगी। जो काम १० महीने में समाप्त हो सकता है वह ज्यादा समय में होगा। इसलिये हमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिये। बल्कि देश के लाभ के लिये यह दो वर्ष की जो सीमा निर्धारित की जा रही है उसे हटा देना चाहिये।

†**श्री नन्दा** : मैं देखता हूं कि इस विधान के संबंध में सभा में सभी लोग सहमत हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए हम जिस प्रकार के न्याय की व्यवस्था करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं, उस पर कोई मतभेद नहीं है। मैं मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, उनको नियोजकों के हाथों से सुरक्षित रखने के लिए और उन मुसीबतों का विचार रखने के लिए जो उन पर पड़ती हैं पूरी कोशिश करके सब कुछ करूंगा। मैं मानता हूं कि मैं शत प्रतिशत संतोष नहीं दे पाया हूं। पर मैं यह दावा कर सकता हूं कि जो कुछ भी किया जा चुका है वह लगभग १००% ही है।

अब मैं श्री डांगे की बात को लूंगा। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाता हूं। हम यहाँ विधि निर्माण करते हैं, न्यायालय उनकी व्याख्या करते हैं और अन्त में सर्वोच्च न्यायालय उनकी व्याख्या करता है और विलम्ब होता है। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में इस अध्यादेश को भी अनुचित ठहराया गया है। 'रोक' का आदेश है। हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी मजदूर अधिनियम या अध्यादेश का सहारा लेकर प्रतिकर नहीं प्राप्त कर सकता। अभी यह अधिनियम लागू भी नहीं हो सकता। पर हम कर क्या सकते हैं? कोई न कोई संविधान का होना आवश्यक है। किसी भी विधि की भाषा का भिन्न-भिन्न अर्थ निकाला जा सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि अमुक विधान की भाषा में सर्वोच्च न्यायालय कोई त्रुटी नहीं निकाल सकेगा। संविधान के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह विधियों की व्याख्या करे। हो सकता है कि कल संविधान हमारे लिए उतना उपयोगी न रह जाय जितना कि आज है क्योंकि हमारी न्याय भावना विकसित होती जाती है। अतः यदि जनता के विचारों में परिवर्तन हो सकता है तो संविधान में यह सभा संशोधन कर सकती है। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि इस बीच हमने जो विधान बनाये उनका संचालन आर्थिक अधिकारों की असमानता, कर्मचारियों तथा नियोजकों के कर्त्तव्य तथा कर्मचारियों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए ही किया गया है और वे इसी दृष्टिकोण से बनाये गये हैं।

श्रमिकों को अधिक सामाजिक न्याय देने की भावना बढ़ती जा रही है। यदि मैं इन वर्षों के दौरान पारित विभिन्न विधियों का मूल्यांकन करूं तो हमें स्पष्टतः यह ज्ञात हो जायेगा कि उन्हें पर्याप्त और व्यापक लाभ प्राप्त हुए हैं।

---

†मूल अंग्रजी में।

हमें इन कठिनाइयों का सामना करना होता है तथापि मेरे विचार से ये कठिनाइयां, विलम्ब और नैतिक पतन इतना अधिक नहीं है कि हम निराश हों या कठोरता से नियम बनायें। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सामाजिक न्याय सम्बन्धी अपनी धारणाओं के अनुरूप कार्य करने के लिये, हम अपने प्रशासन के आधारभूत ढाँचे, अर्थात् संविधान में भी परिवर्तन कर सकते हैं।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात यह कही है कि इन बातों में एकरूपता लाने के लिये संसद कुछ कर सकती है। समय समय पर यही किया जा रहा है। अवसर मिलने पर पारस्परिक बातों और परामर्श से हम वह मार्ग निश्चित कर सकते हैं जिस ओर हमें बढ़ना है।

श्री डांगे ने निर्माण कार्यों में लगे हुए श्रमिकों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। यह कहा गया है कि हम इन श्रमिकों से वे सभी अधिकार ले रहे हैं जो कि अन्य श्रमिकों को दिये जा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि कदाचित ऐसा करना संविधान के विरुद्ध कार्य करना है क्योंकि इससे हम असमानता पैदा कर रहे हैं। समानता का यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु समान है। हम किस प्रकार का दावा कर रहे हैं? मैं आशा करता हूं कि इस तर्क को स्वीकार किया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि विलम्ब का एक कारण यह है कि हमें अन्य क्षेत्रों द्वारा रखे गये इन विभिन्न दृष्टिकोणों से सामना करना पड़ा, कि निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों के लिये कुछ न किया जाय। यह प्रत्यक्षत: विधान की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि यहाँ हम उपक्रमों के सम्बन्ध में विधान बना रहे हैं जहाँ मजदूरों को नौकरी न बनी रहने की अधिक संभावना होती है और उन्हें काम से हटा दिया जाता है इसलिये उनके रोजगार हितों की रक्षा की जानी चाहिये। यदि वह किसी मकान के निर्माण का कार्य है, तो मजदूर तथा प्रत्येक व्यक्ति को यह बात ज्ञात रहती है कि मकान समाप्त होने पर उनका काम समाप्त हो जायेगा। इसीलिये यह अन्य व्यवसायों के समक्ष नहीं है। तब क्या हम उनके हितों की ओर ध्यान न दें। यह बिल्कुल दूसरा प्रश्न है। हमें उनके हितों की रक्षा करनी चाहिये तथापि यह इसी विधान में होगा या दूसरे ढंग से यह बिल्कुल दूसरा प्रश्न है। जहाँ तक प्रेरणा देने के प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तथापि हमें यह प्रश्न यहाँ लागू नहीं करना चाहिये। निरंतर सेवा की व्याख्या १ वर्ष की गई है। हमें कोई न कोई सीमा बांधनी ही पड़ेगी। मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि विभिन्न पेशों में इससे मजदूरों को जितने भी विशेषाधिकार, लाभ या प्रेरणायें मिल सकती हैं, वे इनसे कहीं अधिक हैं। यहां उसके एक सीमित पक्ष के संबंध में भी चर्चा की जा रही है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा निर्माण-कार्य अधिक तेजी से हो, तो यह विधान हमें उत्पादन तथा अन्य विशेषाधिकारों तथा निर्माण की गति तेज करने के अन्य तरीकों की व्यवस्था करने से, निर्माण-कार्य शीघ्र ही पूरा करने की प्रेरणायें पैदा करने से नहीं रोकता। अन्य चीजें भी की जा रही हैं। यह तो उन सबके अतिरिक्त है, और इसीलिये विधान में निर्माण-कार्यों के मजदूरों को सम्मिलित न करने के दृष्टिकोण के लिये भी कुछ औचित्य तो था ही लेकिन हमने उनको पूरी तौर से अलग भी नहीं रखा है। दोनों में अन्तर क्या है? अन्तर केवल यही है कि निर्माण-कार्यों के मजदूरों के लिये दो वर्ष और अन्य पेशों के मजदूरों के लिये एक वर्ष रखा गया है विश्राम के मामले में दोनों ही समान हैं। इसमें वह अधिकतम तीन महीने नहीं रखा गया है। यदि किसी मजदूर ने बारह वर्षों तक काम कर लिया है तो आरम्भिक काल को छोड़ कर वह अपनी सेवा के पूरे काल के विश्राम के लिये प्रतिकर लाभ मांग सकता है। इसलिये, जहां तक निर्माण-कार्यों के मजदूरों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उसमें कोई भी ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे हानि की आशंका हो।

[श्री नन्दा]

हमें व्यावहारिकता को भी देखना पड़ेगा। निर्माण-कार्यों के ये मजदूर अधिकांशतः ठेकेदारों के नीचे काम करते हैं, और ठेकेदार तो इस विधेयक की इन व्यावस्थाओं को भी अव्यवहारिक कह रहे हैं। हम इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे कि मजदूरों को ये लाभ मिल ही जायें? होगा यह कि ठेकेदार लोग मजदूरों को इन लाभों के पाने योग्य सेवा-काल तक रखेंगे ही नहीं, पहले ही निकाल देंगे। हमें इन कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा और हमें अपना प्रयत्न बन्द नहीं करना चाहिये। हमें उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे, लेकिन इसमें व्यावहारिक कठिनाइयों का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा।

इस विधान द्वारा मालिकों की शक्तियां सीमित कर दी गई हैं। यह जानबूझ कर ही किया गया है, लेकिन प्रतिबन्ध लगाते समय हमें अति भी तो नहीं करनी चाहिये। हमें इतनी दूर नहीं बढ़ना चाहिये कि उन लाभों से उल्टे हमें ही हानि होने लगे। हमें उद्योग के हितों को भी तो देखना है। मैं यह बात विशेषकर विधेयक के परन्तुक और व्याख्या के सम्बन्ध में कह रहा हूं। मैं यह बिलकुल मानता हूं कि इस शब्द योजना से कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं; और मुकदमेबाजी की झंझट से बचने के दृष्टिकोण से अच्छा यही होगा कि हम उस भाषा का प्रयोग न करें। लेकिन उसके लिये हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में सदाशयपूर्ण मिल-बन्दी और अन्य प्रकार की मिल-बन्दियों की पूरी धारणा को किस प्रकार रखा गया है। हालांकि हम पहले की ही स्थिति पर लौट जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस निर्णय ने हमारे सामने एक ऐसी स्थिति लादी है जिसकी पूरी तौर पर उपेक्षा करना सम्भव भी नहीं है। हमें उस निर्णय के कुछ विचारों को उचित महत्व देना ही पड़ेगा। क्या उन विचारों के फलस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि हमें कुछ पुन-विचार करना ही चाहिये?

विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वास्तविक कारणों से जो मिलें बन्द की जायेंगी उनमें तीन महीने के आधार पर प्रतिकर दिया जायेगा और इसलिये मिल मालिक यही कहेगा कि मैं वास्तविक कारणों से मिल बन्द करता हूं और आपको तीन महीने के आधार पर प्रतिकर मिल जायेगा। मेरा नम्र निवेदन है कि विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में यह एक गलत फहमी है। वास्तविक कारणों से मिल बन्द करने पर खण्ड की मदों के अनुसार पूरा प्रतिकर दिया जायेगा। तथा जहाँ मिल कुछ प्रभावना से बन्द की जायेगी वहां यह नहीं कहा गया है कि कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा। मिल मालिक चाहे कितना ही कहता रहे कि यह वास्तविक कारणों से किया गया था परन्तु उसे तीन महीने का प्रतिकर अवश्य देना पड़ेगा। जिसका अर्थ हुआ कि भूकम्प आदि प्राकृतिक दुर्घटनाओं पर भी तीन महीने का नियम लागू होगा। माननीय सदस्य ने कहा कि प्राकृतिक दुर्घटनायें कभी-कभी आती हैं। यदि ऐसा है तो कम प्रतिकर के सम्बन्ध में इस उपबन्ध से क्या अन्तर पड़ता है क्योंकि ऐसी स्थिति में यह परन्तुक लागू हो जाता है। जैसा कि पहले स्वीकार कर लिया गया है विधेयक में व्याख्या से यह सब बातें और स्पष्ट की गई हैं क्योंकि "ऐसी स्थिति जो मालिक के नियंत्रण के बाहर हो" इन शब्दों में स्पष्टता नहीं है और इनके निर्वचन से गड़बड़ी हो सकती है। इसलिये हमने व्याख्या की व्यवस्था की। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य ऐसे सुझाव दें जिससे इस व्याख्या में सुधार किया जा सके तथा कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किया जा सके। यदि माननीय सदस्य कुछ ऐसा सुझाव दे सकेंगे जिनके द्वारा सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हों तो खण्डवार विचार के समय हम निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे। यदि संभव हो तो हम अनौपचारिक परामर्श कर सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य मंत्री महोदय से परामर्श करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री नन्दा :** माननीय सदस्य खंडवार चर्चा के समय अपने सुझाव दे सकते हैं । मैंने अपने कुछ संशोधन विधि परामर्शदाता को भेजे हैं कि क्या इन उपबन्धों का विस्तार बढ़ा देना संभव है । उद्देश्य एक ही है । केवल इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस ढंग को काम में लाया जाये यही देखना है । यदि हमारा अभिप्राय और स्पष्ट करने के लिये कुछ और किया जा सकता हो तो मैं उसे भी करने को तैयार हूं ।

अब मैं उस अवधि को लेता हूं जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आदेश प्रख्यापित करने के बीच व्यतीत हुई । यह काफी लम्बी अवधि थी । यदि हम इसे पांच महीने की अवधि मानें तो भी वस्तुतः यह पांच ही महीने नहीं रहती क्योंकि अभिप्राय यह रहता है कि विधेयक के उपबन्ध भूत-लक्षी अवधि से अर्थात् १ सितम्बर से जारी किये जांय । उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख २७ नवम्बर, १९५६ थी । इसीलिये वस्तुतः दो तीन दिन की अवधि ही बीच में व्यतीत हुई । मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं कि क्या इस अवधि को भी खत्म करना सम्भव है । मेरे विचार से इस सम्बन्ध में अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये । किन्तु यदि हमें उससे भी अधिक कुछ करने को कहा जाता है तो मेरी सलाह यही है कि हमें इससे आगे कुछ नहीं करना चाहिये ।

उच्चतम न्यायालय ने विधि का निर्वचन कर कुछ मामलों में निर्णय दिये क्योंकि वस्तुतः विधि यही है यहां अभिप्राय का कोई महत्व नहीं है । भले ही मेरा अभिप्राय कुछ भी हो किन्तु यदि मैं उसे विधि सम्मत शब्दों में व्यक्त नहीं कर सका तो वह विधि नहीं बन सकता । मैं वकील नहीं हूं । मैं केवल उस मामले का चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा हूं । उच्चतम न्यायालय ने यही निर्णय किया कि तत्कालीन विधि यही है । ऐसे मामलों के सम्बन्ध में अपनाया जाने वाला सामान्य मार्ग यही है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त विधि के सम्बन्ध में जैसी भी व्याख्या की गई हो उसके सम्बन्ध में हमें उनके निर्णय को शून्य अथवा अक्रियात्मक करने के लिये कुछ नहीं करना चाहिये । किन्तु निर्णय के दो तीन दिन बाद उत्पन्न होने वाले मामलों के सम्बन्ध में हम कुछ न कुछ कर सकते हैं ।

बार्सी लाइट रेलवे के मामले के सम्बन्ध में, मैं उन मित्रों के सम्पर्क में आया जो कि श्रमिकों के कल्याण में दिलचस्पी रखते थे । वे यह चाहते थे कि क्या इस विधान के अलावा भी हम, श्रमिकों की नौकरियां बनाये रखने तथा उनके लिये कुछ करने के लिये, कुछ कर सकते हैं । इसका भी प्रयत्न किया जा रहा है । आशा है इस सम्बन्ध में कुछ किया जा सकेगा । किन्तु मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकेगा ।

मेरे विचार से मैं अधिकांश प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं । वे दो वर्गों के अन्दर आते हैं । पहिला वे प्रश्न, जो बिलम्ब से सम्बन्ध रखते हैं । मैं पहिले ही बता चुका हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत १ दिसम्बर, १९५६ के पश्चात् से उत्पन्न सभी मामले आ जायेंगे । इसलिये इससे श्रमिकों के हित पर अधिक आघात नहीं होता है । मैं यह भी बता चुका हूं कि विलम्ब होने का एक कारण यह भी था कि हम कुछ प्रश्नों से उलझे हुए थे, जिनके सम्बन्ध में निश्चय करना था । मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस विलम्ब से श्रमिकों का लाभ ही हुआ है हानि नहीं हुई है ।

परियोजनाओं के निर्माण में लगे हुए श्रमिकों के सम्बन्ध में स्थिति मैं पहिले ही स्पष्ट कर चुका हूं । उन्हें इस अधिनियम से होने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा रहा है अपितु कुछ अन्तर कर दिया गया है जो उनके कार्यों के अन्तर के अनुरूप ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नन्दा]

जहां तक परन्तुक और व्याख्या का सम्बन्ध है, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि परन्तुक के कारण व्याख्या देना आवश्यक हो गया और निर्णय के कारण परन्तुक देना आवश्यक हो गया। इसके अलावा हम न्यायालयों से अधिक मतभेद भी नहीं चाहते हैं। हम जितनी उग्रवादी नीति अपनायेंगे उतना ही न्यायालयों के हस्तक्षेप तथा इन उपबन्धों पर आपत्ति करने की अधिक संभावना होगी। इसलिए यद्यपि कुछ माननीय सदस्यों की दृष्टि में यह बात अधिक सन्तोषजनक होती कि जो बातें इस विधेयक के उपबन्धों में शामिल की गई हैं उन्हें अलग रखना ही उचित था, तथापि कुछ परिस्थितियों से विवश होकर हमें उन उपबन्धों को शामिल करना पड़ा। यदि हम इन उपबन्धों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और शब्दों को हटाने अथवा रूप भेद से होने वाले कुल प्रभाव का विश्लेषण करें, तो आपको ज्ञात होगा कि अधिक अन्तर नहीं किया गया है।

इन सभी स्थितियों पर विचार करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि सभा के समक्ष उपस्थापित विधेयक से श्रमिकों तथा सदस्यों दोनों को ही पर्याप्त सन्तोष प्राप्त होगा।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मैं माननीय मंत्री से परियोजनाओं में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। परिवहन मंत्रालय के अधीन रखे गये श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २५ च के अधीन लाभ प्राप्त हैं। क्या अब उन्हें उन लाभों से वंचित कर दिया जायेगा।

†**श्री नन्दा** : मैं तत्काल मंत्रालय की ओर से उत्तर नहीं दे सकता हूं। उन लाभों के औचित्य पर, इससे पृथक रूप में विचार किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २—(धारा २ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड २ के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं इसे मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३ (धारा २५ के स्थान पर नई धाराओं का रखना)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड ३ के सम्बन्ध में कुछ संशोधन हैं। माननीय सदस्य इस खंड के सम्बन्ध में अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मैं संशोधन संख्या ३ और ४ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री परुलेकर** (थाना) मैं संशोधन संख्या १२, १३, और १४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री तंगामणि** : मैं संशोधन संख्या ७ और ९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री गोरे** (पूना) : मैं संशोधन संख्या १६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री भरुचा** : मैं संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : संशोधन संख्या ८ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि इस विधेयक का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, तथापि प्रतिकर की अदायगी में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये ।

जहां तक निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों का प्रश्न है, अभी तक सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विधान नहीं बना है । उन पर मजूरी भुगतान विधेयक भी लागू नहीं होता है नये श्रमिकों न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । इन श्रमिको की संख्या लगभग १५ लाख है उन्हें किसी प्रकार का लाभ अवश्य दिया जाना चाहिये । इन पर भी वही नियम लागू होने चाहियें जो अन्य लोगों पर लागू होते हैं । उनके लिये २ वर्ष का प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है । उन्हें प्रतिकर भी ४ वर्ष का ही मिलना चाहिये । वस्तुतः भारत में, जहां उच्च सामाजिक सुरक्षा विधियां, बेकारी सहायता इत्यादी की व्यवस्था नहीं है, वहां छंटनी प्रतिकर अवश्य मिलना चाहिये ।

†**श्री परुलेकर** : इस विधेयक में उन उपक्रमों के श्रमिकों को छटनी प्रतिकर देने का उपबन्ध किया गया है जो बन्द कर दिये जाते हैं अथवा एक नियोजक से दूसरे नियोजक को हस्तांतरित कर दिये जाते हैं । तथापि इस सम्बन्ध में एक अपवाद भी है जिसमें कहा गया है कि उपक्रम के हस्तान्तरित होने पर, यदि नये नियोजक के साथ श्रमिक की नयी सेवा शर्तें, पहिले की अपेक्षा कड़ी होंगी, तभी वह प्रतिकर लेने का अधिकारी होगा ।

इसलिये श्रमिक के हित में यह आवश्यक है कि उसे प्रारम्भ में ही सेवा की शर्तें बता दी जायें जिससे वह इस विधान का आश्रय ले सके। यदि चार पांच महीने काम करने के पश्चात् उसे यह ज्ञात होता है कि उसकी वर्तमान सेवा शर्तें पहिले की अपेक्षा अधिक कठोर हैं तो वह प्रतिकर की मांग नहीं कर सकता। इसलिये मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है, कि उसे प्रारम्भ में अथवा स्थानान्तरण के एक सप्ताह पूर्व ही नयी नौकरी की शर्तें बता दी जायें जिससे वह निश्चय कर सकें और इस विधेयक के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकें।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मेरे पहिले संशोधन का तात्पर्य यह है कि जब कभी इस प्रकार का हस्तांतरण हो तो एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा कर्मचारियों को इसकी सूचना दी जाये । क्योंकि बिना इसके खंड तीन के अधीन छटनी प्रतिकर के सम्बन्ध में मिले हुए अधिकार शून्य हो जायेंगे। वस्तुतः १९५३ से जब मूल अध्यादेश पारित किया गया था तब से कई उपक्रम चुपके से हस्तांतरित कर दिये गये लेकिन श्रमिकों को पता नहीं लग सका । इसके फलस्वरुप वे इस विधान के अन्तर्गत छटनी प्रतिकर पाने से वंचित रह गये । इस लिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करुंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करें जिससे कि श्रमिक को इन उपबन्धों का तत्काल लाभ मिल सके ।

जहां तक संशोधन ८ का सम्बन्ध है मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन मांगूंगा कि क्या इस धारा के द्वारा उन अधिकारों को वापस तो नहीं लिया जा रहा है, जो श्रमिकों को पहिले से ही प्राप्त हैं । ऐसा आश्वासन मिलने पर मैं इस संशोधन पर आग्रह नहीं करूँगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री तंगामणि** : मेरे संशोधन संख्या ९ का तात्पर्य यह है कि निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों को इसका पूरा लाभ मिले। संशोधन संख्या ७ से मेरा तात्पर्य यह है कि कारखाना चाहे सदाशयता से बन्द करवाया गया हो चाहे दुराशयता से, दोनों ही स्थितियों में अधिकतम प्रतिकर प्रदान किया जाये क्योंकि हमारा अनुभव यह है कि वे सभी स्थितियों को 'नियंत्रण से बाहर' कह देते हैं। वस्तुत : यदि सदाशयता से भी कारखाना बन्द किया गया हो तो भी श्रमिक अधिकतम प्रतिकर पाने का अधिकारी होना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार द्वारा दो संशोधन रखे जा रहे हैं ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ २, पंक्ति ३१ में

"Financial losses" (वित्तीय हानियों) शब्दों के स्थान पर "Financial difficulties (including Financial losses)" [वित्तीय कठिनाइयां (जिनमें वित्तीय हानियां भी शामिल हैं)] शब्द रख दिये जायें ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ पंक्ति ५ और ६ में

'Excluding therefrom the first two years of his service in the undertaking' (उसमें से उपक्रम में उसकी पहिले दो वर्ष की सेवा हटाकर) शब्द हटा दिये जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए।

† **श्री परुलेकर** : इस खंड में प्रतिकर की न्यूनतम राशि निश्चित नहीं की गई है। मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि यह प्रतिकर उसके तीन मास के वेतन के बराबर होना चाहिये । जिससे मुकदमे बाजी की कोई गुंजायश न रहे ।

†**श्री गोरे** : मेरे संशोधन का तात्पर्य नियंत्रण से बाहर की स्थितियों की व्याख्या करना है । क्योंकि यह वाक्य संदिग्ध है और उसमें मुकदमें बाजी की बहुत गुंजायश है । मेरे संशोधन के द्वितीय अध्यांश का तात्पर्य यह है कि उसे तीन माह के स्थान में कम से कम ६ माह का वेतन प्रतिकर के रुप में दिया जाय जिससे श्रमिक को अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

†**श्री नन्दा** : सभा को यह आश्वासन देने के पश्चात् कि हम इस मामले को अधिक से अधिक सर्व सम्मत बनायेंगे, कुछ मिनटों के दौरान हमने इस विषय पर पुन: विचार किया। उसके परिणामस्वरूप ये सरकारी संशोधन रखे गये हैं। उनमें वे बाते आ गई हैं, जिनमें कारखानों को बन्द करने के सम्बन्ध में इस विधान का क्षेत्र विस्तृत करने का आग्रह किया गया था। हमने और भी आगे बढ़कर वित्तीय कठिनाइयों को भी इनमें शामिल कर लिया है । इसका तात्पर्य यह है कि वे कारण भी इसी खंड की सीमा के अन्तर्गत आते हैं। एक नियोजक कह सकता है कि मेरे पास पर्याप्त कार्यकारी पूंजी या उधार की राशि नहीं है। इसलिये मैं कारखाना नहीं चला सकता हूं । यह इस व्याख्या के अन्तर्गत नहीं आना चाहिये। वस्तुत: मैं इस व्याख्या के अन्तर्गत अन्य कई बातें ले आया हूं जिनका श्रमिकों के हित से कुछ सम्बन्ध हो सकता है । इसलिये वही बात हो जाती है जो श्री गोरे कह रहे हैं ।

दूसरी बात तीन महीनों की अवधि के सम्बन्ध में है। अभिप्राय यह है कि अवधि स्पष्ट लिखी जाय अधिकतम अवधि न लिखी जाये । कारखाने को सदशयता से बन्द किये जाने पर जिस व्यक्ति ने दो वर्ष काम किया उसे पन्द्रह दिन के दुगुने अर्थात ३० दिन के लिये प्रतिकर मिलेगा। दुराशयता से बन्द किये जाने पर उसे और अधिक मिलेगा। यदि तीन महीने सभी बातों के लिये निश्चित कर दिये जायें तो दो वर्ष बाद छटनी होने पर भी एक व्यक्ति को तीन महीने के आधार पर ही प्रतिकर

† मूल अंग्रेजी में ।

मिलेगा । इससे विषमता पैदा हो जायेगी हम यह नहीं चाहते हैं । माननीय सदस्य भी अधिकतम राशि से सहमत थे ।

अब मैं श्री बनर्जी द्वारा कही गई बात पर आता हूँ । माना कानपुर कपड़ा मिल तालाबन्दी की सूचना देकर कहती है कि हम कुछ लाख रुपया और खर्च कर नई मशीनें ला रहे हैं इस लिये मिल बन्द होगी । यदि वे यह सोचते हैं कि इससे श्रमिक को नुकसान पहुँचेगा और उसे विधान का लाभ नहीं मिलेगा, तो मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि ऐसा कदापि नहीं होगा । मैं इसकी इसी प्रकार व्याख्या करता हूँ और मेरे विचार से यह सही है । यह विचार नहीं किया जायेगा कि यह "नियोजकों के नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य स्थिति है" माननीय सदस्य की आशंकायें निर्मूल हैं । सब बातों पर बिचार करने के उपरांत हम यह अनुभव करते हैं कि संशोधत शब्दावलि बिल्कुल उचित है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

पृष्ठ २ पंक्ति ३१ में

'Financial losses' (वित्तीय हानियों) के स्थान पर 'Financial difficulties (including Financial losses)' [वित्तीय कठिनाईयां (जिसमें वित्तीय हानियां भी शामिल हैं)] शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३ पक्ति ५ और ६ में

Excluding therefrom the first two years of his service in that undertaking (उसमें से उपक्रम में उसकी पहिले दो वर्ष की सेवा हटा कर) शब्द हटा दिये जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अन्य सभी संशोधनों को मतदान के लिये एक साथ रखूंगा ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : संशोधन ३ पृथक रखा जाये ।

†**उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिय रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य संशोधनों को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूँ ।

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या १२,४,७, १६ १३, १४, ८, ९,५ मतदान के लिय रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड १ को लेते हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टिमेनन**: मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं इस से मेरा आशय यह है कि खंड २ और ३ २४ अक्तूबर १९५३ से लागू हुए माने जायें ।

†**श्री नन्दा** : मैं भी इसमें कुछ परिवर्तन करने और संशोधन करने की सोच रहा हूँ । जिससे कि यह तारीख, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तुरन्त बाद की तारीख आ जाये हम इसे २८ नवम्बर, १९५६ रखेंगें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : मैं संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री भरुचा** : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करता हूं बल्कि संशोधन संख्या १ का ही समर्थन करता हूँ ।

†**श्री गोरे** : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत नहीं करता हूं ।

†**श्री आबिद अली** : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ १ पंक्ति ६ और ७ में

"1st day of December, 1956" (दिसम्बर १९५६ की पहिली तारीख) शब्दों के स्थान पर "28th day of November, 1956" (नवम्बर १९५६ की २८ तारीख) शब्द रख दिये जायें ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस विधेयक के भूतलक्षी तिथि से प्रभावी होने के सम्बन्ध में मुझे कुछ शब्द कहने हैं। जब मूल अध्यादेश १९५३ में जारी किया गया था तो एक कपड़े की मिल बन्द हुई थी । उस समय इस विधान को क्रियान्वित करने के लिये नियोजकों को आयात निर्यात शुल्क में कुछ छूट दी गई। जिससे उन्हें १० करोड़ का लाभ हुआ जब कि सारी मिलों के बन्द होने पर भी छंटनी प्रतिकर १०००० से अधिक नहीं होता ।

बार्सी लाइट रेलवे को लेने के सम्बन्ध में विधेयक बनाते समय भी मैंने उसके कर्मचारियों की सेवाओं की निरंतरता बनाये रखने के लिये निवेदन किया था । उनकी सेवाओं की निरंतरता समाप्त हो जाने से, उनकी भविष्य निधि व उपदान की सुविधायें समाप्त हो गईं । रेलवे के साथ एकीकरण होने से मजूरी में भी कटौती हो गई । इस लिये माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करते समय बार्सी लाइट रेलवे के कर्मचारियों को दी गई हानियों को भी ध्यान म रखने की कृपा करें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति ६ और ७ में

"1st day of December, 1956" (दिसम्बर १९५६ की पहली तारीख) के स्थान पर "28th day of November, 1956" (नवम्बर १९५६ की २८ तारीख) शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या १ और ६ को मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या १ और ६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री नन्दा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, २१ मई १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २० मई, १९५७]

	विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण		४०९
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४०९ – ३४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३८-क	खाद्य की कमी	४०९ – १०
१६९	खाद्यान्न के भावों में तेजी	४११ – १४
१३९	केन्द्रीय टिड्डी निरोधक दस्ता	४१५
१४०	कच्चे पटसन के भाव	४१६ – १७
१४१	दिल्ली के लिए बृहद् योजना	४१७ – १८
१४२	भाखड़ा नांगल बांध	४१९ – २०
१४३	सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन	४२० – २१
१४४	डाक और तार विभाग के सर्कलों का पुनर्गठन	४२१
१५२	मैसूर में डाक और तार का प्रशासनीय सर्कल	४२१ - २२
१५३	दिल्ली विद्युत् कर्मचारी	४२२ – २३
१४७	कलकत्ता गोदी क्षेत्र में चोरियां	४२३ – २४
१४८	केरल में उचित मूल्य वाली दूकानें	४२४ – २५
१४९	नये स्टेशनों का खोला जाना	४२५
१५०	गांवों में बिजली लगाना	४२६ – २७
१५१	मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड	४२८ – २९
१५४	स्टेशनों पर शिकायत पुस्तकें	४२९ – ३०
१५५	"जल वल्लभ"	४३०
१५६	लक्ष्मी देवी चीनी मिल, छितौली	४३१ – ३२
१५७	बम्बई-कन्या कुमारी राष्ट्रीय राजपथ	४३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
३	भारत में इंफ्लुएंजा रोकने के लिये कार्यवाही	४३२ – ३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४३४ – ५३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४६	तूतीकोरिन ऐक्सप्रेस दुर्घटना	४३४
१५३	रेल इंजनों का आयात	४३४
१५८	नारियल	४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या		प्रश्न
१५९	ग्राम विश्वविद्यालय	४३५
१६०	खाद्यान्न का चोरी छिपे पूर्वी पाकिस्तान ले जाया जाना	४३५
१६१	कृषि कालेज	४३५ — ३६
१६२	परादीप में बन्दरगाह	४३६
१६३	पानीपत-जिंद और नरवाना-कुरुक्षेत्र लाइनों पर सवारी गाड़ियां	४३६
१६४	बीकानेर रेलवे डिवीजन में रेल के डिब्बे	४३६
१६५	औद्योगिक बस्तियां	४३७
१६६	सार्वजनिक टेलीफोन-घर	४३७
१६८	दिल्ली में विद्युत् शक्ति की कमी	४३७ — ३८
१७०	गंडुवाडीह में रेलवे वर्कशाप	४३८
१७१	मुजफ्फरपुर-दरभंगा रेल सम्पर्क	४३८
१७२	उत्तर बिहार में बाढ़ से बचाव	४३९
१७३	शिशु पथ-प्रदर्शन तथा मनश्चिकित्सालय	४३९
१७४	द्वितीय पोत निर्माण कारखाना	४३९ — ४०
१७५	पशु-पालन	४४०
१७६	डाक विभाग के डिवीजन	४४०
१७७	विश्व कुष्ठ कांग्रेस	४४०
१७८	बंगलौर नगर डाकघर	४४० — ४४१
१८०	हैदराबाद रेलवे पुल निरीक्षण समिति	४४१
१८१	उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण	४४१
१८२	नदी घाटी परियोजनाओं से बिजली का संभरण	४४१
१८३	उपनगरीय रेल सेवा	४४२
१८४	भारतीय किसानों की अमरीका यात्रा	४४२
१८५	बीकानेर रेलवे स्टेशन	४४२ — ४३
१८६	वियत नाम से चावल की खरीद	४४३

अतारांकित

प्रश्न संख्या		
६१	पटसन	४४३
६२	राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डागार बोर्ड	४४४
६३	कोंकण नौवहन सेवा में यात्री भाड़ा	४४४
६४	गाड़ियों की समय-सारणी का पुनरीक्षण	४४४ — ४५
६५	राजस्थान में नल-कूप	४४५
६६	पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ियों का देर से चलना	४४५ — ४६
६७	निर्मली और सुपौल स्टेशनों के बीच की लाइन पुनः चालू किया जाना	४४६
६८	दन्त चिकित्सा कालेज	४४६
६९	दिल्ली परिवहन सेवा	४४६ — ४७
७०	जिला गुरदासपुर (पंजाब) में सामुदायिक परियोजना	४४७
७१	पंजाब में राष्ट्रीय राजपथ	४४७ — ४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः) पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७२ पश्चिम रेलवे में रेलवे कर्मचारी . . . ४४८
७३ पश्चिम रेलवे में स्टैनोग्राफर . . . ४४८–४९
७४ हीराकुड बांध द्वारा जलमग्न भूमि . . . ४४९
७५ कटक स्टेशन के निकट रेल का फाटक . . ४४९
७६ नये डाक तथा तार घर ४४९
७७ बंगलौर में रेल के नीचे के पुल का निर्माण . . ४५०
७८ बिना टिकट यात्रा . . . ४५०
७९ कन्नानूर में चावल के गोदाम . . . ४५१
८० घी ४५१
८१ दिल्ली विकास अधिकारी-मण्डल द्वारा मकान गिराने के नोटिस . ४५१
८२ दिल्ली में टेलीफोन ४५१
८३ प्रत्यालर्क टीके ४५१
८४ रेलवे के पहियों के सेटों की खरीद . . . ४५२
८५ पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीज़नल कार्यालय का स्थानान्तरण . ४५२
८६ बीकानेर और जयपुर के बीच सवारी गाड़ी का चलाया जाना ४५२
८७ काली मिर्च का भाव निश्चित किया जाना . . ४५२
८८ आसाम में डकोटा की दुर्घटना . . . ४५३
८९ कलकत्ता-मंगलौर तटीय नहर . . ४५३
९० रेलवे में भर्ती . . . ४५३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५४

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उपधारा २ के अन्तर्गत १० अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति
(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली २ अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

राष्ट्रपति का संदेश ४५५

अध्यक्ष ने लोक-सभा को राष्ट्रपति का वह संदेश बताया जिसमें उन्होंने, उनके १३ मई, १९५७ को समवेत दोनों सभाओं के सामने दिये गये अभिभाषण के लिये, लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद पर, परम संतोष प्रगट किया था

वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य ४५५–५६

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७ में कुछ परिवर्तनों के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया ४५६

सचिव ने प्राक्कलन समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया और प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया ४५६–५७

सचिव ने लोक-लेखा समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया और प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ४५७–५८

श्री स० म० बनर्जी ने बम्बई के नावांगण कर्मचारियों की १७ मई, १९५७ की सांकेतिक हड़ताल की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया

पुरस्थापित विधेयक ४५८–५९

निम्नलिखित विधेयक पुरस्थापित किये गये :

(१) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, १९५७ .

(२) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५७ .

(३) भारत का राज्य-बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५७ .

अध्यादेश के सम्बन्ध में विवरण—सभा-पटल पर रखा गया ४५९–६०

वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने सभा-पटल पर जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक विवरण रखा

पारित विधेयक ४६०—५००

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार हुआ और वह पारित किये गये :—

(१) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) विधेयक

(२) करों का अस्थायी संग्रह (अस्थायी संशोधन) विधेयक, १९५७

(३) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक .

मंगलवार, २१ मई, १९५७ के लिए कार्यावलि ।

रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा . . .